

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की ७५वीं बैठक का कार्यपाली प्रिवरण

राज्य सत्र पर्यावरण समाधात निधिरिण प्राधिकरण (एसईआईएए) उत्तीर्णगढ़ की १५वीं बैठक दिनांक १४/०२/२०२० को ०३:०० बजे श्री भोगी लाल सरन अध्यक्ष, उत्तीर्ण सत्र पर्यावरण समाधात निधिरिण प्राधिकरण, उत्तीर्णगढ़ की अद्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हैं—

- 1 श्री समीर बाजपेयी, सदस्य तात्पूर्य रत्न पदोन्नति समाप्तात् नियोजन प्राधिकरण
  - 2 सुभी लंगीता फ़ी, सदस्य तात्पूर्य शब्द रत्न पदोन्नति समाप्तात् नियोजन प्राधिकरण

वैदिक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य सत्र पर्यावरण समाप्ति नियुक्ति प्राप्तिकरण द्वारा अन्यथा एव सदस्यों का समाप्त किया गया।

एको-न्दा आयदम क्रमांक-1

दिनांक 13/01/2020 के कार्यवाही विचरण का अनुसूदन।

रायगढ़ रत्नर पर्यावरण समाजात् निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की ३३वीं बैठक दिनांक १३/०१/२०२० को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वेसमग्रि से कार्यपाली पिंडपुण का अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ह गया।

एसोसिएटी अधिकारी कम्पनी-२

राज्य रत्नर विशेषज्ञ अकन रामिति, प्रतीक्षागद की 305वीं, 306वीं, 307वीं एवं 308वीं बैठक कामशा-  
दिनांक 16/01/2020, 17/01/2020,  
18/01/2020 एवं 20/01/2020 की अनुशासा  
के आधार पर गौण स्थनियों / मुख्य स्थनियों  
एवं कर्वट्टकशान परिक्षोजना संबंधी प्रकरणों को  
सभाघे में निर्णय लिया जाना।

१. मेरार्हा श्री शशिकांत तिवारी (केंपी आर्डिनेट इंस्टीट्यूट माईन), पुणे-केंपी, चहरील-लुऱ्हा, पिला-सारगुजा (समिक्षालय का नवती छात्रों के ९२०)

ऑनलाईन आवेदन - प्रधानमंत्री नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 40338 /2019 दिनांक 31/07/2019।

**प्रस्ताव का विवरण** — यह प्रस्तावित आठिनवी स्टोन (गोम लैनिज) खदान है। खदान गाम-कोपी, तहरील-खुगड़ा, घिरा-सरगुजा लिंगर छासरा इमार 537 / 1, 537 / 3, 537 / 4, 537 / 5, 537 / 15, 537 / 16 एवं 537 / 18, कुल शेतकाल-1429 हॉटेपर में प्रस्तावित है। खदान की आधिक उत्तमता कमता — 11.700.45 इन प्रतियां है।

प्रस्ताव के साथ सलमन मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावका द्वारा अधिनियमी स्टोन खदान (गोण खनिज) के पर्यावरणीय स्थीरता हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र सलमन किये गये हैं –

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – सलमन के संबंध में ग्राम पंचायत केंद्री का दिनांक 23/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्थनन योजना – क्षारी प्लान, इन्हायरीमेट मेनेजमेंट प्लान एंड कार्यी ब्लॉकर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो दुष्प संधारक (ए.प्र.) जिला-सरगुजा के द्वापन क्रमांक 552/खनिज/2019, अधिकारी पुर दिनांक 20/05/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में विधत स्खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के द्वापन क्रमांक 837/खनिज/ख.लि.4/2019 अधिकारी पुर दिनांक 02/07/2019 के अनुसार आवेदित स्खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गोण खनिज की खदान की सम्भवा निरक है।
4. एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के द्वापन क्रमांक 156/खनिज/ख.लि.4/ई-टेलर/ 18 अधिकारी पुर दिनांक 30/01/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 महीने की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एलओआई की वैधता समाप्त हो गई है।

#### बैठकों का विवरण –

##### (अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नहीं एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा उत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लौज सीमा से निकटतम बन केंद्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. एलओआई वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त स्खदान की 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे भवित्र, मरम्पट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, एमीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबन्धित क्षेत्र निर्मित होने अवश्य नहीं होने की समस्ता में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में तामस्ता सूचना जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तामस्ता परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी-एलीवागढ़ के द्वापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

##### (ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एलओआई वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से तामस्ता के तमस्ता बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना समव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुचेष्ट किया गया है।

समिति द्वारा तत्त्वाभ्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा घासित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। एस.इ.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 991 दिनांक 06/11/2019 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एलओआई वैधता दृष्टि बाधत पत्र प्राप्ति उपरात समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 08/11/2019 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्त्वाभ्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- भारत राजकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नियालय, नड़ दिल्ली की ओर एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार रीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त पूर्व में चाही गई घासित जानकारी एवं समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोचाप्सी) के साथ आगामी माह जीवं बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी शाशिकाल लियारी प्रोपशाईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/12/2019 द्वारा सूझना दी गयी है कि दस्तावेज के अन्तर्गत कारण से समिति के सम्मान-बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना समव नहीं है। आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्त्वाभ्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई घासित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज राहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी शाशिकाल लियारी प्रोपशाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाइ गई-

- कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, सरगुजा बनमण्डल अधिकारीपुर के ज्ञापन क्रमांक /लक.अधि /3842 /अधिकारीपुर दिनांक 07/06/2018 की जारी अनापालित प्रभाग पत्र अनुसार आयोदित छोड़ वन भूमि की तीव्रा से 0.8 किमी एवं राष्ट्रीय उदान /अन्यायरण्य से 55 किमी की दूरी पर है।
- एल.ओ.आई सचावालक, गोगिकी तथा गुमिकर्म, उत्तीर्णगढ़, नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4888 /लगि02 /उप-अनु निया /म.का. 50/2017 मवा रायपुर अटल नगर दिनांक 16/09/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी वैधता जारी दिनांक से 8 माह की अवधि अप्रैल 28/01/2020 तक है।

३. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-बसरगुजा के ज्ञापन २०७६ / खनिज / खलि ३ / उ.प. / २०१९ अभिकापुर दिनांक १८/११/२०१९ हारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के २०० मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होत्र जैसे महिर, मरघट, अरपताल, नहर, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति अवृद्धि प्रतिवर्षित होत्र निश्चित नहीं है तथा रकूल भवन लगभग ६० मीटर की दूरी पर स्थित है।
४. सशोधित ५०० मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-बसरगुजा के ज्ञापन ज्ञापन २०७५ / खनिज / खलि २ / उ.प. / २०१९ अभिकापुर दिनांक १८/११/२०१९ के अनुसार आवेदित खदान के ५०० मीटर के मीलर उत्तरसिंहां अथवा खदानी की संख्या निम्नका है।
५. सशोधित उत्तरसिंहां योजना - नियाइज्ज ज्ञापन इन्हायरोमेंट कैरेजमेंट ज्ञापन एवं उक्त योजना कलेक्टर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (उ.प.), जिला-बसरगुजा के ज्ञापन ज्ञापन ३४ / खनिज / खलि ३ / उत्तरसिंहां यो. / २०१९-२० अभिकापुर दिनांक ०९/०१/२०२० हारा अनुमोदित है।
६. भूमि आवेदक के नाम पर है।
७. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सशोधित फार्म-०१ सशोधित पर्यावरण प्रवाहन योजना एवं सशोधित ग्री-फिलिप्पिलिटी रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार खदान जौ आवेदित उत्तरसिंहां ज्ञापन-३.१९३.०२ टन प्रतिवर्ष है।
८. निकटतम आवादी घाम-कंडी १ किमी एवं रकूल घाम-कंडी ६० मीटर एवं अरपताल अभिकापुर ११५ किमी दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग ३५ किमी एवं राज्यमार्ग ७४ किमी दूर है। गागर नदी ८ किमी, मीरामी नदी ०.२७ किमी एवं तात्पात्र ०६७ किमी दूर है।
९. परियोजना प्रस्तावक द्वारा १० किमी की परिधि में अतर्वाक्तीय गोपा, राष्ट्रीय उत्तरसिंहां अभ्यासरथ, गोन्दीय प्रदूषण नियन्त्रण योद्धा द्वारा घोषित फिटिकली पौत्र्युद्देश एवं यात्रिरिप्पतिकीय सवेदनशील होत्र या घोषित जैवविधिभास क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
१०. जियोलोजिकल रिजर्व लगभग ५,३७,६९४ टन, माझूनेवल रिजर्व ३१,२६८ टन एवं रिकाल्हरेवल रिजर्व २८,१४१ टन है। लौज होत्र के चारों ओर ७.५ मीटर (०.१९ हेक्टेयर) खुला होत्र जाएगा। औपन कार्ट रोमी मेकेनाइज्ज दियि हो उत्तरसिंहां की प्रस्तावित अधिकारम गहराई १५ मीटर है। ऊपरी मिट्टी की भाजा १,७६३ घनमीटर एवं मोटाई १ मीटर है। दैर्घ्य जौ कमाई ३ मीटर एवं सीढ़ाई ३ मीटर है। खदान की लम्बायित आयु १० वर्ष है। लीज होत्र में जलार जौ स्थापना प्रस्तावित नहीं है। उत्तरसिंहां नहीं किया जाएगा। तर्फवार प्रस्तावित उत्तरसिंहां का विवरण निम्ननुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरसिंहां (टन में)
प्रथम	२.९७४
द्वितीय	२.९१६
तृतीय	२.६७८
चतुर्थ	२.९०१
पंचम	३.१९३

छटपांच	2,792
सातवाहन	2,704
आठवाहन	2,785
नौवाहन	2,726
दशवाहन	2,471

नोट:- तालिका में दशमलाय के बाद वो अंकों का रातुभड़ओफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.65 घमनीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति याम पर्यायत के माध्यम से जाएगी। खदान में याम प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. लीज क्षेत्र के भारी ओर 7.5 मीटर लम्बे क्षेत्र में 384 नग एवं स्कूल की तरफ 1.05 हेक्टेयर (10.541 घमनीटर) क्षेत्र में अधिसूचित 1172 नग पर्याय से लगाया जाना प्रस्तावित है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं दी गई है।
14. स्कूल की तरफ 1.05 हेक्टेयर (10.541 घमनीटर) क्षेत्र प्राप्ति जाएगा एवं स्कूल की तरफ से याहुनों का आवागमन नहीं होगा।
15. पर्यावरण एनजीटी, दीसिपल बेच, नई दिल्ली हावा सल्फेट पाण्डेय ग्रिल्स भारत सरकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं झज्ज (लॉरिजनल एपिस्कोपन स. 186 अंक 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य काय से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
  - Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance
16. भारत सरकार, पर्यावरण, उन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के अन्तर्गत दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से यही उपरात निम्नानुसार प्रताप प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 17.59	2%	Rs. 0.35	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Barbhata Rain Water Harvesting System <b>Total</b>	at Nearby Government Primary School Village-Barbhata Rs. 0.65 <b>Rs. 0.65</b>

सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (इस्लापिन  
रकूल का नाम या एवं कार्बनार खर्च का विषय) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।  
समिति हारा विधार विभाई उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया  
गया:-

1. कार्बोलघ लेवटर (खण्ड शाखा) जिला-सरगुजा के इष्टन क्षमाक 2075 / खण्डिज / खालि.2 / नं.प / 2019 अधिकार्यपुर दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अपरिवर्त अन्य खदानों की संख्या निर्दित है। आवेदित खदान (याम-कैपी) का रकमा 1423 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिसीमे रवीकूल/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर से ज्यादा होने के कारण यह खदान दी-2 श्रेणी की भागी गयी।
2. समिति हारा विधार विभाई उपरात सर्वसम्मति से याम-कैपी तहसील-लुण्डा, जिला-सरगुजा स्थित खदान क्षमाक 537 / 1, 537 / 3, 537 / 4, 537 / 5, 537 / 15, 537 / 16 एवं 537 / 18 कुल क्षेत्रफल-1423 हेक्टेयर आठिनीरी पत्थर खदान (गोण खण्डिज) उत्तरानन क्षमता-3.193 टन प्रतिघण्ठे हेतु पर्यावरणीय रवीकूलि दिए जाने की अनुमति की गई।

**प्राधिकरण हारा बैठक में विचार -** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को जप्तन 04वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण हारा नरसी का अवलोकन किया गया। विचार विभाई उपरात प्राधिकरण हारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को रवीकार करने हुए याम-कैपी, तहसील-लुण्डा, जिला-सरगुजा स्थित खदान क्षमाक 537 / 1, 537 / 3, 537 / 4, 537 / 5, 537 / 15, 537 / 16 एवं 537 / 18, कुल क्षेत्रफल-1423 हेक्टेयर आठिनीरी पत्थर खदान (गोण खण्डिज) उत्तरानन क्षमता-3.193 टन प्रतिघण्ठे हेतु पर्यावरणीय रवीकूलि जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रतावक को पर्यावरणीय रवीकूलि जारी किया जाए।

2. गोरासी भौत्या इन्फार्ट्क्यूर लिमिटेड (प्र).-श्री सौरभ राठी), याम-परसुलीडी. तहसील व जिला-रायपुर (संविवालय का नमस्ती क्षमाक 960)

ऑनलाईन आवेदन- प्रधानमन्त्री- एसआईए/ श्रीपी/ एनडीपी/ 119588/ 2019 दिनांक 11/11/2019।

**प्रस्ताव का विवरण -** परियोजना प्रस्तावक हारा याम-परसुलीडी. तहसील 3 जिला-रायपुर स्थित खदान क्षमाक 24/3, 25/1, 25/2, 25/3, 26/1-26/4, 26, 29/1, 29/2 एवं 27 में प्रस्तावित रेसीडेंशियल एवं कॉमर्शियल ब्रोजेट का क्षेत्रफल 25,770 वर्गमीटर तथा बिल्टअप क्षेत्रफल - 63,558 वर्गमीटर के पर्यावरणीय रवीकूलि हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रूपये 92.42 करोड़ होगा।

**प्रस्ताव की सामान्य जानकारी -**

1. निकटतम रिवर कियाकलापों सर्वाधी जानकारी -

- निकटतम प्राथमिक रक्कम 0.9 कि.मी. अस्पताल 1.9 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन उरकुरा 3.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 72 कि.मी. एवं राजमार्ग 346 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक ढारा 10 कि.मी. की परिधि में आपासीकीय इमारत, राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित फिटिंगली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संबंधनकील क्षेत्र या घोषित लैचरिपिट्टा इन रिप्टर नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- भूमि संकेत दस्तावेज़ प्रस्तुत निए गए हैं।
- द्वाम पर्यायत टेकारी का दिनांक 02/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

## 2. लेखक एरिया स्टेटमेंट —

S. No.	Area Statement	Details (Square meter)
1	Total plot area	25,770
2	EWS (15%) area of other side	3,865.5
3	Net planning area	29,635.5
4	Open area	2,809
5	FSI / FAR	1.25
6	Permissible BUA (FSI area)	37,044.38
7	Proposed BUA (FSI area)	36,738.5
8	Non-FSI area	25,819.5
9	Total construction area (FSI+Non-FSI)	63,558

3. संयुक्त सभालक, नगर तथा द्वाम नियंत्रण कार्यालय रायपुर (13 ग.) के द्वायन ज्ञामांक 22118, दिनांक 30/10/2018 द्वारा वर्तमान भू-पर्यायम् बुधि तो आपासीय (निर्गमित) प्रयोजन हेतु रक्कम 2,577 हेक्टेयर के लिये निकास अनुमति जारी की गई है।
4. संयुक्त सभालक, नगर तथा द्वाम नियंत्रण कार्यालय रायपुर (13 ग.) के द्वायन ज्ञामांक 31555, दिनांक 22/07/2019 द्वारा भूखण्ड पर आपासीय (निर्गमित) प्रयोजन हेतु रक्कम 2,577 हेक्टेयर में कुल प्रस्तावित बिल्डअप एरिया 36738.9 वर्गमीटर के लिये भवन अनुमति जारी की गई है।
5. प्रस्तावित कार्यालयाओं की शुरुआती के उपर्योग हेतु अनुमानित बुल 5,773 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।
6. परियोजना के अन्तर्गत कुल 8 बिल्डिंग या निर्माण कार्य किया जाना है, जिसमें से 6 ऐसीडीसीयल बिल्डिंग (G+8 floors), 2 ऑफिसीयल बिल्डिंग (G-2 floors) एवं 1 काम्प्युनिटी हॉल बिल्डिंग (G+1 floor) होगा, जिसकी कंचाई जमशा 24 मीटर 10.95 मीटर एवं 7.3 मीटर होगी।

## वैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकल्प की नरसी एवं प्रस्तुत जामकारी का परीक्षण तथा तत्त्वागम्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- संयुक्त संचालक, नगर तथा दाम नियंत्रण कार्यालय राष्ट्रपुर (छग) के द्वारा पन अमाक 31555, दिनांक 22/07/2019 द्वारा भूखण्ड पर आवासीय (मिगमित) प्रयोजन हेतु रक्का 2577 हेक्टेयर में कुल प्रस्तावित बिल्टअप एरिया 36738.8 वर्गमीटर के लिये भवन अनुद्धा जारी की गई है। जबकि आवेदन में प्रस्तावित कुल बिल्टअप क्षेत्रफल - 63,558 वर्गमीटर के लिये किया गया है। इस संबंध में रिप्टिल स्पष्ट किया जाए।
- आवेदन आवासीय एवं व्यावसायीक प्रयोजन हेतु किया गया, जबकि भवन अनुद्धा आवासीय प्रयोजन हेतु जारी की गई है। इस संबंध में रिप्टिल स्पष्ट किया जाए।
- हेन वीटर हाईसिट्टिंग व्यवस्था संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएः।
- भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु वरिवर्तीन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को आगामी बिटक दिनांक 11/12/2019 में समस्त सुनांगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (ब) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पन दिनांक 11/12/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूरे से जारी गई बाहित जानकारी एवं समस्त सुनांगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी छत्तीरामगढ़ के द्वारा पन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (स) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी सुनांग रोमनी, अधिकृत प्रतिनिधि एवं डिप्टी मैनेजर / ईआईए पी-ऑफिसेटर के समेत मेसर्स इन्वायरो एनालिस्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड की ओर से भी भेंडेलदाय पी. नुजार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरसी प्रस्तुत जानकारी का अधिलोकन एवं परीक्षण करने पर सिम्म रिप्टिल वाहू गई—

- संयुक्त संचालक, नगर तथा दाम नियंत्रण कार्यालय राष्ट्रपुर (छग) के द्वारा पन अमाक 31555, दिनांक 22/07/2019 द्वारा भूखण्ड पर आवासीय (मिगमित) प्रयोजन हेतु रक्का 2577 हेक्टेयर में कुल प्रस्तावित बिल्टअप एरिया 36,738.8 वर्गमीटर के लिये भवन अनुद्धा जारी होने संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह कहाया गया है कि भवन गिराव अनुद्धा एफएसआई (FSI) बिल्टअप

एरिया अनुसार जारी की गई है। पर्यावरणीय स्थीकृत हेतु आवेदन इंजिनियरिंग और अधिकृत अनुसार नीन-एफएसआई (Non - FSI) बिल्डअप एरिया को समिति द्वारा किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना अन्यासीय प्रयोजन हेतु है। परियोजना में यूटिलिटी शीप हेतु एक बिल्डिंग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
3. वायु प्रदूषण नियन्त्रण — निर्माण के दौरान उत्पन्न प्रदूषितिय ड्रेस्ट के नियन्त्रण हेतु नीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल फिल्टर किया जाएगा।
4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन — वास्तविकान फेस के दौरान उत्तम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण निम्नानुसार है:-

Waste	Quantity	Management
Excavated Material	21,000 Cum	Will use in back filling 14756 Cum and rest of the excavated material will be used for leveling and land scapping of 6324 Cum
Empty Cement Bags	2,48,000 Nos.	To be sold to vendors
Aggregates Scrap	528 Cum 65 Tonnes	Reuse on site for making road
Empty paints cans (20 Lit/ Can)	6,900 Nos	To be sold to Authorized recycler
Waste tiles	34,150 Sqft	Broken pieces will be used for china mosaic water proofing of terraces

- परियोजना के विकासीपरांत ठोस अपशिष्ट के संधरण हेतु द्वितीय अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 2,022 किलोग्राम प्रतिदिन (वायोडियोडेक्सल अपशिष्ट 1,584 किलोग्राम प्रतिदिन एवं नीन-वायोडियोडेक्सल अपशिष्ट 1,028 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वायोडियोडेक्सल एवं नीन-वायोडियोडेक्सल के अनुसार संरचित किया जाएगा। वायोडियोडेक्सल ड्रेस्ट को खाद बनाने के लिए और्गेनिक ड्रेस्ट कम्पोस्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नीन-वायोडियोडेक्सल ड्रेस्ट को रिसायर्वलर के उपलब्ध कराया जाएगा।

### 5. जल प्रबंधन व्यवस्था —

- जल स्थपत एवं स्त्रोत — परियोजना हेतु कुल 1,029 घनमीटर प्रतिदिन (फ़िल्टर बीटर 470 घनमीटर प्रतिदिन तथा रिसायर्वल बीटर 559 घनमीटर प्रतिदिन) की आवश्यकता होगी। यरेत् उपयोग हेतु 470 घनमीटर प्रतिदिन फलस्फिंग हेतु 246 घनमीटर प्रतिदिन लेपड़ स्लैपिंग हेतु 23 घनमीटर प्रतिदिन एवं पलोर बीक्सिंग हेतु 290 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। यार्ट काल में पुलासीण हेतु जल की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में 23 घनमीटर प्रतिदिन उपलब्धित जल का नियन्त्रण नियन्त्रित नहीं किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे अवधि में शून्य नियन्त्रण की स्थिति स्थी जाएगी। जल की आपूर्ति नगर निगम राष्ट्रपुर से की जाएगी। अनुमति हेतु आवेदन किया गया है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण - दृष्टित जल की मात्रा 622 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दृष्टित जल के उपचार हेतु एमवीकीआर आपारित सीधेज ट्रीटमेंट प्लाट आमता 720 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। सीधेज ट्रीटमेंट प्लाट के अंतर्गत बार स्लीन, और्यल एण्ड सीस चेकर, इंजिनेलाइज़ेशन ट्रैक, पल्लुडाइज़ेल एरोविक्स वायोरिएक्टर सोकेप्लाई सेटलिंग ट्रैक, फिल्टर पील एम्प-हाम्प, मल्टीयोड सेण्ट्र फिल्टर एकिट्योटेक कार्बन फिल्टर, नाईज़ीन बैग फिल्टर, ओजानेशन ट्रैकेट वीटर स्टोरेज हैक, स्लज हॉलिंग हैक एवं फिल्टर प्रेस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दृष्टित जल की मात्रा 559 घनमीटर प्रतिदिन होगी। उपचारित दृष्टित जल की मिसाइनकोफशन कल विभिन्न कार्बो में उपयोग किया जाएगा। पल्लिंग हेतु 240 घनमीटर प्रतिदिन सेण्ट्र स्लीपिंग हेतु 23 घनमीटर प्रतिदिन एवं फ्लोर बीशिंग हेतु 290 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा। सीधेज ट्रीटमेंट प्लाट से उत्पन्न स्लज की मात्रा 23 किलोग्राम प्रतिदिन है, जिसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।
- भू-जल उपयोग प्रबंधन - परियोजना स्थल सेटल याउण्ड याटर बोर्ड का अनुसार सेमी फिल्टिकल जोन में आता है। पिसाफे अनुसार-
  - (अ) वृहद एवं मध्यम तातोगों को कम से कम 50 प्रतिशत दृष्टित जल का पुनर्वाप्त एवं पुनरुपयोग किया जाना है।
  - (ब) ग्राहन्ड याटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई गांवनीक यथा रेनवाटर हार्डिस्टेंग / ओटिपिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल नियमों जाने की अनुमति संट्रल याउण्ड याटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार स्थल सेमीफिल्टिकल जोन के अंतर्गत आता है। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा यारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited critical and semi-critical assessment unit में स्थापित इकाइयों इफान्ट्रोकार यूनिट एवं माइनिंग प्रौदीकट्स को भू-जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरूप परियोजना को औद्योगिक कार्य हेतु भू-जल दोहन की अनुमति नहीं होगी।
- रेन बॉटर हार्डिस्टेंग - रेन बॉटर हार्डिस्टेंग व्यवस्था के अंतर्गत 14 नग हार्डिस्टेंग पिट (यारा 3 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाएगा। गणना अनुसार पूर्ण रनओफ को रिचार्ज किए जाने हेतु 10 नग रेन बॉटर हार्डिस्टेंग पिट की आवश्यकता है। ओवर पलो हेतु अतिरिक्त 4 नग रेन बॉटर हार्डिस्टेंग पिट का निर्माण भी प्रस्तावित है। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान भाष्टा में वर्षा जल का बहाव ही सके।
- 6. विद्युत खपत - परियोजना में कास्टबर्ग केज हेतु 100 केबीए एवं अपरेशनल केज हेतु 1,012 केबीए विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। ऐकालिक व्यवस्था हेतु 250 केबीए का डीज़ी गेट स्थापित की जाएगी। डीज़ी संट को एकोरिटा इफ्टोजर में स्थापित की जाएगी।
- 7. वृक्षारोपण की स्थिति - हरित पटिका बीबीफल 3.361 घनमीटर (कुल बीबीफल का 13.04 प्रतिशत) में पौधे संवित किया जाना प्रस्तावित है।

8. कर्जी संरक्षण उपाय – परिवार में सभी लड़कों पर एलईडी लाइट प्रयुक्ति किया जाएगा। लेण्ड रकौपिंग एवं हाईवैट-डे में सोलर एलईडी लाइटिंग लिफ्टम प्रस्तापिता है।
9. भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आए दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष प्रिस्तार ने चारों उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (Rs. in Crore)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (Rs. in Crore)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Crore)
Rs. 92.42	2%	Rs. 1.84	<p>Following Activities will be done at near by Govt. Schools</p> <p>1. Rain Water Harvesting 2. Solar Lighting System 3. Potable Drinking Water Facility 4. Plantation in School</p> <p><b>Total</b> Rs. 1.84</p>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का प्रिस्ताव प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम या प्राथमिक छर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार यिमर्श उपरान्त संवैसम्मति से याम-परसुलीडीह, तहसील व जिला-रायपुर लिखत खासा क्रमांक 24/3, 25/1, 25/2, 25/3, 28/1-28/4, 26, 29/1, 29/2 एवं 27 में प्रस्तावित रेसीडेंशियल एण्ड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का प्लॉट क्षेत्रफल 25,770 वर्गमीटर तथा विल्डअप क्षेत्रफल – 63,558 वर्गमीटर (36,738.5 वर्गमीटर एफएसआई तथा 26,819.5 वर्गमीटर नीन-एफएसआई) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने वाली अनुशासन की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 95% पैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवती का अपलोडन किया गया। विचार दिनांक उपरान्त प्राधिकरण द्वारा संवैसम्मति से समिति की अनुशासन का स्वीकार करते हुये याम-परसुलीडीह, तहसील व जिला-रायपुर लिखत खासा क्रमांक 24/3, 25/1, 25/2, 25/3, 28/1-28/4, 26, 29/1, 29/2 एवं 27 में प्रस्तावित रेसीडेंशियल एण्ड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का प्लॉट क्षेत्रफल 25,770 वर्गमीटर तथा विल्डअप क्षेत्रफल – 63,558 वर्गमीटर (36,738.5 वर्गमीटर एफएसआई तथा 26,819.5 वर्गमीटर नीन-एफएसआई) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

3. मेसास आरकोन्स इफारटुनचर एण्ड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड एण्ड दी. बिलदस लिमिटेड (अछोली ऑर्डिनरी स्टोन (बोल्डर)), याम-अछोली, तहसील व जिला-महाराष्ट्र (सचिवालय का नवती क्रमांक 1008)

**ऑनलाइन आवेदन** - प्रयोजन नम्बर - एसडीए/ सीजी/ एनआईए/ 48016 / 2019, दिनांक 07 / 11 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कामियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14 / 11 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने की निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाचित जानकारी दिनांक 03 / 12 / 2019 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** - यह प्रस्तावित ऑफिनी रटीन (बोल्डर) (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अछोली, तहसील व ज़िला-महाराष्ट्र स्थित खसरा क्रमांक 780 / 2, 791, 792, 794, एवं 795 / 2353, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर से प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्थनन क्षमता - 71,876 टन प्रतिवर्ष है।

**प्रस्ताव के साथ सलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑफिनी रटीन (बोल्डर) खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य क्षय से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्थनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 20 / 05 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्थनन योजना - योजना प्लान एवं जारी कर्त्ताजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो नुप संचालक (एप्प), साधालनालय, नोमिनी तथा खनिकाम उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8723 / खनिक२ / मा.प्ला.अनुसूचित / न.क्र. 02 / 2019 वा. रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 / 10 / 2019 द्वारा अनुसूचित है।
3. 500 मीटर की परिधि में रिथत खदान - कायालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक 1804 / क / अस्थाई अनुज्ञा / लाइ / न.क्र. / 2018 महाराष्ट्र दिनांक 25 / 11 / 2019 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अविस्तृत गम्य-2 खदानों कोशकल 2:15 हेक्टेयर है।
4. कायालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ज़िला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक 1096 / क / अस्थाई अनुज्ञा / लाइ / न.क्र. / 2018 महाराष्ट्र दिनांक 21 / 11 / 2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी जारीनिया शेत्र जैसे नटिर भरभट्ट, अस्पताल, स्कूल, पुल, घास, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवर्धित होने नहीं है।
5. कायालय वम परिवर्त अधिकारी, ज़िला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक 1301 महाराष्ट्र, दिनांक 08 / 08 / 2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित शेत्र के बन शेत्र से दूरी संरक्षित वन शेत्र 9 कि.मी. से कहा क्रमांक 22 रिथत है।
6. एज ओआई कायालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक 1622 / क / ख.लि / अस्था.अनु. / म.क्र. / 19 महाराष्ट्र, दिनांक 11 / 10 / 2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्व रिपोर्ट (District Survey Report) की छवि प्रस्तुत की गई है।
8. निकटस्थ जावादी ग्राम-अछोली 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम-अछोली 2.5 कि.मी. अस्पताल तुमगाव 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.5 किमी दूरी पर है। यहानदी 4 कि.मी. एवं नाला 0.1 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय राधान, अभयारण्य, कोन्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पील्पुटेड

एरिया, पारिस्थितिकीय संवर्धनशील क्षेत्र या धोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

10. पिंडीलोजिकल रिजर्व लगभग 2,40,625 टन माइग्रेशन रिजर्व 1,41,250 टन एवं रिक्खरेवल रिजर्व 1,27,125 टन है। लीज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर खुले क्षेत्र होना जाएगा। आपने कार्ट मैनेजमेंट विषि से उत्थनन किया जाएगा। उत्थनन की प्रस्तावित अधिकाराम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। जैक हिमर से डिलिंग एवं कट्टील ब्लास्टिंग किया जाएगा। देव की कमाई 1.5 मीटर एवं छोड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 2 वर्ष है। घैरुदार प्रस्तावित उत्थनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्थनन (टन)
2019	69,375
2020	71,875

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की नाचा 6.71 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकटतम बोरोवल के नालयम से की जाएगी। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिपकाव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1200 नग बूकारीपाल किया जाएगा।

#### बैठकों का विवरण -

##### (अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति हुआ प्रकरण की चर्चा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तात्पर्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

- मारत सरकार, पर्यावरण, इन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रसाद प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रबलावक को आगामी बाह की आधीक्षित बैठक में तपारोक्त तात्पर्य सुरक्षण जानकारी / दरवारेज (अद्यतन फोटोप्राप्त) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रबलावक को एसईएसी, घटीसंगठ के इसायन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

##### (ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धीरज जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपसंचार हुए। समिति हुआ नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठिति पाई गई-

- परियोजना प्रबलावक द्वारा कहा गया कि डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरात ही 12 मीटर उत्थनन के लिए सुरक्षित एवं नियंत्रित विषि से ब्लास्टिंग किया जाएगा।
- माननीय एन जी टी, ग्रीसिपल डेव, नई दिल्ली द्वारा गतीय पाण्डुलिंग विलद्ध मारत सरकार, पर्यावरण, इन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑक 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/06/2018 का पारित आदेश में सुना हुया हो परियोजना प्रबलावक निर्देशित किया गया है।

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- 3 भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाया परियोजन मंड़ालय, नई दिल्ली के अंतर्गत 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वहां उपरात निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 75	2%	Rs. 1.5	Following activities at Nearby Government School Village-Achholi	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Solar Lighting System	Rs. 0.50
			Plantation work	Rs. 0.50
			<b>Total</b>	<b>Rs. 1.50</b>

Note: Potable drinking water facility & tap water arrangement toilet already installed in nearby school village-Achholi.

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित रक्कम का मुद्रा यता एवं कार्यकार संबंध का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विवार विभाग उपरात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया-

- आर्थिक कालेक्टर (खनिज राखा), जिला-भारतमुद के द्वायन जमान 1804 / क / अखण्ड अनुद्धा / छति / न.क्र / 2018 भारतमुद दिनांक 25/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की ओर अन्य 2 खदानों की ओरपाल 2.15 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (शाम-अछोली) का अंतर्फल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (शाम-अछोली) को मिलाकर कुल ओरपाल 3.15 हेक्टेयर है। खदान की शीर्ष से 500 मीटर की दूरी में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल की ओरपाल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान की 2 घेरी भी मानी गयी।
- समिति द्वारा विवार विभाग उपरात सर्वसम्मति से शाम-अछोली लहरील व जिला-भारतमुद स्थित खदान जमान 780 / 2, 791, 792, 794 एवं 795 / 2363 कुल की ओरपाल - 1 हेक्टेयर, अठिनी बर्थर (बौलडर) लदान (गोल गोमिय) उत्तरानन जमान - 71,875 एवं परिवर्त्त द्वारा पर्याप्तीय रसीकृति दिए जाने की अनुशासन की गयी।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संघर्ष 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नरसी रामती की अपलोकन किया गया। विचार विभाजनप्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक समिति की अनुशंसा को स्थीकार करते हुए याम-अचौली तहसील परिल-महाराष्ट्र लिखत खादान ग्रामांक 780/2, 791, 792, 794 एवं 795/2363, कुल शेषफल – 1 हेक्टेयर आडिनपी पत्थर (लोहडर) खदान (गोण खनिज) उत्त्वनन कामता-71.675 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

- मेसारो चेवरोवरा कर्स्ट्रवशन पाइपेट लिमिटेड (राजापुर सोन्ह रटोन क्वारी(१)), पाम-राजापुर, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी (साधियालय का नरसी क्रमांक 1042)

**ओनलाईन आवेदन –** प्रयोजन लम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 129122 / 2019 दिनांक 03/12/2019।

**प्रस्ताव का विवरण –** यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान याम-राजापुर तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी लिखत पाट और लस्तर ग्रामांक 1861, कुल शेषफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अवधित उत्त्वनन कामता – 87.642 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ सालग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधारण पत्थर खदान (गोण खनिज) के पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से गिम्ब प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्त्वनन के सबूत में याम पंचायत राजापुर या दिनांक 30/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्त्वनन योजना – क्वारी प्लान लिख प्रोग्रेसिव क्वारी बलोजर प्लान एण्ड इन्हायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खामी अधिकारी, जिला-उत्तर बरंतर कांकेर द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्वारी प्लान की जायक पत्र क्रमांक एवं दिनांक सबूत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- 500 मीटर की परिधि में विथत खदान – कायालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र) जिला-धमतरी के शायन ग्रामांक 1150/अस्थायी अनुद्दा/अनु/2019 धमतरी दिनांक 04/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की ओत अवश्यक अन्य खदानों की संख्या निरक्त है।
- कायालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-धमतरी के शायन ग्रामांक 1148/अस्थायी अनुद्दा/अनु/2019 धमतरी, दिनांक 04/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक सेव जैसे भवित गरण्यत अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवर्षित सेव नहीं है।
- एलओआई, कायालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-धमतरी के शायन ग्रामांक 989/एमि/अस्थायी अनुद्दा/अनु/2019 धमतरी, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।

६. कार्योत्तम प्रशासनिकारी समान्वय उत्तमांडल जिला-प्रभागी के शाफन ग्रामपंचायी / मानवि. / ग्री. / ३८१३ प्रभागी दिनांक ०६ / ०८ / २०१९ को जारी अनापलि प्रमाण चब अनुसार आवेदित क्षेत्र बन भूमि की सीमा से ५०० मीटर से अधिक दूरी पर है।
७. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
८. मिक्कूतम ऊदारी गाम-हजापुर ०.५ किमी पर खेत है। राष्ट्रीय राजमार्ग १४ किमी से एवं राजमार्ग ३० किमी दूर है। महानदी १.५ किमी दूर है।
९. परियोजना प्रस्तावक द्वारा १० किमी की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अमरावती केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित मिटिकली पील्युटेल एवं यारिपिथतिलीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र रिप्पत नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
१०. जियोलिजिकल रिपोर्ट लगभग १,४३,६९४ टन, माइनेपल रिपोर्ट ८७,८५९ टन एवं रिकार्डरेक्सल रिपोर्ट ७८,८८३ टन है। लौज क्षेत्र के चारों ओर ७.५ मीटर (०.३२४ हेक्टेग्र) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। औपचं कारट सेमी मेकेनाइकल वित्ती से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकातम गहराई ६ मीटर है। अपरी गिट्टी की गहराई ०.५ मीटर है। येत्र की गहराई १.५ मीटर एवं घौँड़ाई १.५ मीटर है। जैक हेमर से डिलिग एवं कटोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान की समाप्ति आगे १ वर्ष है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम वेच	३.५९०	१.५	५,३८५	१४,५३९
प्रथम वर्ष द्वितीय वेच	८.५०५	१.५	९,४५७	२८,३४५
प्रथम वर्ष तृतीय वेच	६.०१०	१.५	९,०१५	२४,३४०
प्रथम वर्ष चतुर्थ वेच	५.५३६	१.५	८,३०२	२२,४१७

नोट: तालिका में दरामलव की बाद की उक्ती का सारांशकारीक बिल्या गया है।

११. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल वी मात्रा १० घनमीटर ड्रिटिंग्स होंगी। जल वी आपूर्ति रखने के द्वयु ऐल रो की जाएगी। खदान में यादृ प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का फिल्टरिंग किया जाएगा।
१२. लौज क्षेत्र के चारों ओर ७.५ मीटर खुले क्षेत्र में ८०० नग फ्लारोप्पा किया जाएगा।
१३. पूर्व में जारी पर्यावरणीय रक्षीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय रक्षीकृति जारी नहीं की गई है।

#### बैठकों का विवरण—

(अ) समिति की ३०४वीं बैठक दिनांक १२ / १२ / २०१९:

समिति द्वारा प्रकरण वी बस्ती एवं उत्खन जानकारी का परीक्षण, लाभ अवसरामवि रो निम्नानुसार विर्णय लिया गया था—

- अनुमोदित नाईंबिंग खदान को अनुमोदन किये जाने के संबंध में जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।

- मारत सरकार पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावका को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त रामबत सुसमाज जानकारी / दस्तावेज (अदान फॉटोडाक्स) राठित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अदानुसार परियोजना प्रस्तावका को एसईएसी उत्तीर्णागढ़ के आपन दिनांक 13/01/2020 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

#### (ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी जो की जायरावाल अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाइ गई—

- चत्खानन योजना - माईनिंग लान प्रस्तुत किया गया है। सामि अधिकारी जिला-प्रभारी के आपन फ़ार्मांक 82/अस्थाई अनुद्धा/अनु/2020 प्रभारी दिनांक 17/01/2020 के अनुसार आवेदित खादान से 500 मीटर के परिषि में खदान यी रसी एवं डी जिसका खादान फ़ार्मांक 1561 एवं प्रत्येक का रकमा 1 हेक्टेयर हेक्टर के लिए भी सेंद्रियिक स्थीकृति जारी है। अतः आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्थीकृत / साचालित अथवा खदानों की रहेया निरुक्त है।
- संशोधित 500 मीटर की परिषि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खादान शाखा) जिला-प्रभारी के आपन फ़ार्मांक 82/अस्थाई अनुद्धा/अनु/2020 प्रभारी दिनांक 17/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के परिषि में खदान यी रसी एवं डी जिसका खदान फ़ार्मांक 1561 एवं प्रत्येक का रकमा 1 हेक्टेयर हेक्टर के लिए भी सेंद्रियिक स्थीकृति जारी है। अतः आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्थीकृत / साचालित अथवा खदानों की रहेया निरुक्त है।
- माननीय एन.जी.टी. ग्रीसिपल बैठक नई दिल्ली हारा सत्येन्द्र काण्डेय विशेषज्ञ भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओपियनल एप्लिकेशन में 186 अप्रैल 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
  - Providing for EIA, EMP and therefore Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- मारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को रामबत विस्तार से उच्ची उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)

			Following activities at Nearby Government School	
Rs. 40	2%	Rs. 0.6	Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Running water facility for toilets	Rs. 0.25
			Fencing & Plantation work	Rs. 0.16
			Total	Rs. 0.81

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया था कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्तुत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, प्रा. एवं कार्यालय का नाम) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विभास उपरान्त सर्वसमिति से निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कॉलेजर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के छापन छामाक 82/आरपाद अनुशा /अनु/ 2020 प्रमात्री, दिनांक 17/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के परिधि में खदान थी, सी एवं छी जिसका खसरा क्रमांक 1861 एवं प्रत्येक बम रकमा 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए भी सेक्टरिक स्थीकृति जारी हुई है। अत आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्थीकृत / संचालित अन्य खदानों की जाख्या निरंक है। आवेदित खदान (गाम-साजपुर) वह एकमा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान थी-2 अंगी छी मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विभास उपरान्त सर्वसमिति से गाम-साजपुर तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी स्थित पाटौ औंफ खसरा क्रमांक 1861, पूल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर साधारण पत्थर खदान (गोण खनिज) उत्तरनन धामता-87542 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशस्ता की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण एक दिनांक 14/02/2020 को संघन 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विभास उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसमिति से समिति की अनुशस्ता को स्वीकार करते हुए गाम-साजपुर, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी स्थित पाटौ औंफ खसरा क्रमांक 1861, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर साधारण पत्थर खदान (गोण खनिज) उत्तरनन धामता-87542 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

5. गोरां चेगरांकरा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (राजपुर सीएस टोन ज्वारी(बी), गाम-साजपुर, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी), अहमदाबाद, गुजरात (राजिवालय का नस्ती क्रमांक 1043)

ओगलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 129166 / 2019, दिनांक 03/12/2019।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित सत्तारण पत्रक (गोपनीय संचालन) खदान है। खदान गाम-राजपुर तहसील-मगरलोड, ज़िला-धमतरी रिक्षत पाट और खसरा क्रमांक 1861 कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तराधिन जमीन – 84.345.3 टन प्रतिहर्ष है।

**प्रस्ताव के साथ सलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी** – परियोजना प्रस्तावकृ द्वारा सत्तारण पत्रक खदान (गोपनीय संचालन) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत वीरे गई हैं—

1. गाम पश्चायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्तराधिन के संबंध में गाम पश्चायत राजपुर का दिनांक 30/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्तराधिन योजना – क्षेत्री प्रान्त विधि प्रोमोशन एवं प्रत्याजर प्रान्त एफड इन्डियारेसेंट मैनेजमेंट खदान प्रस्तुत किया गया है जो सभि अधिकारी ज़िला-तहसील बहसर वायन द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्षेत्री प्रान्त की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. 500 मीटर की परिधि में रिक्षत खदान – काशीलय कलेक्टर (गोपनीय जारी) ज़िला-धमतरी के आपन क्रमांक 1149/अस्थायी अनुद्दा/अनु./2019 प्रमतरी दिनांक 04/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवैधित अथवा सुदानों की संख्या निरंक है।
4. काशीलय कलेक्टर (स्थानीय जारी) ज़िला-धमतरी के आपन क्रमांक 1147/अस्थायी अनुद्दा/अनु./2019 प्रमतरी दिनांक 04/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंटिर, मरुपट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीमट एवं जल आपत्ति आदि प्रतिवर्धित क्षेत्र नहीं है।
5. एल ओडआई काशीलय कलेक्टर (स्थानीय जारी), ज़िला-धमतरी के आपन क्रमांक 980/एनि/अस्थायी अनुद्दा/2019 प्रमतरी दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 06 घाह टेतु हिंद है।
6. काशीलय बनमान्डलाधिकारी राज्यान्वय वनमान्यता ज़िला-धमतरी के आपन क्रमांक/मापि/जी/3813 धमतरी, दिनांक 06/08/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भैंड गन भूमि की रीमा से 500 मीटर से अधिक दूरी पर है।
7. फ़िल्स्ट्रीकट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत वीरे गई है।
8. निकटतम आवादी गाम-राजपुर 0.5 कि.मी. एवं स्फूल गाम-राजपुर 0.5 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 30 कि.मी. दूर है। नहानदी 1.5 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावकृ द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अवरोक्तीय लीमा, राष्ट्रीय उद्धान, अन्यान्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित फ़िटिकली पॉल्यूटर एवं पार्टिश्यलिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवशिल्पिता क्षेत्र स्थित नहीं हावा प्रतिवेदित किया है।
10. परियोजनाप्रस्तावकृ दिल्ली लगभग 132.103 टन माईनेटल रिपोर्ट 84.374 टन एवं लिफ्टहैवल रिपोर्ट 78.937 टन है। लौज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर (0.278 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। आपन काल्पन संसी मैक्साइज़ल पिंपी की

उत्तराखण्ड किया जाएगा। उत्तराखण्ड की प्रस्तावित अधिकातम गहराई ८ मीटर है। जारी मिटटी की गहराई ०.५ मीटर है। बेच की ऊंचाई १.५ मीटर एवं चौड़ाई १.५ मीटर है। तीक हेलर से डिलिंग एवं बन्डोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु १ वर्ष है। यांचार प्रस्तावित उत्तराखण्ड का विवरण निम्नानुसार है—

बंध	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्तराखण्ड (टन)
प्रथम बंध प्रथम बंध	1,920	१.५	२,९८०	१४,६३०
प्रथम बंध द्वितीय बंध	६,७५०	१.५	९,४८७	२८,३४५
प्रथम तीसरी तृतीय बंध	६,१५०	१.५	९,२१५	२४,३४०
प्रथम बंध अनुर्ध्व बंध	६,०००	१.५	९,३०२	२२,४१७

**टोट:** तालिका में दरामलव के बाद की अंकी का रातांड़बीज किया गया है।

११. प्रस्तावित कार्य हाँगु आवाहक जल की गाजा १० घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति रखय के दगृष्ठ ऐल नो की जाएगी। खदान में आयु प्रदूषण नियन्त्रण हाँगु जल का छिड़काय किया जाएगा।
१२. लौज क्षेत्र के आसी और ७.५ मीटर खुले क्षेत्र में ७०० मग पुकारीधण किया जाएगा।
१३. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति रांबंधी प्रिवरण— इस खुदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

**दैर्घ्यकों का प्रिवरण—**

**(अ) समिति की ३०४वीं बैठक दिनांक १२ / १२ / २०१९:**

समिति हाँगु प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा उत्तमाय सर्वेसाम्मति से विनानुसार निर्णय लिया गया था—

१. अनुमोदित भाईनिंग प्लान को अनुमोदन किये जाने के संबंध में जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
२. मालत रारकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी नई दिल्ली के ओएम दिनांक ०१ / ०६ / २०१८ के अनुसार गोईआर (Corporate Environmental Responsibility) हाँगु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
३. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त रासगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यात्म फोटोएफस) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हाँगु निर्दिशित किया जाए।

तानुसार परियोजना प्रस्तावक जो एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक १३ / ०१ / २०२० हाँगु प्रस्तुतीकरण हाँगु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की ३०६वीं बैठक दिनांक १७ / ०१ / २०२०:**

प्रस्तुतीकरण हेतु जी.डी. जायसवाल, अधिकात प्रतिनिधि उपसेक्वेंट हुए। समिति हाँगु प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पति पाई गई—

१. उत्तराखण्ड योजना — मार्टिनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिनि अधिकारी जिला-उच्च कार्डोर के आपन जनांक ७४९(ए) / नमिज / उत्तराखण्ड अनुमोदित / रेत / २०१९-२० कार्कोर दिनांक ०३ / १२ / २०१९ हाँगु अनुमोदित है।

2. भाग्योदयित 500 मीटर की परिधि में स्थित खादान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के इलायन छानाक 85/अस्थाई अनुच्छा/अनु/2020 धमतरी दिनांक 17/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में खदान है जो एवं डी. जिसका लासर छानाक 1861 एवं प्रत्येक जन रक्काका 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए भी सीधातिक लौकिक जारी हुई है। अतः आवेदित खदान से 500 मीटर की ओर स्थीरता / संबंधित अन्य खदानों की संख्या निम्न है।
3. माननीय एमजीटी, बीसीपल बेव, नई दिल्ली द्वारा सत्येन्द्र पाण्डेय निरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, यन और जलवायु परिवर्तन बचाव नई दिल्ली एवं कर्ना (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित भारत में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
4. भारत सरकार, पर्यावरण, यन और जलवायु परिवर्तन बचाव, नई दिल्ली द्वारा एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा समिति के सम्मानित रूप से उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Following activities at Nearby Government School				
Rs. 40.40	2%	Rs. 0.80	Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Running water facility for toilets	Rs. 0.25
			Fencing & Plantation work	Rs. 0.15
			Total	Rs. 0.80

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा दिसम्बर प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यालय सहित का विवरण) एक नाह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी द्वारा इलायन छानाक 85/अस्थाई अनुच्छा/अनु/2020 धमतरी दिनांक 17/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में खदान है जो एवं डी. जिसका लासर छानाक 1861

एवं प्रत्येक ज्ञान रक्षा १ हेवटेयर क्लेच की लिए मी सीमातिक स्थीकृति लाई गई है। अत आवेदित खदान से ५०० मीटर के मीलर स्थीकृत / सनातित अन्य खदानों की सांख्या निरंक है। आवेदित खदान (याम-राजापुर) का इक्का १ हेवटेयर है। खदान की सीमा से ५०० मीटर की पश्चिम में स्थीकृत / सनातित खदानों का कुल होकरहल ५ हेवटेयर से ज्ञान होने के कारण यह खदान की २ शंखी की मात्री गयी।

- 2 समिति द्वारा बियार गिमरी उपनांत नावेसमति से पास-राजसुर तहसील-मगदलोड जिला-धनाशे रिप्टा पाट लौक घरसरा कमाक 1861. मुख होतफाल-१ हैठेपर सावारण पश्चिम लावान (गोण खणिज) उत्तराम लागता-84.345 टन प्रतिवर्ष हुए पर्यावरणीय त्वचाकृति दिए जाने वाली अनुशासा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में घोषित - उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक  
14/02/2020 को संघन 94वीं बैठक में घोषित किया गया। प्राधिकरण द्वारा भस्ती  
का अवलोकन किया गया। घोषित घिमट उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा सदरमंहिति से  
समिति की अनुशासा को मीकाप करते हुये शाम-राजपुर, लहसील-मगरलोड,  
लिला-चमत्री स्थित पाटे औंक छत्तीका क्रमांक 1861, चुल लोडफल-1 हैटेयर  
साधारण परिवर बुदान (गोण लग्निया) उत्तराखण अस्ती-84 345 इन प्रतिवर्षे इन  
प्रतिवर्षीय रूपोंकीति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय रखी करति जाएगी किया जाए।

६. गेसरी व्ही गोगोडा चन्दनारू (मुळियाळीह सोण आईन, पाम—मुळियाळीह, तहसील ने जिला—महाराष्ट्र), ऐलो रटेशन रोड, जिला—महाराष्ट्र (समिक्षालय का नमस्ती क्रमांक 1050)

अौनलाईन आवेदन - प्राप्तिग्रहण - इसआईए / सीजी / एमआईएन/  
129937 / 2019 दिनांक 07 / 12 / 2019।

खदान को आवादत उत्तराखण्ड विधान सभा ने यहां प्रस्तावक द्वारा देश खदान प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा देश खदान (भीज खुमिज) के वर्द्धनशील लौकिक हाल आवेदन को राष्ट्रीय मुख्य रूप से भिन्न प्रमाण पत्र संबोध किये गये हैं—

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र) जिला-महाराष्ट्र के द्वापन शमाक 1670/क/रेत/नक्का/2019 महाराष्ट्र दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवोदित खदान से 500 मीटर अपरिवर्तत अन्य रेत खदानों की सत्त्वा निराक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र) जिला-महाराष्ट्र के द्वापन शमाक 1670/क/रेत/नक्का/2019 महाराष्ट्र दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होते हीसे मटिर सराहन, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, झील, एमीनांट इत्यत जल आपूर्ति आदि प्रतिबन्धित होते निर्मित नहीं हैं।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-महाराष्ट्र के द्वापन शमाक 1679/ख.लि./रेत नीलामी/नक्का/19 महाराष्ट्र दिनांक 09/10/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी क्षमिता 2 वर्ष होता है।
7. कार्यालय दनमण्डलाधिकारी सामान्य उन्नतीकरण जिला-महाराष्ट्र के द्वापन शमाक/माचि/4109 महाराष्ट्र दिनांक 01/08/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवोदित भूमि बन्धोत्त से लगभग 3.5 किमी दूर है।
8. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलपान परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिकारिता दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित घारप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट District Survey Report की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. निकटस्थ आवादी घास-गुडियाडीह 25 किमी, सकूल घास-पांडिद 255 किमी एवं अस्पताल सिस्पुर 11 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 234 किमी एवं राज्यमार्ग 1247 किमी दूर है।
10. परियोजना प्रवतावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अतरोडीय सीमा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अभयासम्पद, केन्द्रीय प्रदूषण विवरण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिविवितीय संवेदनशील होते थे घोषित औचित्रिता होते स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
11. आवेदन अनुसार खनन रथ्यल पर नदी को घाट की ओर - 1200 मीटर तथा खनन रथ्यल की ओर - 160 मीटर दर्शाई गई है।
12. आवेदन अनुसार रथ्यल पर रेत की गहराई - 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग फ्लान अनुसार खदान में माईनोफल रेत की मात्रा - 81.000 मनमीटर है। नदीतट के परिवर्ती किनारे में 775 मीटर एवं पूर्वी किनारे में 185 मीटर छोड़ा गया है।

#### बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकल्प की भवती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा जलमान सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलपान परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओर दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रत्याप प्रस्तुत किया गया।

2. खानि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी बाहु की बैठक में उपरोक्त समस्या सुझावत जानकारी / दरसावेज (अद्वातन कोटीयापत्त) राहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णामद के द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी योगेश घटनाकृत प्राप्ताईटर एवं भी जिलेन्ट बढ़ाकर खानि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अनेकोंकर एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाइ गई-

1. पूर्व में सरपञ्च, गाम पत्तायात पासीद (गाम-मुड़ियाडीह) के नाम से रेत उत्तराम सुमरा छामाक 338, बोडफल 4.8 हेक्टेयर क्षमता - 48,000 घनमीटर प्रतिघण्ठे हेतु जिला रत्नाय पर्यावरण उन्नतीकरण नियामन प्राप्तिकरण, जिला-महासमुद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/09/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 01 अप्रैल की अवधि हेतु जारी किया गया था।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गांद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की आधार पर विभाग वार्ष में किए गए उत्तरामन की वास्तविक माज़ की जानकारी कार्योलय कलेक्टर (खानिज शास्त्रा), जिला-महासमुद के द्वारा छामाक 105/क/रेत/न.प्र./2019 महासमुद दिनांक 17/01/2020 द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वर्ष 2018 (दिनांक 18/09/2018 से 31/12/2018) में 10,758 घनमीटर एवं वर्ष 2019 (दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019) में 28,558 घनमीटर रेत का उत्तरामन किया गया है।
4. रेत उत्तरामन हेतु प्रस्तावित रूपल पर प्रति हेक्टेयर 4 दिनुओं का ग्रिड इनालम वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) दिनांक 11/11/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) सेवार, उन्हें खानिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरात कोटीयापत्त राहित जानकारी/दरसावेज प्रस्तुत किया गया है।
5. रेत उत्तरामन हेतु प्रस्तावित रूपल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गद्दा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई वा मापन कर खानिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्तरामन हेतु प्रस्तावित रूपल पर 5 गद्दा Pit खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 4 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पर्यावरण भी प्रस्तुत किया गया है।
6. रेत उत्तरामन मेयुआल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलयात् परिवर्तन नियालय, नई दिल्ली के ओर एम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समक्ष विस्तार से वर्षी उपरात निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 29.72	2%	Rs. 0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Mudiyadah	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.70
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.22
			<b>Total</b>	<b>Rs. 0.92</b>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि रोड़ीज़ेर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक बाह में प्रस्तुत किया जाए।

३. परियोजना प्रस्तावक द्वारा २ गोटर की यहराई तक उत्तरानन ली आनुमति मांगी है। अनुमतिदित उत्तरानन योजना में उत्तरानन किए जाने वाले झोड़ की अधिक रेत पुनर्भव संबंधी उद्ययन कार्य एवं उत्तराननी आवकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी खड़ी नदी है तथा इसमें उच्चाकाल में सामान्यतः 1.5 गोटर यहराई से अधिक रेत का पुनर्भव दोने की समावानना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- आवेदित खदान (प्राम-गुडियाडीह) का वाया 4.8 हेक्टेयर है। खदान की ग्रीमा से 500 गोटर तीरी परियोजने में स्थानित खदानों का कुल ढोकान 5 हेक्टेयर से अधिक का उत्तरानन निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान ली-२ खेती की मानी गयी।
- प्राणमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग और 500 नग ऊपर के पीछे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बास, आम आदि) पीछे लगाए जायें। इसके अतिरिक्त याम पंचायत द्वारा चिनावित झोड़ पर बूकारीया विद्या जाएगा।
- परियोजना प्रस्तावक रेत खदान झोड़ में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाँव ऊत्तरान (Station Study) जायेगा। ताकि रेत के पुनर्भव (Replenishment) बाबत यह आकड़े रेत उत्तरानन तट नदी, नदीतल, स्थानीय बनस्पति जीव एवं सूखे तीव्र पर प्रभाव तथा नदी की गुणवत्ता पर रेत उत्तरानन के प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो सके।
- रेत पुनर्भव की विधति को अंकत्वा हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाह मई 2020 के अंत में मानसून पूर्व (रेत उत्तरानन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित गिरु विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पारस्ट-मानसून में (रेत उत्तरानन प्राप्ति करने के पूर्व नह अंकुड़र) इनी गिरु विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पारस्ट-मानसून के आवाह दिवसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून

में अंतर्गत वर्ष 2020-2021-2022 तक अनिवार्य रूप से एसईआईएस छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायें। रेत सतह के पूर्व नियांसित पिण्ड विन्दुओं पर रेत सतह की लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक नियंत्रित किया जाएगा।

3. समिति द्वारा विचार दिमांड उपरात सर्वसम्मति से भी योगेश चन्दनाहु मुदियाढीह संघट बाईन को लाला कमाक 338 गाम-मुदियाढीह, तहसील व जिला-महारामुद, कुल लीज लीज 4.8 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकातम 1.5 मीटर की महराई तक सीमित रखते हुए कुल 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशासन की गई। रेत की खुदाई अभियान द्वारा (Manually) की जाएगी। रिक्वेट में भारी बाहनी का प्रवेश प्रतिवर्धित होगा। लीज लीज में लियत रेत खुदाई गद्दे (Excavation pits) से लोडिंग पार्क्टर तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार —** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को रापन 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नरसी का अबलोकन किया गया। दिनांक दिमांड उपरात प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से लियति भी अनुशासन को स्थीकार करते हुये भी योगेश चन्दनाहु मुदियाढीह संघट बाईन को लाला कमाक 338 गाम-मुदियाढीह, तहसील व जिला-महारामुद, कुल लीज लीज 4.8 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकातम 1.5 मीटर की महराई तक सीमित रखते हुए कुल 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्भय लिया गया।

| । परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

7. मेरामं भी योगेश चन्दनाहु (पासीद संघट बाईन, गाम-पासीद, तहसील व जिला-महारामुद), रेलवे रेलेशन रोड, महारामुद (राजिवालय का नरसी कमाक 1051)

**ऑनलाइन आवेदन — प्रयोगस नमून — एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 130283/2019 दिनांक 07/12/2019।**

**प्रस्ताव का विवरण —** यह प्रस्तावित रेत खदान (सीण खनिज) है। यह खदान गाम-पासीद, तहसील व जिला-महारामुद रिच्युल खासा कमाक 01, कुल लीज लीज 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—81,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**प्रस्ताव के साथ रालग्न मुख्य प्रमाण पत्र —** वरियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गोण खनिज) को पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र-संलग्न किये गये हैं—

1. गाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन के संबंध में गाम पंचायत पासीद का दिनांक 28/03/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हाकित / सीमाकित — कांगलय कलेक्टर खनिज शाला से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित / सीमाकित का प्रमाणित है।

3. उत्तराखण्ड योजना – माझुनिम प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप सचिवालय (एप्र), सचिवालयालय, भौमिकी तथा खगोलिकम् ऊतीरणांगठ के आधार क्रमांक 9664 / खानि०२ / रेत (खदान) / नं.क्र.३२४ / २०१९ नवा राष्ट्रपुर अटल नम्र. दिनांक ०२ / १२ / २०१९ द्वारा अनुमोदित है।
4. ५०० भीटर की परिधि में स्थित खदान – काशीलय कलेक्टर (खभिज शासा) जिला-सभातारी के आधार क्रमांक १८७१ / क / रेत / नं.क्र. / २०१९ महासमुद्र दिनांक १८ / ११ / २०१९ के अनुसार आवेदित खदान से ५०० भीटर के भीतर अविद्यालय रेत खदानों की संख्या विद्या है।
5. काशीलय कलेक्टर (खभिज शासा), जिला-सभातारी के आधार क्रमांक १८७१ / क / रेत / नं.क्र. / २०१९ महासमुद्र दिनांक १८ / ११ / २०१९ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के २०० भीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक सेवा जैसे भवित्व, मरणपट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, बीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति अवृद्धि प्रतिवर्धित होने विरोध नहीं है।
6. एसओआई काशीलय कलेक्टर (खभिज शासा), जिला-महासमुद्र के आधार क्रमांक १६७० / ख.लि. / रेत भीलामी / नं.क्र. / २०१९ महासमुद्र दिनांक ०९ / १० / २०१९ द्वारा जारी की गई जिलामी अवधि २ वर्ष होने चाहे है।
7. काशीलय उनमण्डलामिलारी, समाजव्य इनमण्डल जिला-महासमुद्र के काशीलय क्रमांक / का.वि. / ४१०७ महासमुद्र दिनांक ०१ / ०८ / २०१८ को जारी अनांगता प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि उनको तो लगभग ३.५ कि.मी. दूर है।
8. गारात सरकार, पर्यावरण, चन और जलवायु परियोजने मंत्रालय नहीं दिल्ली की अधिसूचना दिनांक २५ / ०७ / २०१८ द्वारा विद्यित प्राचय में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत ही गई है।
9. निकटतम आवादी राम-पासीद १.२ कि.मी., सफूल राम-पासीद १.५ कि.मी. एवं अस्पताल सिरपुर १०.२ कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग २२१५ कि.मी. एवं राज्यमार्ग १२९ कि.मी. दूर है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा १० कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय रुद्धान अभयालय, धैन्दीय छद्यपण नियन्त्रण कोई द्वारा भीषित किटिकली पील्हुड़ी लहरिया, पारिसंविधिवीय संवेदनशील छेंब या भीषित जीवविविधता ओड रिप्पा भीड़ होना प्रतिवेदित किया है।
11. आवेदन अनुसार खमन स्थल पर नदी के पाट की औडाई – ९१० मीटर तथा खमन स्थल की औडाई – १६० मीटर दर्शाई गई है।
12. आवेदन अनुसार रथ्यल पर रेत की महाई – ४ मीटर तथा रेत खमन की प्रस्तावित गहराई – २ मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माझुनिम प्लान अनुसार खदान ने माईनेश्वर रेत की मात्रा – ८१,६०० एकड़ीटर है। नटीतट के परिचमी किनारे में ६२५ मीटर एवं पूरी किनारे में १०८ मीटर छोड़ा गया है।

वैठकों का विवरण –

(अ) समिति की ३०४वीं वैठक दिनांक १२ / १२ / २०१९:

समिति द्वारा प्रकारण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्सम्बन्ध सर्वेसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

- भारत सरकार पर्यावरण एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रताव प्रस्तुत किया जाए।
- खानि नियोजक लाला परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपराज्य समरप सुसमाप्त जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोचाप्सी) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार खानि नियोजक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. राजीवागढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (n) रामिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेश बन्दनाहु प्रबराइटर एवं श्री जितेन्द्र चडाकर खानि नियोजक उपसिंधि हुए। रामिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अध्यलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- पूर्व में सरपते द्वारा प्रवायत यात्रीद के नाम से रेत उदान लासरा क्रमांक 01, शब्दांक 4.8 हेक्टेयर, क्षमता-48,000 घनमीटर प्रतिघण्ठे हेतु गिला रत्नप पर्यावरण सम्पादन निधीरण प्राधिकरण, गिला-महासमुद्र द्वारा पर्यावरणीय स्तीकृति दिनांक 18/09/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्तीकृति के साती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। याद अव्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्तीकृति के आधार पर दिग्नत यष्टि में किए गए उत्थनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खानिज यात्रा) गिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 104/क/रेत/न.अ./2019 महासमुद्र दिनांक 17/01/2020 द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार एवं 2018 (दिनांक 18/09/2018 से 31/12/2018) में निरक्षण एवं वर्ष 2019 (दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019) में 46,310 घनमीटर रेत का उत्थनन किया गया है।
- रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 घनमीटर का गिला बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 11/11/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खानिज विभाग से प्रमाणीकरण तापयात फोटोचाप्सी सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
- रेत उत्थनन में हेतु प्रस्तावित स्थल पर इतने की गहराई रेत सतह की गहराई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक ग्रदक्षा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खानिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 ग्रदक्षा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई जापने के आधार पर यात्रामें में रेत भी उपलब्ध भोटाई 4 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु यात्रामें भी प्रस्तुत किया गया है।
- रेत उत्थनन मैनुअल विधि से एवं भोटाई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
- भारत सरकार पर्यावरण एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु नियोजक लाला परियोजना प्रस्तुत किया जाए।

Responsibility) हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव दी जाए उपरात निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)		
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)	
Rs. 28.54	2%	Rs. 0.57	Following activities at Nearby Government Medium School Village-Pasid Rain Water Harvesting System Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.80 Rs. 0.22	<b>Total Rs. 1.02</b>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिशित किया गया कि गोदूड़ अव (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्तुत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मिली है। अनुमतित उत्खनन प्रोजेक्ट में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की परिपेक्षा तथा पुनर्भरण सबकी आवश्यक कार्य एवं तत्त्वावधी आवकड़ी का समावेश नहीं किया गया है। बहानी कही जाती है कि इसमें विवाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई की अधिक रेत का पुनर्भरण होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विवार विमर्श उपरात सर्वसम्मिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवादित खदान (गाम-पासोद) की चौपाई 4.8 हेक्टेयर है। खदान की लंबाई 500 मीटर की परिपेक्षा में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का फलस्वरूप नहीं होने के कारण यह खदान दी-2 खंडी की नामी नहीं।
2. प्राचार्यिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पांची - 500 नग अन्तर्मुखी की पोषण तथा शाय 500 नग (जामुन, बरंज, बास, आम आदि) पोषण लगाए जायें। इसके अतिरिक्त एउम प्रधारण द्वारा विनाशित क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में जागामी 1.5 वर्ष में प्रस्तुत माद आवश्यक (Situational Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) वावत जाती आवकड़े रेत उत्खनन का नदी, नदीताल, रुदानीय वनरपति एवं एत गृहम जौनों पर प्रभाव (एवं नदी के पानी की मुण्डता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की जाती आवाकासी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनर्भरण की विधि के अवलम्बन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा मात्र नहीं 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन जागाम होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित शिव दिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी द्वारा पारं-मानसून में रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व मात्र अफ्टर्टर) इन्हीं शिव दिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

जाएगा। पीसट-मानसून के आधिको दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं प्रौ-मानसून के आधारे अगरत 2020, 2021, 2022 तक अग्रिमत्व रूप से एसडॉआईएए-एस्टीसीएड को प्रस्तुत किए जायेंगे। ऐसा सतह के पूर्व निर्णायिता मिहिल विन्दुओं पर ऐसा सतह के लेवल्स (Levels) का मापन तक कार्य आगामी 3 वर्ष तक निश्चय किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विभाव विमर्श उपरात सर्वेसम्मति से श्री योगेश बनद्वारा, पारीद सोणड माईन को खसरा क्रमांक 01, ग्राम-पारीद, तहसील व ज़िला-महाराष्ट्र यह तक लीज सोन्ड 4.8 हेक्टेयर में ऐसा उत्त्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए युक्त 72,000 मनमीटर भ्रित्वा हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशासा की गई। ऐसा शुद्धार्थ अभियान द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश भ्रित्वा रहेगा। लीज सोन्ड में स्थित ऐसा खुदाई गढ़ (Excavation pits) से लोडिंग प्लाईट तक ऐसा का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार -** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरात प्राधिकरण द्वारा सर्वेसम्मति से समिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुये श्री योगेश बनद्वारा, पारीद सोणड माईन को खसरा क्रमांक 01, ग्राम-पारीद, तहसील व ज़िला-महाराष्ट्र कुल लीज सोन्ड 4.8 हेक्टेयर में ऐसा उत्त्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए युक्त 72,000 मनमीटर भ्रित्वा हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का नियम लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक और पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

8. मेसास श्री तस्म गोधी आडिनरी रटोन कपारी, ग्राम-हैदरालकोटी, तहसील-छुरिया, ज़िला-राजनांदगांव (साविकालय का नस्ती क्रमांक 933)

ओनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 40438 / 2019 दिनांक 01/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ओनलाईन आवेदन में उल्लिखित होने से इग्यन दिनांक 31/08/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घासित जानकारी दिनांक 09/12/2019 को ओनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गोण लमिज) खदान है। खदान ग्राम-हैदरालकोटी, तहसील-छुरिया, ज़िला-राजनांदगांव स्थित पाठौ ओफ लासरा क्रमांक 532 कुल फ्लैटकल - 2024 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की लांबाई उत्तरानन क्रमता - 50,000 टन प्रतिवर्षीय (31,250 मनमीटर भ्रित्वा) है।

प्रस्ताव के साथ सलम्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी - परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधारण पत्थर खदान (गोण लमिज) के पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के

1. ग्राम पंचायत का अनापत्रित प्रमाण पत्र - उत्तरानन के सर्वांग में ग्राम पंचायत हैदरालकोटी दिनांक 28/01/2012 का अनापत्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. उत्तरानन योजना - भौदिकाईड कपोरी लान प्रस्तुत किया गया है जो उप सचालक (राजनीप्रश्ना) ज़िला-रायपुर के इग्यन क्रमांक 1503(3) / खाति

/ तीम-१ / क्र.यो.अनु. / 2018 रायपुर, दिनांक 24/01/2018 द्वारा अनुसारित है।

3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खण्डिज शास्त्र) जिला-राजनाडगांव के ज्ञापन इमारत 2552 / ख.सि.02 / 2019 राजनाडगांव दिनांक 17/10/2019 के अनुसार आवंदित खदान से 500 मीटर के भीतर अपरिपत्त अन्य खदानों की संख्या निम्नक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खण्डिज शास्त्र) जिला-राजनाडगांव के ज्ञापन इमारत 2552 / ख.सि.02 / 2019 राजनाडगांव दिनांक 17/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उपल खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी कार्यालयिक छोड़ जैसे नदिर, मनधट अस्पताल, खुले पुल वा एनीकट एवं जल आपूर्ति वाली प्रतिबंधित छोड़ नहीं है।
5. लीज छोड़ वी तरुण गांवी लो नाम पर है जिसकी आवधि दिनांक 02/06/2012 से दिनांक 01/06/2022 तक स्वीकृत है।
6. कार्यालय बनमण्डलालिकारी राजनाडगांव बनमण्डल जिला-राजनाडगांव के ज्ञापन छान्दक / ख.सि. / 10-1 / 2249 राजनाडगांव दिनांक 06/03/2012 का जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंदित छोड़ वन भूमि की सीमा से 1.125 कि.मी. दूर है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आवादी जलसंग्रहालय 15 कि.मी. एवं अस्पताल जलसंग्रहालय 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रत्याकाक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतरोच्चीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग अस्पताल, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा घोषित लिटिकली पॉल्यूटेंशनिंग वार्ड, परियोजनातीय संघरणसीमा छोड़ वा घोषित जैसारोकाला छोड़ स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलीजिकल रिजर्व लगभग 3,49,747 टन, माउनेवल रिजर्व 2,89,421 टन एवं रिफ्लेक्टर रिजर्व 2,74,950 टन है। लीज छोड़ के चारों ओर 7.5 मीटर (20.05 फॅटेयर) खुले छोड़ मार्ग है। ओपन कार्स्ट रोमी मैकेनाइज्ड लिपि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रत्यावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। ये वे की क्षमता 3 मीटर एवं बोर्डर 3 मीटर है। खदान की संख्या आयु 6 वर्ष है। वर्षावार प्रत्यावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है -

बर्थ	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,000
द्वितीय	50,000
तृतीय	50,000
चतुर्थ	50,000
पात्तम	50,000

11. प्रत्यावित कार्ये उत्तु आवश्यक जल की सांख्य 8 मानसीटर प्रतिदिन होती। जल की आपूर्ति तालाब से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियन्त्रण उत्तु जल का नियन्त्रण किया जाएगा।
12. लीज छोड़ के पाठी ओर 7.5 मीटर खुले छोड़ से 100 नग खालीरोपण उपाय तथा 20 वर्ष की किया जाएगा।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय रद्दीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय रद्दीकृति जारी नहीं की गई है।

#### बैठकों का विवरण—

##### (अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019

समिति द्वारा प्रकल्प तो नहीं एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तराधीय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- पूर्व में अनुमोदित मार्डमिंग प्लान (खदान से उत्तराधीन प्रासान के साथ अनुमोदित मार्डमिंग प्लान) की छटि प्रस्तुत की जाए।
- अनुमोदित मार्डमिंग प्लान में अनुमोदन से गिन्न का मार्डमिंग लीज हेत्र में अलग / और उत्तराधीन क्षमता से दभी किसी भी प्रकार की गुटि की गई है अथवा नहीं? स्पष्ट की जाए। यदि ही तो पूर्ण विवरण ही जाए।
- पूर्वोत्तर अनुमति की प्रति एवं उत्तराधीन प्रासान करने की तिथि की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- उत्तराधीन प्रासान करने की तिथि से वर्षाचार अद्यतन रिपोर्ट में उत्तराधीन समिति की घाज की खानिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- यह स्पष्ट किया जाए कि यहांमान में उत्तराधीन संचालित है अथवा बद? यदि उत्तराधीन बद है तो उत्तराधीन बद होने की तिथि सहित खानिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- लौल रोमा री मिकटटम एवं डोड की वास्तविक दृश्य संबंधी जानकारी हेतु उन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- मास्त सरकार, वर्षाचार, एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक की आगामी बाह की बैठक में उपरोक्त समस्त मुद्रण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक के एसडॉएसी उत्तीर्णगढ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

##### (ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की तरफ गांधी, प्रोपर्टीटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर गिन्न रिपोर्ट पाई गई—

- मानवीय इनकी दो, ट्रैसियल देश नहीं दिल्ली द्वारा सत्येन्द्र पाल्लोच विकल्प मास्त सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एजिकेशन न 186 ओफ 2016 एवं 3न्थ) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
  - Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SELAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- मास्त सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment

Responsibility) हातु रायिति के राज्य प्रिवेटर से यही तालिका निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs 30	2%	Rs 0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Haidalkodo Rain Water Harvesting System Fencing and Plantation work	Rs 0.50 Rs 0.10 <b>Total</b> Rs. 0.60

सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित रकून का नाम पता एवं तार्क्यार त्वार्द का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए। रायिति हाता प्रिवेट विभाग उपरांत सर्वेशम्भवि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कायोल्य कलेक्टर (अग्निज शास्त्र), जिला-राजनांदगाड़ के द्वायन द्वायन 2352 / छ लि 02 / 2019 राजनांदगाड़ दिनांक 17 / 10 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 ग्रीटर के भीतर अग्रसित क्षय खदानों की सख्ता निर्धारी है। आवेदित खदान (गाम-हैदलकोडी) का रक्ता 2024 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 ग्रीटर की परियों में रसीकूत/संचालित खदानों का कुल बोरफल ६ हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान दी-२ ओणी की मानी गयी।
- रायिति हाता प्रिवेट विभाग उपरांत सर्वेशम्भवि से गाम-हैदलकोडी तहसील-छुरिया जिला-राजनांदगाड़ विस्तृत पार्ट ऑफ रेसरा गमांक 532 बहुत बोरफल - 2024 हेक्टेयर राजारण पश्चिम खदान (गोण रायिति) उत्तरांन इमारा-50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरता दिए जाने की अनुशासा की गई।

प्राथिकरण हाता बैठक में विचार — उपरोक्त प्राचलण पर प्राथिकरण की दिनांक 14 / 02 / 2020 को रापना छेदी बैठक में विचार किया गया। प्राथिकरण हाता नहीं का अदलोबान लिया गया एवं पाया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना में प्रति की आपूर्ति का स्त्रोत तालाब बताया गया है, यितरम विभ विन्दुओं पर जानकारी रापना नहीं हो रही है—

- तालाब सार्वजनिक है अथवा निजी स्वयंसेवा का है?
- सार्वजनिक तालाब के जल का उपयोग स्थानीय गामीणी हाता भी किया जाता है। अत परियोजना में तालाब के जल का उपयोग किये जाने से स्थानीय गामीणी के जल की उपलब्धता में कमी होने की संभावना है।
- तालाब में वसी जल्दी में जल का संचयन होता है। गोण जल्दी के दौरान तालाब के जल स्तर में अधिक गमी अवास सुख उत्तर्ने की संभावना है। गोण जल्दी में तालाब के जल की जापूर्ति किया जाना संभवत परीक्ष मही होता है। अत जल की जापूर्ति ऐकलिंग के स्त्रोत से किये जाने पर विचार किया जाना आवश्यक प्रतिपादित होता है।

४. यदि जल आपूर्ति के द्वारा प्रसवान्वयन संबोध उपलब्ध नहीं है तो सार्वजनिक जलाबहुताने की दशा में जल की आपूर्ति जलाबहुताने से किसे जाने के लिए संबोधित याम प्रसवान्वयन का उन्नापनित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त के अधिकार में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त जलवायनमंडल से मिशन लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के आलादे पर पुनः परीक्षण करने उपयुक्त अनुसार से किसे जाने के द्वारा प्रकरण एवं इसकी उत्तीर्णगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का विषय लिया गया। एस है एवं उत्तीर्णगढ़ को लदान्मुखार सुचित किया जाए।

५. मेराजी श्री भूपेन्द्र कुमार यादव (नारी सेण्ट माईन, याम—नारी, तहसील—कुरुद, जिला—धमतरी), न्यू शाही नगर, नरथानी अपार्टमेंट नगर, रायपुर (साक्षिवालय का नम्रती क्रमांक 1052)

ओं नलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ नीजी / एसआईए/ 130539 / 2019 दिनांक 10 / 12 / 2019।

प्रसवाव का विवरण — यह प्रसवान्वयन रेत खादान (गोप खण्डिज) है। यह खादान याम—नारी, तहसील—कुरुद, जिला—धमतरी मिशन लदान क्रमांक 3449, कुल लौज हो ५.४९ एकड़ेर में प्रसवान्वयन है। उत्तरान्म महानदी से विषय जाना प्रसवान्वयन है। खादान की अवधित जलान्म मामता—१.२४.७९७ घनमीटर प्रतिवारे है।

प्रसवाव के साथ सलग्न मुख्य प्रमाण पत्र — परियोजना प्रसवावक द्वारा रेत खादान (गोप खण्डिज) के पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य काय से निम्न प्रमाण पत्र सलग्न किये गये हैं:-

१. याम प्रवायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्तरान्म के साथ में याम प्रवायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।
२. चिन्हांकित/ सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर खण्डिज शास्त्रा से आप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खादान चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित है।
३. उत्तरान्म योजना — माईनिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो लो खनि अधिकारी जिला—तह जाकेंद्र द्वारा अनुमोदित है। परंतु अनुमोदित माईनिंग द्वारा यह जायता पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबोधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
४. ५०० मीटर की परिधि में स्थित खादान — कार्यालय कलेक्टर (खण्डिज शास्त्रा) जिला—धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1251 / खण्डिज / निविदा / 2019 धमतरी, दिनांक 07 / 12 / 2019 की अनुसार आवेदित खादान से ५०० मीटर की भीतर अवधित अन्य रेत खादानी यी सहज निरूप है।
५. कार्यालय कलेक्टर (खण्डिज शास्त्रा), जिला—धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1349 / खण्डिज / निविदा / 2019 धमतरी, दिनांक 07 / 12 / 2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खादान के २०० मीटर की परिधि में कोइं भी सार्वजनिक होते तैसे गढ़िर मरणघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, छीज, एनीकाट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
६. एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खण्डिज शास्त्रा), जिला—धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1229 / खण्डिज / निविदा / 2019 धमतरी, दिनांक 07 / 12 / 2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि ०६ माह हेतु देत है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्राकृप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आवादी गाम-नामी 0.91 किमी, सफूल गाम-नामी 1.35 किमी एवं अस्थान गामपारा 7.25 किमी जी दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1265 किमी एवं राज्यमार्ग 8.95 किमी दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अतिरिक्तीय सीमा राष्ट्रीय उद्यान, अभयाशण्य, केन्द्रीय प्रदूषण मिशन बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पील्युटड एरिया, पारिस्थितिकीय संयोगशील होते या धौपित औषधियिकता होने स्थित नहीं होना प्रतियोगिता दिया गया है।
10. आवेदन अनुसार छनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - 920 मीटर तथा छनन स्थल की चौड़ाई - 122.35 मीटर दर्शाई गई है।
11. आवेदन अनुसार स्थल पर देत की गहराई - 4 मीटर तथा रेत लग्न की प्रत्याविता गहराई - 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुसार छनन में माईनेकल देत की गाज़ा - 1.24.787 मनमीटर है। नदीतट की परिवर्ती जिनारे में 60 मीटर एवं फूडी किनारे में 650 मीटर तक छोड़ा गया है।

#### बैठकों का विवरण -

##### (अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रयोग की नामी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्त्वात्मक सर्वसम्मति से निमानुसार निर्णय लिया गया-

1. गाम पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण एवं प्रस्तुत किया जाए।
2. अनुमोदित माईनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का जावक पञ्च क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु उत्खापित स्थल पर इति हेक्टेयर 4 दिनुओं का शिव बनाकर बर्हमान में देत सतह के लेवल्स Levels लेकर उन्हें खनिज लियागे से प्रगतीकरण उपरांत कोटीयास्त सहित जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाए।
4. सीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयाशण्य हेतु जी यास्तपिक दूरी संबंधी जानकारी हेतु गम जिमान तो जारी अनापत्ति प्रमाण पञ्च प्रस्तुत किया जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खामी जिरीकाक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसमग्र जानकारी / दस्तावेज़ (उत्खन कोटीयास्त) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

आगामी दाने निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

##### (ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमरावती अवायान अधिकृत परिमिति एवं श्री लिंगाराम कुलार्या  
जानि भिरोडाक दृपरिषद द्वारे। समिति द्वारा सही प्रस्तुत प्राप्तकारी का अवलोकन एवं  
प्रीत्याग करने पर निम्न विधति पार्ह गई—

1. शाम पंचायत का अभासित प्रमाण पत्र — रेत उत्थानम के साथ मे शाम  
पंचायत जारी कर अभासित प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।
2. उत्थान योजना — याइनिंग प्लान प्रस्तुत विज्ञा गया है औ जानि अधिकारी  
जिला—ज़िले का प्राप्त जमाक 860 / खनिज / उत्थान योजना  
/ रा / 2019-20 कार्यक्रम दिनांक 06 / 01 / 2020 द्वारा जन्मोदित है।
3. कार्यालय जमानाहताधिकारी समान्य बनमण्डल, जिला—प्रभागी के प्राप्त जमाक  
/ मायि / वी / 233 घमती, दिनांक 17 / 01 / 2020 द्वारा जारी अभासित प्रमाण  
पत्र अनुसार उथल भूमि बनकोज से 45 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य से  
73 कि.मी. दूर है।
4. रेत उत्थानम हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 विन्दुओं का शिल्प प्रताप  
वर्तमान मे फोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) छाता दिनांक 18 / 12 / 2019 को  
रेत सतह तो लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपचार  
फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
5. रेत उत्थानम हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान मे उपलब्ध रेत सतह की मोटाई  
जानने के लिए प्रति हेक्टेयर मे कम से कम एक मढ़ाड़ा (Pit) खोदकर उसकी  
वार्ताधिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की  
गई है। जिसके अनुसार रेत उत्थानम हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 मढ़ाड़ा (Pit)  
खोदकर उसमे रेत सतह की महराई मापने की आपार या तरीमान मे रेत की  
उपलब्ध मोटाई 4 मीटर है। रेत की वार्ताधिक गहराई हेतु पर्याप्त भी प्रस्तुत  
विद्या गया है।
6. रेत उत्थानम मेनुबल विधि से एवं भराव का कार्य लौहर द्वारा कराया जाना  
प्रस्तावित है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाया परिकार ग्रामीण नड़े विली के ओ  
एम दिनांक 01 / 05 / 2018 को अनुसार सीईआर (Corporate Environment  
Responsibility) हेतु समिति के समझ विलार से चयां उपरात निम्नानुसार  
प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 49.82	2%	Rs. 1.0	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Nari	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.85
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.22

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को मिट्टीशुद्धि किया गया कि शीर्षआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह से प्रस्तुत किया जाए।

- परियोजना प्रस्तावक प्राप्ति 3 मीटर की गहराई तक उत्थानम की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्थानम योजना में उत्थानम किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अवधारण कार्य एवं उत्थानम की आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। बहानादी यही नहीं है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई की अधिक रेत का पुनर्भरण होने की वर्णावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- आवेदित खदान (घाम-नारी) का रक्षा 4.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में लीचूल/संधारित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लरटर निमित नहीं होने के कारण यह खदान बी-२ श्रेणी की गणी गयी।
- प्राथमिकता को आधार पर नहीं लेट पर कुल 1,000 नग पीछे - 500 नग अग्रने को पीछे रखा और 500 नग (जामुन, घासें, घास, आम आदि) पीछे लगाए जायें। इसके अतिरिक्त राम यन्त्रायत द्वारा विस्तृत क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
- परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाढ अवधारण (Siltation Study) याचायेगा ताकि रेत को पुनर्भरण (Replenishment) बाबत की आंकड़े रेत उत्थानम का नहीं, नहींतल रसानीय बनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों द्वारा द्वन्द्व तथा नहीं के पानी की सुणवलता पर रेत उत्थानम के प्रभाव की सीधी जानकारी प्राप्त हो सके।
- रेत पुनर्भरण की विधि के अंकमत हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्थानम समाप्त होने के साथ) रेत खदान से पूर्व नियारित शिफ्ट विन्डुओं पर रेत सतह के स्तरवर्ता (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पास्ट-मानसून में (रेत उत्थानम प्रारंभ करने के पूर्व नग अवकुब्द) इन्हीं शिफ्ट विन्डुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 एवं ग्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनियार्य रूप से एसईआईएप्प छत्तीसगढ़ को प्रसुत किय जायें। रेत सतह के पूर्व नियारित शिफ्ट विन्डुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी ३ वर्ष तक नियत रूप से किया जाएगा।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भी भुपेंद्र लुमारे यादव, नारी संषड नाईन को खदान कराक 3449, घाम-नारी, तहसील-गुरुद, जिला-धमती, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में रेत उत्थानम अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखाते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष सेतु पारायरगीय स्लीक्सि जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशासा की गई। रेत की खुदाई अनियोजित द्वारा (Manually) की जाएगी। रिंदर बेंड में भारी वाहनों का प्रवाह प्रतिवर्षित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गहराई (Excavation pits) से लोडिंग प्लाईट तक रेत का परिवहन ट्रैकटर द्वाली द्वारा किया जाएगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर ज्ञाधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को रायगढ़ ३५वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवती का आलोकन किया गया। विचार दिनांक उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुसार सर्वीकार करते हुये श्री भुजेंद्र कुमार यादव, जारी सेष्ट माईन को खट्टरा क्रमांक 3449, याम-नारी, तहसील-कुलद, जिला-धनबाद, कुल लोड की 4.99 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकारम 1.5 मीटर की महसूई तक रोमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया गए।

- मेरास श्री दिव्या उपल (बल्दीहीह सेष्ट माईन, याम-बल्दीहीह, तहसील-पिथौरा, जिला-महाराष्ट्र), परमहश चाड, मुंगेली (न.प.), तहसील व जिला-मुंगेली (संधिवालय का नस्ती क्रमांक 1053)

ऑनलाइन आवेदन – प्राप्तिजल नम्बर – एसआईए/ रीजी/ एमआईएन/ 130318/2019 दिनांक 10/12/2019।

**प्रस्ताव का विवरण –** यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान याम-बल्दीहीह, तहसील-पिथौरा, जिला-महाराष्ट्र क्रमांक 828, कुल लोड की 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन जीक नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आयोदित उत्खनन कमता-39,100 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गोण खनिज) के पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य सापेक्ष क्रमांक कियी गयी है—

- याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – रेत उत्खनन के संबंध में याम पंचायत बल्दीहीह दिनांक 12/08/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- चिन्हांकित/रीमांकित – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार पह खदान चिन्हांकित/रीमांकित कर दीया गया है।
- उत्खनन योजना – भाईंनिंग खदान प्रस्तुत किया गया है, परंतु अनुमोदित भाईंनिंग खदान का यावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक राखी जानकारी
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक 1941/क/रेत/न.क./2019 महाराष्ट्र दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आयोदित खदान से 500 मीटर की परिधि अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक 1941/क/रेत/न.क./2019 महाराष्ट्र दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मदिर, मरघट, अरपताल, स्कूल, पुल, बांध, ढीज, इनीकट एवं गल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
- एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक 1839/ख.लि/रेत नीतामी/2019 महाराष्ट्र दिनांक 13/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी तारीख 06 गाह हेतु पैथ है।

- भारत सरकार, पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्राकृति में हिस्ट्रीकट जारी रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- निकटतम आधारी शाम—सांकरा 0.4 कि.मी., स्वृत्त शाम—सांकरा 0.92 कि.मी. एवं अग्रजताल जगदीशपुर 12.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.35 कि.मी. एवं राजमार्ग 11.2 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की वरिष्ठि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अनुसारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्ति क्रिटिकली पील्युटड एरिया, पारिविवितीकीय संग्रहनशील क्षेत्र या व्यापित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
- आपेक्षन अनुसार रखने रखत पर नदी के पाट की चौकाई – 230 मीटर तथा छानने रखत की चौकाई – 80.65 मीटर दरकाई गई है।
- आपेक्षन अनुसार रखत पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत छानने की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दरकाई गई है। अनुमोदित मार्फनिंग प्लान अनुसार उद्यान में मार्फनेवल रेत की भाँति – 39.100 मनमीटर है। नदीतट के किनारे में 20 मीटर तक छोड़ा गया है।

#### बैठकों का विवरण –

##### (अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार विषय किया गया:-

- अनुमोदित मार्फनिंग प्लान का जापान पञ्च प्रस्तावक एवं दिनांक संघीयी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- रेत उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित रखत पर प्रति हेक्टेयर 4 लिंट्झों का एकुण बनाएकर पर्याप्ति में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खणिज विभाग से उपलब्धीकरण जपान कोटीयाप्स क्षेत्र सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
- लोज सीमा से निकटतम एन ईंज एवं अन्यारण्य क्षेत्र की वास्तविक दूरी संघीयी जानकारी हेतु धन विभाग रोजारी अन्यायित दूमाण पञ्च प्रस्तुत किया जाए।
- भारत सरकार, पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- सभी निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुलगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटीयाप्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार सभी निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तराखण्ड के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुलिल किया गया।

##### (ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी विजय घडवा, अधिकृत प्रतिमिति एवं भी जिलेन्द्र बद्रागत, सभी निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट याइ गई:-

- उत्तराखण्ड योजना - माझुनिंग वसान प्रस्तुत किया गया है जो उप सत्रालका (लाप्र) सम्बालनालय भौमिकी तथा स्थगितकर्म उत्तरीसंगम जूऱापन क्रमांक १८७१ / रानि०२ / रेत (खदान) / न.क्र.३२६ / २०१९ नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक ०७ / १२ / २०१९ द्वारा अनुमोदित है।
- बार्यालय एनमप्डलाप्रिकारी सामान्य एनमप्डल, जिला-महाराष्ट्र वे ज्ञापन क्रमांक / पि/७८ पिथौरा, दिनांक १७ / ०१ / २०२० द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त मुग्ध एनडोब्र से ११९ मीटर एवं राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य में १० किमी से अधिक दूर है।
- पूर्व मे रायपुर, ग्राम पतायत बल्टीझीह के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक ६२९ शेषफल ५ हेक्टेयर, लामता-५०,००० घनमीटर प्रतीष्ठर्थ हेतु जिला जारी पर्यावरण समाधान निधीरण प्राधिकरण, जिला-महाराष्ट्र द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक १९ / ०१ / २०१८ के द्वारा जारी दिनांक से ०१ वर्ष तक की अपयि हेतु जारी किया गया था।
- पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन मे की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर विभान वाही ने लिए गए उत्तराखण्ड की वास्तविक माज्जा की जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज जारा), जिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक १०६ / क / रेत / न.क्र. / २०१९ महाराष्ट्र दिनांक १७ / ०१ / २०२० द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वर्ष २०१८ (दिनांक १९ / ०१ / २०१८ से ३१ / १२ / २०१८) मे निरक्ष एवं वर्ष २०१९ (दिनांक ०१ / ०१ / २०१९ से १८ / ०१ / २०१९) मे १,११० घनमीटर रेत का उत्तराखण्ड किया गया है।
- रेत उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर ५ घनमीटर का ग्रिड बनाकर वर्तमान मे पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक १४ / ११ / २०१९ के रेत सतह के लेवल्स (Levels), लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकारण उपरांत पोटोसियम सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
- रेत उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान मे उपलब्ध रेत सतह की गोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर मे कम से कम एक गढ़दा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन करने खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल पर ६ गढ़दा (Pit) खोदकर उसने रेत सतह की गहराई जानने के आधार पर वर्तमान मे रेत की उपलब्ध गोटाई ३.२ मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु धंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
- रेत उत्तराखण्ड नेतृत्वाल विभि से एवं भवाई का कार्य सौहर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
- भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ एम दिनांक ०१ / ०५ / २०१८ के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समझ विस्तार से उन्हों उपरात निमानुसार प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)
------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--

	to be Spent	Activities (in Lakh)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
			Following activities at Nearby Government Middle School Village-Baldidih	
Rs. 48.00	2%	Rs. 0.96	Rain Water Harvesting System	Rs. 0.80
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.22
			Total	Rs. 1.02

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा चलाया गया कि स्थीकृत लीज़ कोर के उत्तरी दिशा में नदीसट से 10 मीटर दूरी छोड़ते हुए 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र को नैन-मार्टिनिंग और घोषित कर बार्डिंग इकान दैवार किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की घावित रेत पुनर्भवण संबंधी आवश्यक कार्य एवं तत्कालीन आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। जोकि नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भवण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श संपर्क संवर्तन सम्बन्धित रो निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम-चल्दीछोड़ी) का रक्कड़ 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/सचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलरस्टर नहीं होने के कारण यह खदान बी-२ श्रेणी की नहीं गयी।
2. प्राथमिकता की आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन की पौधे तथा ग्रीष्म 500 नग (जामुन, कन्दा, बारा, अम आदि) पौधे लगाए जायें। इसके अतिरिक्त ग्राम पालायत द्वारा विनाफित क्षेत्र पर पूकारोपण किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राद अव्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भवण (Replenishment) चाचत सही आकांक्षा, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय बनरपति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के बानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनर्भवण की विधि के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह भर 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित किल विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोर्ट-मानसून हो (रेत उत्खनन प्रारम्भ होने के पूर्व भारतीय अक्टूबर) इन्हीं किल विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया

जाएगा। पोर्ट-भानसुन की आवक्ते दिसम्बर 2020, 2021, 2022 तक भी—गानसुन की आवक्ते अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अधिकार्य लेप से ऐसीहैजाहाइए। छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। ऐसे सतह के पूर्व निर्धारित घिर विन्दुओं पर ऐसे सतह के लेवल्स (Levels) का मापन कर कर्मचारी 3 गाँव तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार पिमझी उपरीत सर्वसम्मति से भी दिया गया उपरी बल्दीहीन संपूर्ण माईन को खासगत क्रमांक 62B, गाम-बल्दीहीन, तहसील-पिथौर जिला-महासमुद्र कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में ऐसे उत्खनन अधिकारम 1 मीटर की गहराई तक सीमित स्थान द्वारे कुल 39,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशासा की गई। ऐसे वी सुदाई अभियांत्रिक द्वारा (Manually) की जाएगी। विवर बेड में भासी गाहनी का प्रयोग प्रतिवधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित ऐसे सुदाई गदड़ (Excavation pits) से लोडिंग प्लाईट तक ऐसे का परिषुद्ध हैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

**प्राधिकरण द्वारा दैतक में विचार —** उपरीका प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को नम्बर 94वीं दैतक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती की अवधीक्षण किया गया। विधार पिमझी उपरीत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुए भी दिया गया उपरी बल्दीहीन संपूर्ण माईन को खासगत क्रमांक 62B, गाम-बल्दीहीन, तहसील-पिथौर, जिला-महासमुद्र, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में ऐसे उत्खनन अधिकारम 1 मीटर की गहराई तक सीमित स्थान द्वारे कुल 39,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का मिशन लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

11. मेरार्हा कन्हनपुरी खंडक गाईन (भी विमल लुनिया), गाम-कन्हनपुरी, तहसील-मरहरपुर, जिला-उ.ब. कांकोर (साधिकालग का नस्ती क्रमांक 977)  
ऑनलाईन आवेदन — प्रधानमन्त्री/ सीजी/ एमआईएन/ को 42074/2019 दिनांक 16/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्युत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 24/10/2019 द्वारा जानकारी प्रत्युत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दाखिल जानकारी दिनांक 03/12/2019 को ऑनलाईन प्रत्युत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण —** यह पूर्व से संचालित खंडक गाईन (गोप खनिज) खदान है। खदान गाम-कन्हनपुरी, तहसील-मरहरपुर जिला-उत्तर बरेतर कांकोर स्थित खासगत क्रमांक 308, कुल क्षेत्रफल — 1.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन शमता — 3766.5 हम प्रतिवर्ष (1395 घनमीटर प्रतिवर्ष) है।

**प्रस्ताव के साथ सलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी —** परियोजना प्रस्तावक द्वारा खंडक गाईन (गोप खनिज) के पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से मिश्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रत्युत की गई है—

1. गाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन को संबंध में गाम पंचायत कन्हनपुरी दिनांक 02/01/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्युत किया गया है।

2. चारथनग योजना — संकेत स्थीम और माइनिंग एप्ट प्रोटोकॉल माईन नलीजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त सचालक (छनि.प्रशा.) सचालनालय भौमिकी तथा स्थानिकगे छत्तीसगढ़ के ज्ञापन बमाक 1695/एमसीसी/एमपी/एफ नबर - 05/2015 अदल नगर दिनांक 30/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बरार कंपोर के ज्ञापन क्रमांक 398/खनिज/ऐनाडट/2012 कांकेर दिनांक 13/08/2014 के अनुसार प्रावेदित खदान से 500 मीटर की दूरी पर अन्य कोई खदान सचालित एवं रिवर आवेदित खदान नहीं है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी राष्ट्रजनिक क्षेत्र नहीं बहिरं परिषट अस्पताल स्कूल पुल बाध द्वीज एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबन्धित क्षेत्र निर्मित होने तथा नहीं होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
5. कार्यालय घनपरिषेत अधिकारी नरहरपुर परिषेत नरहरपुर की ज्ञापन छमांक लैखा/2019/1376 नरहरपुर दिनांक 09/11/2019 को जारी अनावृत द्वन्द्व पत्र अनुसार जावेदित क्षेत्र के घन क्षेत्र से दूरी सारक्षित बन क्षेत्र 1 कि.मी में जल अन्वय 22 स्थित है।
6. लीज डीड भी गिमल लुनिया को नाम पर है जो कि 30 वर्षों के लिए दिनांक 02/11/1998 से 01/11/2028 तक की अवधि हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आवादी ग्राम-कान्हनपुरी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। उक्तांश राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। गहानदी नदी 25 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतराज्यीय सीमा उद्धीश उद्यान अभयारण्य, कोन्ट्रीप्रदूषण नियंत्रण घोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पाल्युटेक परिया, पारिशेष्यपरियोग संकेतनील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र सही हाना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलोजिकल रिजर्व लगभग 3,42,700 घनमीटर एवं माइनरबल रिजर्व 1,49,544 घनमीटर एवं रिक्वरेबल रिजर्व 1,15,893 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के घास और 3.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कार्ट सीमी मोनाइकड़ पिपि रो चत्त्वानन किया जाता है। उत्थानन की प्रस्तावित अधिकतम महराई 24 मीटर है। ऊपरी मिटटी की मोराई लगभग 0.6 मीटर है। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं ऊंचाई 6 मीटर है। लाइन की समावित आयु 63 वर्ष है। यांगार प्रस्तावित चारथनग का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (घनमीटर)
2019–2020	943
2020–2021	1,126
2021–2022	1,125
2022–2023	1,143
2023–2024	1,395

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 मिनीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति द्वारा प्रदायन की मात्रा से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. लीज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1500 नम घुड़ीरोपण प्रथम रैंग में ही किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

#### बैठकों का विवरण —

##### (अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, सभा उत्तमता साक्षात्कामति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. सम्पूर्ण सत्र पर्यावरण रामायात निधीरण प्राधिकरण (एस ई आई ए पी) छत्तीसगढ़ के द्वापन क्रमांक 379, दिनांक 18/06/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये गये उत्तमतम कारने की कारण उल्लंघन की भेंजी का होने तथा मार्ख—अप्रैल, 2019 में 30 दिवस के नियोरित समयावधि में आवेदन नहीं किए जाने की कारण प्रकरण को निरस्त किया गया था। यह रपट किया जावे कि पूर्व में प्रकरण की नियत करने के पूर्व / प्रकाश नियोरित समयावधि के भीतर उत्तमता नियमानुसार सहान प्राधिकारी के सम्मुख पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था तथा नहीं? वर्तमान में पुनः आवेदन किये जाने की स्थिति रपट करते हुए असंगत जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. कार्यालय कलेक्टर (स्थानिक शास्त्री), शिला-उत्तर बलान कार्यालय द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर की दूरी में अवस्थित अन्य खदानों द्वारा अदान जानकारी / प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (स्थानिक शास्त्री) द्वारा उत्तर खदान के 200 मीटर की दूरी में मट्टीर, मरुस्थल, अरण्यात्, झूल, पुल, बांध, एनीफाट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिवर्षीय होने अवश्य न होने वाले जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावको आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त गुरुसमाज जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावको को एस ई ए सी, छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

##### (ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहे। परियोजना प्रस्तावको को यह दिनांक 17/01/2020 द्वारा रुक्खना दी गयी है कि अपनिहार कारण से समिति के

रामता बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना समय नहीं है। अतः दिनांक 18 / 01 / 2020 के आधारित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। रामिति द्वारा विचार विभाषा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 18 / 01 / 2020 के आधारित बैठक में पूर्व में याही गहुँ बाजित जानकारी एवं रामता सुरांगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत दूसरापक्ष के माध्यम से सूचना दी जाए।

#### (स) रामिति की 307वीं बैठक दिनांक 18 / 01 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी विमल लुगिया प्रोप्रोट्रॉटर एवं सलाहकार के सब में सर्वसम्मत निर्धारण द्वारा उपस्थित हुए। रामिति द्वारा नशी उपस्थित जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधियां बाई गई—

- प्रस्तुतीकरण की दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलापा में पूर्व में दिनांक 26 / 10 / 2016 को जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण द्वारा कानूनीकरण के रास्का आयोदन प्रस्तुत किया गया था। जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण द्वारा कानूनीकरण के द्वारा जल्मान 369 / डी.इ.आई.ए.ए. / 2018-19, दिनांक 02 / 08 / 2018 के नायम से प्रस्तुत माईनिंग प्लान एवं ओमलाईन आयोदन में अपलोड किये गये माईनिंग प्लान में दिनांक होने के कारण उक्त आयोदन को निरस्त किया गया। युक्त उल्लापन प्रकरणों को पर्यावरणीय स्थीकृति आयोदन बताने हेतु निर्धारित समयावधि अवधि 14 मार्च से 13 अप्रैल 2018 के दौरान पर्यावरणीय स्थीकृति आयोदन विभागीय का अवारद सरकार, पर्यावरण, तम और जलवायु परिवर्तन मञ्चालय, नई दिल्ली के अदिशानुसार 14 मार्च से 13 अप्रैल 2018 के निर्धारित समयावधि के भीतर राज्य कार पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राप्तिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) उत्तीर्णगढ़ में आयोदन भी किया जा सका।
- रामिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, तम और जलवायु परिवर्तन मञ्चालय, नई दिल्ली के ओएन छान्नाक F.No.22-10/2019-IA.III दिनांक 09 / 09 / 2019 के पैरा 8 एवं 9 का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार—

"8. It is possible that there may be certain category B proposals which were submitted at SEIAA during or prior to the violation window period but not under violation category and later during the appraisal by State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) identified as violation proposals.

9. Now, a decision has been taken in the Ministry that such proposals as mentioned in para (8) above, may considered in terms of provisions of Ministry's Notification dated 14.03.2017 & 06.03.2018 by the SEIAA. It is clarified that only those proposals may be taken up for consideration under this provision which had been submitted to SEAC during the window or prior to it as detailed above."

- उक्त ओएन कैटेगरी-बी के अंतर्गत आने वाले प्रकरण हेतु जारी किया गया है। पूर्व में कैटेगरी-बी के अंतर्गत 6 हेक्टेयर से अधिक हेक्टेकल के गोपनीय उल्लापन खदानों हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति राज्य कार पर्यावरण समाधान निर्धारण द्वारा (एस.ई.आई.ए.ए.) द्वारा तथा 5 हेक्टेयर या उससे कम हेक्टेकल के गोपनीय उल्लापन खदानों हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण द्वारा (डी.ई.आई.ए.ए.) द्वारा जारी किये जाने वाले प्राप्तान-

लिंग



या। समिति द्वारा विचार विभांग उपरान्त उक्त ओरमे में उल्लेखित एसईआईए ए को एसईआईएए में ही हैआईएए सम्मिलित मानवकर विचाराधीन प्रकरण पर नियन्त्रानुसार कार्यवाही करने ठेतु विचार किया गया।

4. कार्यालय कलेक्टर (समिति शास्त्रा), जिला-कलेक्टर बल्लंग वाकौर द्वारा अधीक्षित खादान की 500 मीटर की परिधि में अवश्यकता अन्य खादानों संबंधी जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. कार्यालय कलेक्टर (समिति शास्त्रा) द्वारा उक्त खादान के 200 मीटर की परिधि में भवित, नरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति रजोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अवधार में होने वाली जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. मानवीय एनजीटी, प्रिसिपल बैर, नई दिल्ली द्वारा सत्यें पाण्डेय टिकट्टु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलयात्रा परिवार्ता भवालय नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन दिनांक 186 ऑफ 2016 ऐव झन) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से नियन्त्रानुसार निर्देशित किया गया है—
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभांग उपरान्त सर्वसम्मति से नियन्त्रानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय में प्रस्तुत प्रमाण वज्र के अनुसार इस खादान में 5 हेक्टेयर से अधिक हेक्टेयर का कलेक्टर निर्मित नहीं हो सकता है। यह प्रकरण ईआईए नाइपिंस्केशन, 2006 (या संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन है।
2. परियोजना प्रस्तावक के दिक्कट पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैशानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जो निर्देशित ही पाए। शायद ही स्थापना सम्मति / सचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिला जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलयात्रा परिवर्तन सभालय, नई दिल्ली की कोआ 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को नियन्त्रानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने की निर्देश है—

The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G and finalized by the SEIAA C.G. The bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G.

4. विचाराधीन खादान उल्लंघन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का आ 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्हींकोमेटे।

इमोर्पट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्हायरिंग सेल्समेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु  
वारात राजकारण व्यावरण बन और वर्गायु वरिक्टिस मंड़ालय द्वारा अप्रैल 2015  
में प्रकाशित भेगी 1(ए) का स्टेप्लर्ड टीआजार (विना ओक सुनवाई) नीम बोर  
मार्डिनिंग प्रोजेक्टका हेतु निम्न अतिरिक्त टीआजार के राष्ट्र जारी किये जाने की  
अनुमति की गई।

- i. This TOR is being granted on the commitment submitted by the project proponent that during the time window of violation cases to submit the application for grant of Environmental Clearance, the application for grant of Environmental Clearance for this mine project was under consideration before DEAC / DEIAA for appraisal and grant of Environmental Clearance. Project proponent shall submit documents from DEIAA / DEAC / Mining Department that during the time window of violation cases; the project was under consideration before DEAC / DEIAA for appraisal and grant of Environmental Clearance. In case the project proponent fails to submit these documents, this TOR will be treated as null and void.
- ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines within 500 meter radius from concerned department. As per revised certificate; if a cluster exceeding 5 ha is formed, then SEAC, Chhattisgarh may direct for conduction of public hearing.
- iii. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
- iv. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation. EMP should include all the mines under the cluster.
- v. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by accredited consultants.
- vi. As per O.M. dated 01/05/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India proposals regarding Corporate Environment Responsibility (C.E.R.) shall be incorporated.
- vii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.
- viii. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.
- ix. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

- x. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.
- xi. Project Proponent shall submit certified yearwise production details and date of mining closure from Mining Department.
- xii. Project proponent shall submit revised certificate regarding no establishment of public utilities such as temple, cremation ground, hospital, school, bridge, dam, anicut and water supply source etc. within 200 meter radius from concerned department.
- xiii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
- xiv. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year alongwith photographs.
- xv. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण ने 14/02/2020 को समन्वय बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा सरती का अपलोडल दिया गया। विचार दिमांक उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसमन्वयी समिति की अनुसार सो सीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्सं लौक रेफरेंस (टी.ओ.आर.) (दिनांक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को उसी लौक रेफरेंस (टी.ओ.आर.) जारी किया गए।

## 12. सारपच, शाम पंचायत अर्जुनी, शाम-अर्जुनी, तहसील व ज़िला-बेमेतरा (राष्ट्रियालय की नस्ती क्रमांक 773)

**ऑफलाइन आवेदन – प्रधानमन्त्री – एसआईए/ रोजी/ एमआईएन/ 93983 / 2019 दिनांक 23/03/2019।**

**प्रस्ताव का विवरण –** यह एक प्रस्तावित रेत खादाम (गोप्य अभियान) है। यह लदान शाम-अर्जुनी, शाम पंचायत अर्जुनी, तहसील व ज़िला-बेमेतरा स्थित खादाम क्रमांक 1233, कुल लोड संख्या 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उस्खनन विवाद नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खादाम की आवेदित उत्थानन क्षमता – 56,800 घनमीटर द्वितीय है।

परियोजना प्रस्तावक को एस ई ए टी. अल्लीसमाइड के द्वारा दिनांक 10/04/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

(अ) समिति की 275वीं बैठक दिनांक 16/04/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कमार निषाद, सारपच, शाम पंचायत अर्जुनी एवं श्री अश्विन गढ़पाले खानि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाठ्य गई—

- साम पंचायत अर्जुनी दिनांक 13/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर सभिज शास्त्री, ज़िला-बैमेतरा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
- कार्यालय कलेक्टर (सभिज शास्त्री) ज़िला-बैमेतरा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 04/04/2018 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर की ओर अपारिष्ठ अन्य खदानों की संख्या निरक्षा है।
- कार्यालय कलेक्टर सभिज शास्त्री, ज़िला-बैमेतरा ने प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल झोल, बांध या जल परिवहन करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिष्ठित क्षेत्र स्थित नहीं है।
- माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खाने अधिकारी, ज़िला-बैमेतरा द्वारा अनुमोदित है।
- रानीपरवा आवादी गाम-अर्जुनी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। स्वतुल एवं महिर 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 किलोमीटर है।
- 10 किमी की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अमरावण, कोटीय पट्टयाण भिवजन योड़ द्वारा घोषित किटिकली पौल्युटेड लिंगा, पारिसिथितिकीय संवर्धनकाल क्षेत्र या घोषित लीयविधिका क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
- आवेदन अनुसार रथाल पर रेत की महाराई - 3 मीटर
- आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर
- आवेदन अनुसार खनन रथाल की चौकाई - 170 मीटर
- आवेदन अनुसार खनन रथाल पर नदी के पाट की गहराई - 380 मीटर
- अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माझनेवल रेत की मात्रा - 98,000 घनमीटर
- पर्यावरणीय स्थीकृति वरी शर्तों के पालन की जानकारी- इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
- प्रस्तुतीकरण के दोरान खाने निरीक्षक द्वारा बताया गया कि पूर्व में सरपन राम पंचायत अर्जुनी को सारपा क्रमांक 1233 कुल लीज शेअर 6 हेक्टेयर में रेत उत्खनन करता - 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु दिनांक 11/01/2016 को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी की गई थी। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के तहत खदान के समीप ही एनिकट घनमे के कारण रेत उत्खनन का बाध नहीं किया गया। बर्तमान में कुल लीज शेअर 4.9 हेक्टेयर हेतु एनिकट से 15 किलोमीटर की दूरी पर सीमांकित कर नहीं खदान घोषित की गई है।
- नदी के किनारे से 10 मीटर छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाएगा। समिति का मत था कि कम से कम 10 प्रतिशत (40 मीटर) नदी के पाट से छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाना चाहिए।

समिति द्वारा तत्समय राजसमाज से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

- रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का शिफ्ट घटाकर घटामान में रेत साथ का लेवल्स (Levels) लेकर कोटोधाप्ता सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
- उमत स्थल से घटामान से कितनी नोटाई में रेत उपलब्ध है? इस बाबत घटाविक खुदाई के आधार पर नाप छार माईमिंग विभाग कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक का एसईएसी-छत्तीसगढ़ को द्वापन दिनांक 24/05/2019 द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

#### (ब) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा नसी प्रस्तुत जानकारी का अध्योक्तन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धांत पाइ गई—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-बैगेतरा के द्वापन जमांक 834, दिनांक 16/10/2016 द्वारा निम्न जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है—
  - रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का शिफ्ट घटाकर घटामान में प्री-मानसून (Pre-Monsoon) आटा दिनांक 04/06/2019 की रेत साथ के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरात कोटोधाप्ता सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
  - रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर घटामान में उपलब्ध रेत साथ की नोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी घटाविक गहराई का नापन कर खनिज विभाग द्वे प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pit) खोदकर उसमें रेत साथ की गहराई नापने के आधार पर घटामान में रेत की उपलब्ध नोटाई 3 मीटर है।
  - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शास्त्र, जिला-बैगेतरा से द्वापन सशीघ्रता जानकारी अनुसार घोषित रेत खाद्यान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्रोत, वृक्ष या जल परिवहन करने वाली सर्वज्ञा अथवा अन्य कोई प्रतिवर्षित स्रोत स्थित नहीं है।
- उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज द्वापन दिनांक 16/10/2016 द्वारा दिनांक 04/06/2019 की जानकारी दी गई है।

समिति द्वारा तत्त्वमय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त लक्ष्यों के परिपेक्ष में उमत पर कार्यालय कलेक्टर खनिज शास्त्र, जिला-बैगेतरा द्वारा हुआ है अथवा नहीं? इस सब्ध में सिद्धांत स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-बैगेतरा के द्वापन जमांक 1128/खनि जिपि/2019 बैगेतरा दिनांक 12/12/2019 द्वारा पर्यावरण समीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर नहींकरने करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

#### (स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020

समिति द्वारा नस्ली प्रस्तुत भागकारी वा अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न शिखित पाई गई—

कायोलिय कलेकटर (खणिज खाता), जिला-बैमेतरा के ज्ञापन नं. 1128/यानि. जिपि/2019 बैमेतरा, दिनांक 12/12/2019 द्वारा प्रेषित पत्र में निम्न उल्लेखित है—

“पर्यावरण में प्रतीक्षण आवान को द्वारा रेत खदान हेतु प्रतीक्षण गोप खानिक संधारण हेतु (उल्लंघन एवं व्यवसाय) नियम 2019 बनाया गया है। जिसके अनुसार रेत खदान को संशोधित आम पंचायत को न देते हुए रेत खदान का रिकॉर्ड अधिकार का माध्यम से नीतानी किये जाने का नियम बनाया गया है। अतः सरपंच आम पंचायत अर्जुनी के द्वारा उक्त रेत खदान का पर्यावरण रक्षीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर नस्लीबद्ध करने का काष्ट करे।”

समिति द्वारा विचार विभार उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदन को नस्लीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत अभ्युक्त पत्र को रक्षीकर करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने की अनुशासा दी गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ली का अपलोडन किया गया। विचार विभार उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार समीक्षा किया जाए।

13. गेसर्स विहावबोड व्हार्टजाइट एण्ड सिलिका सोल क्षारी (श्री गौतम चंद द्वाकलिया), ग्राम-विहावबोड, तहसील व जिला-राजनांदगांव (644)

ऑनलाइन आवेदन — पूर्व में प्रयोगल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 20916/2017 दिनांक 06/11/2017 द्वारा टी.ली.आर हेतु आवेदन किया गया था। पर्यावरण में प्रयोगल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36872/ 2019 दिनांक 27/05/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई-आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव वन विवरण — यह पूर्व से समालित व्हार्टजाइट एण्ड सिलिका सोल क्षारी (श्री गौतम द्वाकलिया) खदान है। खदान खासरा नं. 130, ग्राम-विहावबोड, तहसील व जिला-राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्र 6.88 हेक्टेयर (17 एकड़) है। खदान एवं आवेदित उल्लंघन कामता — 16,000 टन/वर्ष है।

प्रकरण का उल्लंघन सावधी विवरण— समिति अवगत हुई कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अनुसार मुख्य एवं गोप खनिज की उत्थानन के 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संशोधित अधिसूचना दिनांक 07/10/2014 के अनुसार मुख्य खनिज उत्थानन के सभी प्रकरणों (5 हेक्टेयर से कम लीज क्षेत्र याले खनिज उत्थानन को नहीं) में पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु

परिवर्तन मंज़ालय नई दिल्ली के हारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15/09/2017 के अनुसार मुख्य एवं मोत्त खनिज की ऐसी समस्त प्रक्रिया जिनमें दिनांक 15/01/2016 के पश्चात भी उत्थानम जारी रखा गया था को उल्लंघन की घोगी में माना गया है। इस प्रकारण में यह 2017 तक उत्थानम किया गया है। अतः यह उल्लंघन का प्रकरण है।

उत्थानम का प्रकारण होने के कारण भारत सरकार की जनरियना का ना 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों को अनुसार हम्बोरोमेट इम्पेक्ट अरेसमेट रिपोर्ट, हम्बोरोमेट सेमेजमेट लान आदि तियार करने हेतु भारत सरकार योग्यता पत्र और जलवायु परिवर्तन मंज़ालय हारा अप्रैल 2016 में प्रकाशित थोणी 1(१) का उत्तरदाता टीओआर (यिना लोक सुनवाई) नौन कोल माईनिंग ग्रोवटर्स हेतु टीओआर पत्र है एसी, छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 23/10/2018 हारा जारी किया गया।

एसईआईएस छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 29/10/2018 हारा परियोजना प्रस्तावक के विलम्ब पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / समाजन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण सञ्चालन मंडल की अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

### बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14/06/2019 — समिति हारा उत्थानम सम्मिलित से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में रामस्त सूलमत जानकारी / दस्तावेज एवं वर्तमान स्थित को कोटीचापना सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु मिर्दिशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 15/07/2019 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019 — प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौतम चंद डाक्टरिया, प्रोप्राइटर उपस्थित हुए। समिति हारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अपलोड करने किया गया। समिति हारा नस्ती / जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया है।

1. याम पचायत भेड़रकानी हारा दिनांक 15/10/2003 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक हारा क्वारी प्लान यिथ वर्दीवर्षीय लान एफ्ट क्वारी छत्तीसगढ़ प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सायुक्त सामाजिक नौमिकी तथा सुनिकम क्षेत्रपुर हारा (पर्याप्त 30/10/2010 से 29/10/2036 तक की अवधि है) अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर, जिला-जजनादगाव के पत्र क्रमांक 4268/ख.लि.02/2017 राजनादगाव दिनांक 26/12/2017 हारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित जायान से 500 नीटर पारिषि में गुल 01 ज्यान रक्का 4.45 हेक्टेनर स्थीरता / विद्यमान है।
4. निकटतम आवादी गाम-विहानवाड 0.6 कि.मी., शहर राजनादगाव 15 कि.मी. अंतरात्म नदीगढ़ 4.5 कि.मी. रेलवे स्टेशन राजनादगाव 18 कि.मी. एवं स्वामी विहानवाड विभानपत्तन, साना, रायपुर 62 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजनाम 10 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 10 कि.मी. है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की विधि में अतीव्यापीय लौग राष्ट्रीय उदान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रोप्रिएट्रिकली पॉल्युएशन एसिया परिस्थितियां संवेदनशील होने का प्रोप्रिएट्रिकला द्वेज रिप्पत नहीं होना प्रसिद्धिप्रद है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जायोलिय कलेक्टर (सनिज शाह) अनुसार छलीसागढ़ के इनपन दिनांक 23/03/2006 द्वारा भू-प्रौद्योगिक व्यवस्था कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लौज डीज श्री गौतम चंद्र डाक्टर्स के नाम पर है। लौज डीज 30 वर्षों के लिए 30/10/2005 से 29/10/2035 तक की अवधि हेतु है।
8. जायोलिय इनमेडलाइवारी, राजमार्गांच घमघमल, राजमार्गांच के पत्र क्रमांक 11408, दिनांक 03/11/2003 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र वन हाव नहीं होने के कारण सनिज ब्यारीइंट एवं रिलिका सेंट का उत्खनिपट्टा स्थीकृति विद्यु जाने के संबंध में प्रियग की कोई आपत्ति नहीं है। आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन द्वेज लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
9. जियोलियिकल रिजर्व 6,88,000 टन, माईनेवल रिजर्व 6,17,800 टन एवं रिफ्लेक्टर रिजर्व 6,56,020 टन है। ऐसा क्षेत्र ही वारों और 75 मीटर क्षेत्र होता गया है। औपन कारट विधि से उत्खनन किया जाता है। ड्रिलिंग एवं एक्स्ट्रॅक्टिंग किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 1.5 से 2 मीटर है। उत्खनन की अधिकतम प्रस्तावित गहराई 6 मीटर होती है। देव की ऊंचाई 40 मीटर तक होती है। ड्रिलिंग हेतु लेक हेमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। संधाननालय, जियोलीजी एण्ड नाईनिंग छलीसागढ़ के पत्र दिनांक 19/09/2017 द्वारा अनुमोदित करारी ज्ञान (प्रिय इनाहायरेंसेट एजन एवं वारी बलोजर प्लान) के अनुसार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

#### प्रथम वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2006-07	4,175.6
2007-08	7783.61
2008-09	1345.11
2009-10	निरक्षा
2010-11	निरक्षा

#### आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2011-12	निरक्षा
2012-13	निरक्षा
2013-14	निरक्षा

2014-15	निर्वाच
2015-16	निरेका
2016-17	70
2017-18 (31 / 12 / 2017 तक)	10

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल उपयोग की सांख्य 12 किलोलीटर प्रतिदिन (हर दिन उपयोग एवं क्लाइंसेन 10 किलोलीटर प्रतिदिन, द्वितीय एवं परेशु उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) है, जिसका संबोध बोर्ड है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का वित्तकाव एवं दृष्टारोपण किया जाता है।
11. लीज लोड के बारे ओर 7.5 मीटर लोड (क्षेत्रफल 9,750 वर्गमीटर) में उपयोग किया जायगा।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— पूर्व में परियोजना प्रवर्त्तावक द्वारा इस स्थान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर उपर दर्शाई गई है।
13. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मानिटरिंग कार्य नवमं 2018 से जनवरी 2019 के मध्य किया गया है। 10 घंटी के अंतर्भूत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सातही जल गुणवत्ता तथा 5 स्थानों पर मिटटी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
14. मानिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.<sub>21</sub> 38.41 से 59.49 माइक्रोग्राम/घणमीटर पी.एम.<sub>22</sub> 57.65 से 89.49 माइक्रोग्राम/घणमीटर एवंओ<sub>3</sub> 5.35 से 17.22 माइक्रोग्राम/घणमीटर तक एनओ<sub>3</sub> 9.52 से 24.78 माइक्रोग्राम/घणमीटर वाइ गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भवतीय भूमित के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 68.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 34.5 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा सत्सामय सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. उल्लंघन अवधि में उत्तरानन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में तुरं दिप्रीत प्रभाव का आकलन कर, लद्दानुसार अच्छायम कर संहेदित रेप्रिडिग्यल प्रबन्ध तथा नेटुरल एण्ड कम्प्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्हींपरीमेट ट्रूम्पेट असेसमेंट रिपोर्ट इन्फोग्राफोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी टीओआर ए दिए गए अतिरिक्त टीओआर के बिन्दु कमाक उ का पालन प्रतिवर्द्धन प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्तरानन के दौरान सीएसआर एकटीचिटी के तहत किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
4. उल्लंघन अवधि में उत्तरानन कार्य किए जाने से मिटटी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होने दूँड़ों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं।
5. मास्त समकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मेंबालय नई दिल्ली को ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही समिति द्वारा परियोजना प्रवर्त्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि सीईआर (Corporate Environment

Responsibility) का विन्दुत प्रस्ताव (प्रस्तावित समूह का नाम, पता एवं लायदार शर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

एत ई-ए-ली, उत्तीर्णगढ के ग्रामन इमाक 675 दिनाक 06 / 09 / 2019 को यस्तेहा ने परिवोजना प्रस्तावक के पत्र दिनाक 12 / 09 / 2019 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 295वीं बैठक दिनाक 19 / 09 / 2019:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- उल्लेखन अधिक मै उत्त्यन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं पानी गुणवत्ता मे हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर उदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेसेफिल प्लान तथा नेतृत्व एवं काम्पनियों आगुमेंटेशन प्लान इन्हाँयोग्यमेट इमोकट असेसमेट रिपोर्ट इन्हाँयोग्यमेट मैनेजमेट प्लान प्रस्तुत किया गया।
- जारी टीआओआर मे दिए गए अतिरिक्त टीओआर के विन्दु इमाक 9 के घासम मे घनमण्डलाधिकारी, राजनादगाव वनमण्डल जिला— राजनांदगाव का ग्रामन इमाक / माचि / 5-29 / 1408 राजनादगाव दिनाक 03 / 11 / 2003 जनतन प्रिया गया है। जिसके अनुसार आधिकारिक शेष निकटतम वस क्षेत्र से लगभग ३ किमी की दूरी पर स्थित है।
- उल्लेखन के दौरान सी.एस.आर. एक्टीविटी के तहत किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया।
- उल्लेखन अधिक मै उत्त्यन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता मे परिकान नहीं होने वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के सघष मे बाया गया की भूमि नीम-एसीकल्परल होने के कारण उक्त हीज मे कपरी मिट्टी की मात्रा नहीं पाई गई एवं उनके द्वारा कोई वृक्ष नहीं काटे गये।
- भारत सरकार, पर्यावरण, एवं और जलवाय परिवर्तन मञ्चालय, नहीं दिल्ली के ओ एम दिनाक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष वित्ताल से नवा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh)
Rs. 65	2%	Rs. 1.30	Following activities at Nearby Government School Village-Bhendaravan:	
			Rain water harvesting	Rs. 0.40
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.30
			Separate toilet for boys & girls will be constructed	Rs. 0.35

		Solar light system, water pumps in village	Rs. 0.25
		<b>Total</b>	<b>Rs. 1.30</b>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को मिर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

- Environmental Compensation - परियोजना प्रस्तावक द्वारा लिए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,00,000/- रुपये का प्रस्ताव दिया गया है। प्रकरण में उल्लंघन का स्वरूप नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन कर कौशल 106 टन खनिज का उल्लंघन किया गया है। अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए प्रस्ताव को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सत्त्वावधि सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,00,000/- रुपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस-पास की शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/सरकार में रेनवीटर हाईस्टिक बायबल्चा, सीलर पाठ्यक्रम की बायबल्चा, पीने योग्य पामी की बायबल्चा एवं घुड़ारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/महाविद्यालय/सरकार का भाग, पाता एवं कार्यपाल छात्रों का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को मिर्देशित किया जाए।
- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 1,00,000/- रुपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को मिर्देशित किया जाए।

तदानुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरकार मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर को एक है एसी, छत्तीसगढ़ के इच्छन दिनांक 05/11/2019 द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने हेतु सुचित किया गया।

#### (d) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020

समिति द्वारा नवती प्रस्तुत जानकारी का अध्योक्तन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि 1,00,000/- रुपये का उपयोग आसक्तीय प्राथमिक स्कूल विहारबाड़, जिला-राजनादगांव में रेनवीटर हाईस्टिक बायबल्चा, पेंडल की बायबल्चा एवं घुड़ारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के एवं दिनांक 19/12/2019 द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी गई।

समिति द्वारा विचार विमश उपरात सार्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कालेक्टर, जिला-राजनादगांव की पञ्च-फ़्लांग 4268/ख दि 02/2017 राजनादगांव दिनांक 26/12/2017 द्वारा जारी प्रमाण पञ्च अनुसार लायेदित शादान से 500 गौटर परियोजना में कुल 01 खदान रकमा 4,45 हेक्टेयर सीधूला

- विद्यमान है। अधिकृत खदान (ग्राम-विहावडोड) का रक्कम 6.88 हेक्टेयर है। इसप्रकार आधिकृत खदान (ग्राम-विहावडोड) को मिलाकर कुल रक्कम 11.33 हेक्टेयर होने तथा प्रकरण उत्सम्पन्न की जैसी का भी होने के कारण यह खदान श्री-1 क्षेत्री की मानी गयी।
2. Environment Compensation Plan के तहत निर्धारित कार्ड को 06 माह के भीतर पूरी किया जाए।
  3. समिति द्वारा विभार विभाव उपरात सर्वसम्मति से ग्राम-विहावडोड तहसील व ज़िला-राजनादगाव विभाव खासरा क्रमांक 130, कुल ईक्यफल - 6.88 हेक्टेयर (17 एकड़), क्वार्टराईट एण्ड सिलिका रोड व्हारो (गोण खनिज) उत्तरनम धनता-16,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय रोकूति दिए जाने की अनुमति की गई।

**प्राथिकरण द्वारा बैठक में विचार —** उपरोक्त प्रकरण पर प्राथिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संघन 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राथिकरण द्वारा नस्ती का अध्यालोकन किया गया एवं पाया कि कर्यालय कलेक्टर, ज़िला-राजनादगाव के पत्र क्रमांक 4268 / राजि 02 / 2017 राजनादगाव दिनांक 26 / 12 / 2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आधिकृत खदान से 500 मीटर परिसर में कुल 01 खदान रक्कम 4.45 हेक्टेयर खीकूत / विद्यमान है। अधिकृत खदान (ग्राम-विहावडोड) का रक्कम 6.88 हेक्टेयर है। इसप्रकार आधिकृत खदान (ग्राम-विहावडोड) को मिलाकर कुल रक्कम 11.33 हेक्टेयर का कलस्टर निर्मित हो रहा है। माननीय एनजीटी ग्रामिय पैमाने नई दिल्ली द्वारा सत्यें पारदेश विकास भारत राज्यावार पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SELAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

विचार विभाव उपरात प्राथिकरण द्वारा सर्वसम्मति से माननीय एम.जी.टी. ग्रामिय पैमाने नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुकान में प्रकरण पर पूनर्विचार हेतु एसईएसीटी छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। एसईएसीटी छत्तीसगढ़ को तदानुसार लूप्तित किया जाए।

14. मेससी श्री पवन कुमार दुर्गम (पेंदाकोहेपाल रोड माझैन, ग्राम-पेंदाकोहेपाल, तहसील व ज़िला-बीजापुर), छिपो पारा, तहसील व ज़िला-बीजापुर (सविदालय का नस्ती क्रमांक 1041)

ऑनलाइन आवेदन — प्रयोगज नम्बर — एसआईए/ चौली/ एमआइए/ 128498 / 2019, दिनांक 01 / 12 / 2019।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह उद्यान ग्राम-पेंदाकोहेपाल, तहसील व ज़िला-बीजापुर विभाव खासरा क्रमांक 80, कुल लीज 6.

लेज़-4 हॉटेलर में प्रस्तावित है। उत्तमनन मिनारायत नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खादान की आवेदित उत्तमनन क्षमता—90,000 परमीटर ड्रिलिंग है।

प्रस्ताव के साथ सलान मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (मीण खनिज) के पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य काय से निम्न प्रमाण पत्र उत्तमन की गयी हैं—

1. याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – रेत उत्तमन के संबंध में याम पंचायत पेटाकोहेपाल दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हाकित/सीमाकित – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हाकित/सीमाकित कर योगित है।
3. उत्तमन गोजना – माईनिंग लान प्रस्तुत किया गया है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण चरतार दलोदाढ़ा के ज्ञापन क्रमांक 1444 / खनिज / रेत / 2019-20 दलोदाढ़ा, दिनांक 15/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिक्त खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 775 / कले / खनिज / 2019 बीजापुर, दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अव्याप्ति अन्य रेत खदानों की सत्या निरक्षित है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होते जैसे मंदिर, मन्दिर, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, इमारत एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवेदित होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 780 / कले / खनिज / रेत / नि.अं. / 2019 बीजापुर, दिनांक 16/10/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी अपेक्षा 2 ग्रॅम हेतु वैध है।
7. मारता सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहु दिस्त्री की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रियुत प्राकृत में डिस्ट्रीक्ट सर्वे (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. निकटतम जायादी याम-पेटाकोहेपाल 3.5 कि.मी. स्कूल एवं अस्पताल याम-पेटाकोहेपाल 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। साढ़ीय जाजमार्ग 3.2 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्दृजीय स्थिति, साढ़ीय उदान, अभायारण्य, कंन्दीय प्रदूषण नियंत्रण होने द्वारा प्रोत्तिकर्ता पौल्युटेट एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होते या घोषित जैवविविधता होते स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. आवेदन अनुसार रेत पर ऐत की गहराई – 3 मीटर तथा ऐत खदान की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग लान अनुसार खदान में माईनेक्स ऐत की मात्रा – 1.20,000 परमीटर है। नटीतट के किनारों में छोड़त 10 मीटर छोड़ा गया है।

वैठकों का प्रिवरण —

**(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09 / 12 / 2019:**

समिति द्वारा प्रकरण की गई एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा लालगड़ सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 घिन्डुओं का शिफ बनावट वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) सेवर उभई खनिज दिवान से प्रस्तुतीकरण उपरात पोटोशापस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़ा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक मोटाई का मापन कर, खनिज दिवान से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पार की ओर की लंबाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उत्खन खदान के 200 मीटर की वरिष्ठि में मंदिर, मरम्पट, अस्पताल, रेहूल, पुल, बांध, इसीकट एवं जल आपूर्ति रसोत आदि प्रतिवित्ति को खनिज होने अवधार न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 / 07 / 2018 द्वारा लिहित ग्राम्य में डिस्ट्रीक्ट रापै रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार रीड़आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. समि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपचालन समस्त सुलगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दीशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूसराय के माध्यम से सूचना दी जाए।

उपनुसार समि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसडब्ल्यूएसी छल्लीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13 / 01 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16 / 01 / 2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु भी पवन गुप्त दुर्गेन प्रोप्रोटाइटर उपरिभास हुए। समिति द्वारा नसी प्रस्तुत जानकारी का अदलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 घिन्डुओं का शिफ बनावट वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) दिनांक 13 / 12 / 2019 की रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सही रिपोर्ट ने उपर्युक्त टेम्परेचर बैंक मार्क का लिया नहीं किया गया है तथा घिन्डुओं को शिफ में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। उत्खन खदान ईम्पटरी बैंक मार्क का वापी एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना सामान्य है। उपरिभास से पुनः रेत सतह का लेवल्स (Levels) लिया जाना सभव प्रतीत नहीं होता है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन नमांक 1019 / कलै / खनिज / 2019 बीजापुर, दिनांक 28 / 12 / 2019 द्वारा जारी प्रमाण

पश्च अनुसार उक्त स्थान की 200 मीटर की परिधि में मदिर, भरधाट, अरण्यताल, रघुन, पुल, बाढ़, एनीकट एवं जल आमूर्ति वर्गों आदि प्रतिवर्षित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।

3. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहुं दिल्ली की अधिकृतगता दिनांक 26/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के लाम्बा वाहित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज़ दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत गत्तें हेतु अपलब्ध दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक का अनुरोध को मान्य किया गया।

**समिति द्वारा लत्त्वामय सर्वेशमिति से निर्माणनुसार निर्णय लिया गया था—**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 घनमीटर का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत ताढ़ के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्ता लेवल्स (Levels), हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बैच मार्क (Concreted TBM structure) मिर्रोरित किये जाये। टेम्पररी बैच मार्क (TBM) में आरएल, लॉ-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बैच मार्क (TBM) को भी वर्णकर, उन्हें खनिज विभाग से उभारीकरण सम्पर्क फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाये।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की गोटाई जाने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) छोड़कर उत्तरी यास्तविक गहराई वर्ग मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की यास्तविक गहराई हेतु वर्चनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित उत्खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई लेखा भवी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. पदि पूर्व में आयोदित स्थल पर उत्खन हेतु राज्य सरकर पर्यावरण समाधान निपारण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अवाया गिला रत्तरीय पर्यावरण समाधान निपारण प्राधिकरण (कीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति दी गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की प्रति एवं अधिकृतित जाती के पालन में की गई कागदाली की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही एकात्मपण की उत्थान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. पदि स्थान पूर्व से सवालित है, तो विनाश दर्ता गे किन् गए उत्खनन की यास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित बता कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहुं दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीहुआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. सामि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उदान में रेत के सेवल्स (Levels) लेने काले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सूलगत जानकारी / दस्तावेज़ (अद्यात्म फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

अनुसार सभि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक जो दूसराथ के साथम से प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

**(ग) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु की पदन कुमार दुर्गम, पोपराइटर एवं भी लीलापाट प्रसाद जाहु सभि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अध्याक्षन एवं परीक्षण करने पर मिस्त्र रिपोर्ट पाई गई—

1. पूर्व मे रारथ्य, याम पचासत पेंडाकोडेपाल को भास से रेत खदान पाई औक जानकारी 80. कोडफल 4 हेक्टेयर, कमता-40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु विज्ञा स्तरीय पर्यावरण समाधान नियोजन प्राप्तिकरण, विज्ञा-बीजापुर द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति दिनांक 30/12/2016 के द्वारा जाली दिनांक से 02 दिन बीती की अवधि हेतु जारी की गयी थी।
2. पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की जाली के पालन मे की गई बायोवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गाढ अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
3. रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित रखल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओ का विज्ञ बनाकर उत्थनन मे पीस्ट-मानसून (Post-Monsoon) बाटा दिनांक 19/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरात फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
4. रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित रखल पर उत्थनन मे उपलब्ध रेत सतह की गोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर मे कम से कम एक गढ़ा (Pit) खोदकर उत्थनी वास्तविक गहराई का नापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। वित्तके अनुसार रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित रखल पर 2 गढ़ा (Pit) खोदकर उसमे रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर उत्थनन मे रेत की उपलब्ध गोटाई 2.5 मीटर से 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु उत्थनन मे प्रस्तुत किया गया है।
5. खनन रखल पर नदी के पाट की गोटाई - अधिकतम 160. मीटर, न्यूनतम 80 मीटर तथा खनन रखल की गोटाई - 110 मीटर है।
6. रेत उत्थनन नेतृत्व विभि से एवं गोटाई का कागे लौकर द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, नड़ दिल्ली के ओ एन दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति जे सम्भव विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 14.5	2%	Rs. 0.29	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Pedakodepal Rain Water Harvesting	Rs. 0.30

		System Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
	Total	Rs. 0.50	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रवर्तुत किया जाए।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्थानन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्थानन योजना में उत्थानन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण लाभी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मिनगांवल मर्दी छोटी नदी है तथा इसमें बढ़ोकाला में जामन्यता 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा प्रियार विमल उपरात रावेशमति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- आवेदित खदान (याम-पेटाकोहेपाल) का रक्षा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/समालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का व्यवस्था नहीं होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मर्दी नहीं।
- प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायें।
- परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े रेत उत्थानन का नदी नदीतल स्थानीय व्यवस्थिति जीव एवं रुद्धि जीवी पर प्रभाव तथा नदी के पानी की मुण्डता पर रेत उत्थानन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
- रेत पुनःभरण की स्थिति के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्थानन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्ण निर्धारित शिल्प विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोर्ट-मानसून में (रेत उत्थानन प्रारम्भ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इनी शिल्प विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोर्ट-मानसून के आंकड़े दिसंबर 2020, 2021, 2022 एवं फ्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से ऐसा ही आइए एवं उत्तीर्णमाछ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित शिल्प विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
- समिति द्वारा प्रियार विमल उपरात रावेशमति से श्री पद्म कुमार दुर्मस पेटाकोहेपाल सेठ माईन का खसरा कमाक 80 याम-पेटाकोहेपाल, तहसील बिल्ला-बीजापुर, कुल लौज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में रेत उत्थानन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक रोमित रखते हुए कुल 40,000 चन्नीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई अभिको द्वारा (Manually) की जाएगी। शिल्प बेड में मारी गाहनी का प्रयोग ब्रिटिशित रहेगा। लौज क्षेत्र में सिल्ल जेत खुदाई मढ़े।

(Excavation pts) से लॉडिंग पाइप्ट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा हारा किया जाएगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार -** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संघन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार तिमाही उपरात प्राधिकरण द्वारा सर्वेसम्मति से समिति की अनुशंसा की स्थीरता करते हुए श्री पठन कुमार दुर्गम ऐदाकोडेपाल शिष्ट माईन को छानारा क्रमांक 80, ग्राम-ऐदाकोडेपाल, तहसील व ज़िला-बीकापुर, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकातम । मीटर की महराई तक सीमित रखते हुए कुल 40,000 पनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरता की जारी दिनांक 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीरता की जारी किया जाए।

15. गोरारा गो अब्दुल गफ्फार मेमन (थिनीरी सोष्ठ माईन, ग्राम-विनीरी, तहसील-चानामा, ज़िला-त.व.कांकेर), ग्राम-सारोना, तहसील-नरहरपुर, ज़िला-त.व.कांकेर (सविकालय का नस्ती क्रमांक 774)

**ओनलाईन आवेदन -** प्रस्ताव नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईए / 94962/2019, दिनांक 03/02/2019। परियोजना प्रस्तावक संघरण साम पत्रायत थिनीरी द्वारा प्रस्तुत ओनलाईन आवेदन में कमियों द्वारे से ज्ञापन दिनांक 27/03/2019 को द्वारा जानकारी प्रस्तुत करते हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाचित जानकारी दिनांक 03/04/2019 को ओनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित रेत खदान (ग्रीण खनिज) है। यह खदान ग्राम-विनीरी ग्राम पत्रायत थिनीरी, तहसील-चानामा, ज़िला-त.व.कांकेर रिक्त छानारा क्रमांक 917, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नहानारी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-75,000 पनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्पादन सर्वेसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता संबंधी विवरण - पूर्व में द्वारा ऐत खदान खासा क्रमांक 917, क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर क्षमता-75,000 पनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरता का लालू संतर पर्यावरण समाधान निर्माण प्राधिकरण (एस.इ.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 5047 दिनांक 17/03/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दी गयी थी।
- जारी पर्यावरणीय स्थीरता की अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष उपरात पर्यावरणीय स्थीरता के नवीनीकरण हेतु आवेदन विचार किया गया है। समिति का यत था कि पर्यावरणीय स्थीरता जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरात उत्खनन किये जाने पाले होते की वार्षिक रेत पुनर्मरण लान्ची उत्खनन एवं तत्सम्बन्धी अधिकारी सहित ग्राम आद्ययन (रिप्लेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन

परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः बर्तमान में प्रस्तुत प्रापेदन को नहीं रेत रखाने (प्रस्तावित) मानकर किया जाएगा।

3. रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्डों का शिफ्ट बनाकर बर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज धिमान से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं।
4. रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर बर्तमान में उपलब्ध रेत की भौटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी यास्तापिक गहराई का मापन कर, खनिज धिमान से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिरूपन दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रिहित प्राप्त ने डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु सत्र पर्यावरण समाधान नियांरण प्राप्तिकरण (एस इ आई ए ए), छत्तीसगढ़ जनवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान नियांरण प्राप्तिकरण (डी इ आई ए ए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्तरीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्तरीकृति की प्रति एवं अधिरूपित राती के पालन में की गई वास्तवाई की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही उक्तारीपत्र की अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. परि खदान पूर्व से संचालित है, तो विसत वर्ष में किए गए उत्थानन की यास्तापिक जांच की जानकारी खनिज धिमान से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
8. यानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूरी जानकारी/ दस्तावेज/ अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एसडूएसी छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तेयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सुधिता किया गया था। तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाव की जावान नहीं गई।

#### (4) रामिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती गीता मण्डाकी, सरपंच एवं श्री कलते सिंह शोरी, सचिव, राम एवं यात्रा यिनीरी एवं श्री एल बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण की भूमि एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्त्वाभ्यंश सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्डों का शिफ्ट बनाकर बर्तमान में रेत रातह का लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज धिमान से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। एकलित किए गए आकड़े सही नहीं हैं। अतः बर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) की प्रस्तुत जानकारी को बाब्य मही किया जा सकता है।
2. रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर बर्तमान में उपलब्ध रेत रातह की भौटाई जानने के सिए प्रति हेक्टेयर ने कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी यास्तापिक गहराई का मापन कर, खनिज धिमान से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की नहीं है। जिसके अनुसार रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढा (Pit)



- खोदकार उसमें ऐसा सतह थी गहराई नापने की आवार पर, वर्तमान में ऐसा की उपलब्ध भौतिकी 2.8 मीटर है।
3. भारत राजकार, पर्यावरण, बन और जलयाम् परियोजना मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रिहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
  4. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में राज्य सत्र पर्यावरण समाधान नियोजन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ के दिनांक 17/03/2016 द्वारा जारी दिनांक से 02 तां तक की अवधि समाप्त होने के उपरात आंदोलित खदान को जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान नियोजन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 30/06/2018 रा दिनांक 29/07/2018 तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नी गई थी। जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान नियोजन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शही के पालन में की गई कार्यवाही की अधिकारीक रिपोर्ट की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
  5. पूर्व में राज्य सत्र पर्यावरण समाधान नियोजन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ के दिनांक 17/03/2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शही के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान नियोजन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं दृभादोषण की अदान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ़िक सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।
  6. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 6 माह उपरात पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीनीकरण हेतु आयोदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 15 वर्ष उपरात तत्समान किये जाने पाले दीप्र की वार्षिक ऐसा पुनर्मरण संस्थानी अध्ययन एवं गत्ताकारी ओक्टो राइट ग्राट अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था। जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आयोदन को नया ऐसा खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समाय सर्वेसम्मति से निश्चय लिया गया था कि उनि निरीकाक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 4 विन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य सम्बत पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ़िक के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (स) समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिगिति उपरिक्षत नहीं हुए। समिति द्वारा प्रकाश्य की नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समाय सर्वेसम्मति से निश्चय लिया गया कि उनि निरीकाक एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन कोटोग्राफ़िक के साथ आगामी माह की प्रथम बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (द) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी भरत लाल बंजारे सभिता निरीक्षक उपस्थित हुए। यानि निरीक्षण मुकाबला जानकारी की गई कि सरपंच एवं नायिक प्रस्तुतीकरण हेतु अपनिहाई कावणी से चापस्थित नहीं हुए। सभिता द्वारा प्रकरण की नरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्त्वान्वय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

१. ऐत उत्तरानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 दिन्कुओं का शिव बनाकर पोर्ट मानसून में ऐत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें सभिता शिखाएगी प्रस्तुत उपकार फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत की जाए।
२. भारत सरकार, परियोजना, यन और जलवायु परिवर्तन संबंधी, नई दिल्ली की अदिशृङ्खला दिनांक 25/07/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट District Survey Report, नी प्रति प्रस्तुत की जाए।
३. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1000 नग पीछे – 500 नग अन्तर्मुखी की पीछे तथा इन 500 नग (जामुन, कर्नज, बांस, आम आदि) पीछे १ माह में लगाए जाए। लाभ ही आगामी बैठक में उक्त पृष्ठारोपण के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये जायें।
४. सभिता निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समर्त सुनिश्चित जानकारी/दस्तावेज़ एवं कर्तव्यान्वय स्थल/पृष्ठारोपण के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (इ) सभिता की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिभित्ति उपस्थित नहीं हुए। सभिता द्वारा तत्त्वान्वय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाइल-जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी बैठकवाही की जाएगी।

एसईएसी छत्तीसगढ़ के ज्ञापन तिथि 994 दिनांक 06/11/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया।

कर्तव्यान्वय में एलओआई चारक नौ. अब्दुल गफकार मैमन (अधिमानी बोलीदार) द्वारा दियारामीन प्रकरण को उत्तरातिशिय करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 15/11/2019 को प्रस्तुत किया गया है। अनुरोध पत्र के साथ संतम दस्तावेज़ निम्नानुसार है—

१. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ गोण खनिज साकारण रेत (उत्तरानन एवं व्यवस्थापन) नियम, 2019 के प्राक्कान्त्र अनुसार कायालय कलेक्टर (सभिता शास्त्री), जिला-उत्तर बरतर बोर्कर के ज्ञापन तिथि 629/खनिज / ऐत (सिर्पी शास्त्री), कांकीर, दिनांक 13/11/2019 द्वारा नौ. अब्दुल गफकार (अधिमानी बोलीदार) के नाम से एलओआई जारी किया गया है।
२. कायालय कलेक्टर (सभिता शास्त्री), जिला-उत्तर बरतर बोर्कर के ज्ञापन तिथि 646/खनिज / ऐत (सिर्पी अधिकारी)/2019 कांकीर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा पार्यावरण अनुमति को नौ. अब्दुल गफकार मैमन (अधिमानी बोलीदार) के नाम से जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत जारी गया है।

#### (इ) सभिता की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

सभिता द्वारा प्रकरण की नल्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्त्वान्वय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. तत्काल, आम प्रकायत चिनीये द्वारा प्रस्तुत आवदन को एवं जो अब भी आपको अच्छुल मपफार मेमन (अधिमामी जानकारी) के नाम से उल्लिखित किये जाने के अनुरोध को सान्ध किया गया।
2. रेत उल्लंघन हेतु प्रस्तावित रूपल पर प्रति हैक्टेयर 4 विन्दुओं का शिफ्ट बनाकर गोरख मानसून में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज चिनाने से प्रस्तुतीकरण तपशील फोटोग्राफ्स शाहौल जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा चिह्नित ग्राहा में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. घासमिकाला को आधार पर नदी तट पर कुल 1000 नम पौधे - 500 नम अनुम वाले पौधे तथा शेष 500 नम (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे 1 माह में लगाए जाने की रिपोर्ट फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत लिये जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर एम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त घूमे में याही गढ़ी वाहित जानकारी एवं समरत पूरी जानकारी / दस्तावेज (अधिकान फोटोग्राफ्स) के साथ आमामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसडीएसी छल्लीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (उ) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्री एल. बंजारे, खनि निरीक्षक उपसंचित हुए। परियोजना प्रस्तावक की बज दिनांक 10/12/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि दस्तावेज के अन्दर का वर्णन से समिति के समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः आमामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उल्लंघन सर्वेसम्मति से मिर्च लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आमामी माह के आयोजित बैठक में घूमे में याही मही वाहित जानकारी एवं समरत सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी छल्लीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (झ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अच्छुल मपफार मेमन, प्रोफराईटर उपसंचित हुए। समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई-

1. रेत उल्लंघन हेतु प्रस्तावित रूपल पर प्रति हैक्टेयर 4 विन्दुओं का शिफ्ट बनाकर जानिम गोरख-मानसून (Post-Monsoon) दिनांक 16/12/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपद्रुत टेम्पररी डेंज मार्क या चयन नहीं किया गया है तथा विन्दुओं को शिफ्ट मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। यहांगान चयनित टेम्पररी डेंज मार्क या घर्षा एवं अन्य तारंकों से परिवर्तित होना संभवित है। अतः

जिससे पुनरेत सतह का लेवल्स (Levels) लिया जाना समवय प्रतीत नहीं होता है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि नदी टट पर 200 नग और सेपित किये गये हैं। शेष पुकारोपन एक माह के भीतर किया जायेगा।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, बन आर जलवाय वरियोजन मंडलद नई दिल्ली की अधिकारीय दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप ने डिस्ट्रीक्ट सर्व रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सम्बन्ध प्राइवेट सर्व रिपोर्ट एवं उन्हें जानकारी / उत्तरायेज दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अपराद दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

रामिति द्वारा उत्तराय उत्तराय समिति से निम्नानुसार विषय किया गया था—

1. ऐसा उत्तरायन हेतु प्रस्तावित रूपत पर प्रति हेक्टेयर 4 विन्डूओं का गिर्ड बनाकर बर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर गिर्ड मैप में छवित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बैच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बैच मार्क (TBM) पर आर एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। गिर्ड मैप में टेम्पररी बैच मार्क (TBM) को भी दर्शाइए। उन्हें उनिज विभाग से प्रभागीकरण उपरात कोटीयान्तर लहित जानकारी/उत्तरायेज प्रस्तुत किये जायें।
2. ऐसा उत्तरायन हेतु प्रस्तावित रूपत पर बर्तमान में उपलब्ध ऐसा की मोटाई जाने की लिए प्रति हेक्टेयर में बाम से बाम एक ग्रदां (PMS) खोदकर उत्तरायिक गहराई उन मापन कर उनिज विभाग से उभागित जानकारी प्रस्तुत की जाए। ऐसा की उत्तरायिक गहराई हेतु पायनामा भी प्रस्तुत किया जाए।
3. भाईनिंग घटान के हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, बन आर जलवाय वरियोजन मंडलद नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. याने निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को घटान में ऐसे के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के सम्बन्ध दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त रामरत सूलंगत जानकारी / उत्तरायेज (उत्तरायन कोटीयान्तर) लहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार उमि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सुनित किया गया।

#### (ए) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरनेक लिह औजला अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री चौ. पल बजार याने निरीक्षक उपस्थित हुए। रामिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धांत पार्ह गई—

1. याम प्रवायत का अनायसि प्रमाण पत्र — ऐसा उत्तरायन के संबोध में याम प्रवायत किनीरी दिनांक 28/02/2018 का अनायसि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. विनाकित/सीमाकित – कार्यालय कलेक्टर, खानिज शासा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान माईकित/सीमाकित कर दीया गया है।
3. घरखनन योजना – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कार्यालय कलेक्टर (खानिज शासा), ज़िला-दक्षिण बरसर दस्तेवाही के द्वायेम जन्माक 1068/खानिज/रेत/2017-18 दस्तेवाहा, दिनांक 21/08/2019 द्वारा अनुमोदित है। कार्यालय कलेक्टर (खानिज शासा), ज़िला-उच्च कांकेर के द्वापन जन्माक 936/खानिज/रेत(रिवरी औवशान)/2019 कांकेर दिनांक 20/01/2020 द्वारा माईनिंग प्लान वा हस्तानारण से अद्युत गणधार मेमन के नाम पर दिया गया है।
4. 500 मीटर की परिधि में विष्वत खदान – कार्यालय कलेक्टर (खानिज शासा) ज़िला-उच्च कांकेर के द्वापन जन्माक 1245(इ)/खानिज/रेत(मूल)/2018 कांकेर दिनांक 15/03/2018 के अनुसार आयोदित खदान से 500 मीटर की भीतर अविष्वत अन्य रेत खदानों की संख्या निरुक्त है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शासा) ज़िला-उच्च कांकेर के द्वापन जन्माक 920/खानिज/रेत(मूल)/2019-20 कांकेर दिनांक 15/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सांबोजनिक होते जैसे बढ़िर, मरघट, अरपताल, खड़ाल, पूज, बांध, ग्रीज, एमीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवर्धित होते निर्मित नहीं हैं।
6. एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खानिज शासा), ज़िला-उच्च कांकेर के द्वापन जन्माक 629/खानिज/रेत(रिवरी औवशान)/2019 कांकेर दिनांक 13/11/2019 द्वारा जारी वी गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु दीया गया है।
7. निकाटम आवाही याम-चिनीरी 2 किमी, खड़ाल याम-चिनीरी 2 किमी, एवं अरपताल लखनपुरी 5 किमी वी दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किमी एवं राजमार्ग 26 किमी दूर है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अतराज्ञीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, कोन्दीय छद्मवत नियन्त्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली बील्युटें एरिया, पारिरिखतिकीय संयोजनाओं कोत या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना इतिवेदित किया गया है।
9. आवेदन अनुसार खनन रखाल पर नदी के पाट वी गोहराई – अविकलन 240 मीटर, न्यूनतम 221 मीटर तथा खनन रखाल वी गोहराई – 120 मीटर दशाई गई है।
10. आवेदन अनुसार रखाल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा जा खनन वी प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दशाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान ने माईनेशन रेत की मात्रा – 75,000 घनमीटर है। नदीतट के द्वाये दिनारे में 70 मीटर से 22 मीटर एवं दाये किनारे में 69 मीटर से 42 मीटर तक छोड़ा गया है।
11. पूर्व में सरपंच, याम विज्ञापत चिनीरी के नाम से रेत खदान खसका जन्माक 917, शबकल 6 हैंडरेगर, जामता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु ज़िला स्तरीय पर्यावरण सम्पादन निधिविभाग प्राधिकरण, ज़िला-उच्च कांकेर द्वारा व्यावरणीय स्थीकृति दिनांक 30/05/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 01 वर्ष तक वी अवधि हेतु जारी वी गयी थी।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय समीक्षा के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। याद आनन्दन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
13. रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित रथल पर प्रति हेक्टेएर 4 घिन्दुओं का डिस्चार्ज बनाकर बर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 18/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरात फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/प्रस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
14. रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित रथल पर बर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेएर में कम से कम एक गढ़दा (Pit) खोदकर उसकी पास्ताविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित रथल पर 6 गढ़दा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर बर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.8 मीटर है। रेत की पास्ताविक गहराई हेतु पश्चात्यामा भी प्रस्तुत किया गया है।
15. रेत उत्थानन मेनुअल विभि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के समव विस्तार से चर्चा उपरात निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)
Rs. 34	2%	Rs. 0.68

- II. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावका द्वारा तीहाई (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार नाम का विवरण) प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार—

S. No.	Particulars	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1	Rain Water Harvesting System Facility on Govt School of Village-Chinori (Recharge pit size is 3 ft dia and 10 ft depth with slab, PVC pipe and filter media material)	5	10,000	50,000
2	Potable Drinking Water Facility in Govt School of Village- Chinori	2	15,000	30,000
3	Plantation with Fencing work & running water arrangement for toilets in school	-	-	50,000
Total				1,30,000

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिशित किया गया कि रोड़ेआर (Corporate Environment Responsibility) वर्ष दिसंतुत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मार्गी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वाधिक रेत धनभवण संबंधी आवश्यक जारी एवं उत्खनकी आकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। यहांतकी बढ़ी नदी है तथा इसमें वर्षावनल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई की अधिक रेत का पुनर्भवण हीने की स्थिति है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-चिरोनी) का रक्षा 6 हेक्टेयर है। खदान की ओर 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का उत्खन नहीं होने के कारण यह खदान सी-2 खंडों की मार्गी रही।
2. धार्घनिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पीठ - 1,000 नग झज्जुन के पीछे तथा ऊपर 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पीठे बगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तुत माद अव्ययन (Siltation Study) करायेगा, तभी रेत के पुनर्भवण (Replenishment) कानून सही आकड़े, रेत उत्खनन का नदी नदीतल स्थानीय बनस्पति, जीव एवं सहम जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के इमारत की सही प्राप्ति हो सकें।
4. रेत पुनर्भवण की स्थिति के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित गिर्ड विन्डूओं पर रेत साफ की लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोर्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं गिर्ड विन्डूओं पर रेत साफ की लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। पोर्ट-मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 एवं फ्री-मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनियार्थ रूप से एस इंजिनियर्स एवं अस्ट्रीसमार्क को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत साफ की पूर्व निर्धारित गिर्ड विन्डूओं पर रेत साफ की लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निराकरण किया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मी. अब्दुल गपकार गेपर निर्वाचित भाईग वो खसता फ़मांक 917, ग्राम-चिनोरी, तहसील-दारामा गिला-उत्तर काठिर, कुल सीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकारी 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखाए हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अपेक्षा हेतु दिये जाने की अनुमति नहीं दी गई। रेत की स्थाई अभिकौं द्वारा (Manually) की जाएगी। रेत खेत में भारी पानी का प्रवाह प्रतिवर्षित रहेगा। सीज क्षेत्र में स्थित रेत कुमाई गढ़े (Excavation pits) से लोडिंग घार्ड तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार -** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को साप्तम्म 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती वा अपत्तीकरण किया गया। विचार दिनांक उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा सार्वसम्मति से समिति की अनुसन्धान को स्थीकार करते हुये मो अब्दुल गफ़ार नेगन, जिनीरी सोड नाईन को खासरा क्रमांक 917, ग्राम-जिनीरी, तहसील-खासरा, जिला-हुब्लीकोट, कुल लीज होते 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकारी शास्त्रीय रूपीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

16. मेसासे श्री के गंगाघर रेहड़ी (तारलागुडा सोण भाईन, ग्राम-तारलागुडा, तहसील-भीपालपट्टनम, जिला-बीजापुर), दारा पारा, तहसील व जिला-बीजापुर (समिक्षालय का नस्ती क्रमांक 1023)

**आनलाईन आवेदन -** प्रयोगल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ 46316 / 2019 दिनांक 16/11/2019।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान ग्राम-तारलागुडा, तहसील-भीपालपट्टनम, जिला-बीजापुर रिक्षत खसरा क्रमांक 55/1, कुल लीज होते 4.047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गोदावरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आधिकारित उत्खनन शमता-1.01.175 प्रानमीटर प्रतिक्षेप है।

**प्रस्ताव के साथ सलग्न मुख्य प्रमाण पत्र -** परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गोण खनिज) की पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य काप से निम्न प्रमाण पत्र सलग्न किये गये हैं:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के सबूत में याम पंचायत कोल्टर का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विनाकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर खनिज शास्त्रा से प्राप्त इसांग पत्र अनुसार यह खदान विनाकित/सीमांकित कर भोगित है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग लाइन प्रस्तुत किया गया है, जो खानि अधिकारी, जिला-दिक्षिण दस्तर दस्तोवाज द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्षारी प्लान की योजना पत्र क्रमांक एवं दिनांक राजसी यामकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिक्षत खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्रा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 773/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवशिष्ट अन्य रेत खदानों की संख्या निरक्षित है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्रा) की द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 100 मीटर की परिधि में मटिर, मरघट, अस्पताल, रक्त, मुत, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिवर्द्धित क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
6. एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्रा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 711/कले./खनिज/रेख./रिओ./2019 बीजापुर, दिनांक 09/10/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु कैम है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रिहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट राई रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. निकटस्थ आवादी ग्राम-तारसामुड़ा 1.42 किमी एवं रुकुल ग्राम-तारसामुड़ा 2 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किमी दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अलंकृतीय जीवा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयाशालन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रोप्रिएट्रिटिव इंटीक्वलीट एवं पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या संवित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी की पाट की गहराई - औरता 160 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 85 मीटर दर्शाई गई है।
11. आवेदन अनुसार रूपज यम नदी की गहराई - 5 मीटर तथा नदी खनन की प्रस्तावित गहराई - 25 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित मार्डिनिंग प्लान अनुसार खदान में बाईमेवल रेत की मात्रा - 1,01,176 घनमीटर है।

#### बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्काल सर्वसम्मति से निम्नानुसार निष्णय लिया गया था:-

1. अनुमोदित तारानी प्लान का जावक पञ्च क्रमांक एवं दिनांक साथी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रायोलय जलेजटर (सामिज जारण) द्वारा उक्त जावान के 200 मीटर की परिधि में नदिर मरघट, अस्पाल, रुकुल, पुल, काप, एनीफट एवं जल आपूर्ति स्रोत जूरी प्रतिवेदित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रिहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट राई रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 किन्डजों का शिड बनावट जीमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेवल, उन्हें खनिज तिमान से प्रमाणीकृत उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / इस्तादित प्रस्तुत किये जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर उत्खनन में उपलब्ध रेत की मोटाई जागते जै लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़ा (Pit) खोदकर उसकी वातिलता गहराई का मापन कर, खनिज तिमान से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि नियोजक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / इस्तादित (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतिकारण हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी के गंगाधर रेहडी, प्रोप्राइटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपस्थित होकर सूचना दी गयी है कि दस्तावेज के अभाव के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना समव्य नहीं है। अतः आगामी माह के आधीनित बैठक में समव्य प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मिलि से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आधीनित बैठक में पूर्व में जाही गई प्राप्तियाँ जानकारी एवं समरक सुरक्षात जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु मिट्टेश्वित किया जाए।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक जौही एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी के गंगाधर रेहडी, प्रोप्राइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा गती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई—

1. उत्तराखण्ड योजना — सार्वजनिक प्रवास प्रस्तुत किया गया है, जिन अधिकारी जिला-दस्तावेजों के ज्ञापन क्रमांक 1434/खनिज/उत्तराखण्ड/रेत/2019 दस्तावेज, दिनांक 06/11/2019 द्वारा अनुभादित है।
2. कार्यालय कालेजिय (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 12/कल/खनिज/2020 बीजापुर दिनांक 03/01/2020 द्वारा जाही प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर तक परिषित में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र या रोड, बांध, अस्थान, रक्कूल, पुल, बांध एवं कट एवं जल अपूर्ति अदि प्रतिष्ठित ढोक नहीं है।
3. भारत राष्ट्रकार पर्यावरण, वन और जलपायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रिहित ग्राहण में डिस्ट्रीक्ट सर्किट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. रेत उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित ल्यत पर प्रति हेक्टेयर 4 दिन्दुओं का गिरु बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) छाटा दिनांक 12/12/2019 को रेत सतह के स्तरलेवल (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। इसी रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्परेटर बेच भार्क का घटन नहीं किया गया है तथा दिन्दुओं को गिरु में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। जामन उपरित टेम्परेटर बेच भार्क का वर्षा एवं अन्य कारकों से परिपर्ति होना समाप्ति है। अतः जिससे पुन रेत सतह का लेवल (Levels) लिया जाना समव्य प्रतीत नहीं होता है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष जाहिल सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आधीनित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुसार को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विभाग उपरात सर्वसम्मिलि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 मिन्दूओं का छिड़ बनाकर गहीमाम में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर यिह मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाएं। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेशन बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाएं। टेम्परेशन बेंच मार्क (TBM) में आरएल एवं—ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। यिह मैप में टेम्परेशन बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं।
- रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर गहीमाम में उपलब्ध रेत की भोटाई जाने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़ा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहीता का नाम देकर खनिज विभाग से इमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहीता हेतु पश्चात्तमा भी प्रस्तुत किया जाए।
- यदि पूर्व में आवंदित स्थल पर खनन हेतु साउथ सेंटर पर्यावरण समाजात निर्धारित प्राप्तिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छलीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाजात निर्धारित प्राप्तिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छलीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की त्रिति एवं अधिराजित जाति के पश्चात में वह गई जानकारी की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही गुप्तारोपण की अवधारण रिप्टि की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
- यदि खदान चूर्चे से सञ्चालित है, तो विनाश कर्ता में यिह गए उत्थानन की वास्तविक भाँति की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करके प्रस्तुत की जाए।
- भारत राजकारण पर्यावरण एवं और प्रलक्षण परिवर्तन मंत्रालय, मर्द दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स Levels लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आवंदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुलगत जानकारी / दस्तावेज (अधितन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदामुक्तार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के साथम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (द) रामिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी. मगधर रेड्डी प्रोपरटीटर एवं श्री हीलकार प्रसाद साहू खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। रामिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अधीक्षण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 मिन्दूओं का छिड़ बनाकर गहीमाम में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) जाटा दिनांक 19/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
- रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर गहीमाम में उपलब्ध रेत सतह की भोटाई जाने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़ा (Pit) खोदकर उसकी

वास्तविक गहराई का मापन कर यनिज दिभाग से उमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जितके अनुसार रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित रथल पर 6 गहराई (Pi) लीटरपर उसमें रेत सातह की गहराई नापने के आधार पर वर्तमान में रेत की घण्टला नोटाई 25 मीटर से 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पायनाम भी प्रस्तुत किया गया है।

4. रेत उत्थानन मेनुअल विभि से एवं भराई का कार्य सीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
5. भारत सरकार पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई विली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु रामिति के समक्ष विश्वार से जारी उपरात निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			CER Fund Particulars	Allocation (in Lakh)
Rs. 4.5	2%	Rs. 0.09	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Tarlaguda	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.30
			Total	Rs. 0.30

रामिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक की निर्दिशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विश्वात प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्थानन की अनुमति मानी है। अनुमोदित उत्थानन योजना में उत्थानन किए जाने वाले छोड़ की वार्षिक रेत पुनर्जन संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्त्वावधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। गोदावरी नदी यही नहीं है तथा उसमें यार्डिकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्जन होने की संभावना है।

सगिति द्वारा विवार विभाग उपरात सर्वसाम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (प्राम-तारलगुदा) का रक्का 4.047 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में खीकूत/सचालित खदानी का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक रुप सहस्ररुप नहीं होने के कारण यह खदान यी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 900 नग पीढ़ी – 450 नग अल्जुन की पीढ़ी तथा शेष 450 नग (जामुन, कर्वज, याक, आम आदि) पीढ़ी लगाए जायें।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान छोड़ में जानानी 1.5 वर्ष में विश्वात गांद अध्ययन (Erosion Study) करायेगा ताकि रेत के पुनर्जन (Replenishment) वाचत रही आज़के रेत उत्थानन का नदी, नदीताल, स्थानीय बनस्पति, जीव एवं सूखा जीवों

पर प्रभाव तथा नदी के पानी की मुण्डता पर रेत उत्थानन के प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनर्मरण की विधि के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा मह नदी 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्थानन समाप्त होने के बाद) रेत संग्रहन में पूरी नियोजित गिर्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरस (Levels) का भाष्य किया जाएगा। इसी प्रकार पोर्ट-मानसून में (रेत उत्थानन प्रारम्भ करने के पूर्व मास कम्प्युबर) इन्हीं गिर्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरस (Levels) का भाष्य किया जाएगा। पोर्ट-मानसून के आकड़े दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं दी—मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनियायी काप से ऐसाँ आईएए छत्तीसगढ़ की प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूरी नियोजित गिर्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरस (Levels) का भाष्य आगामी 3 वर्ष तक निश्चिर किया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार विभास उपरात सांत्वनमति से भी को मगधर रेडी तारलागुडा सेण्ड माईन को लासरा क्रमांक 55/1, शाम—तारलागुडा, तहसील—भोपालपट्टनम, जिला—बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में रेत उत्थानन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 60,000 पन्नीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने वाली अनुसंधान की गई। रेत की खुदाई अभियानों द्वारा (Manuactivity) की जाएगी। इवर बेड में भारी याहनी का प्रयोग प्रतिवर्षित होगा। लीज क्षेत्र में विष्ट रेत खोदाई गद्दे (Excavation pits) से लोडिंग चार्केट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को सम्पन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विभास उपरात प्राधिकरण द्वारा सांत्वनमति से समिति की अनुसंधान को स्थीकार करते हुये भी को मगधर रेडी तारलागुडा सेण्ड माईन को लासरा क्रमांक 55/1, शाम—तारलागुडा, तहसील—भोपालपट्टनम, जिला—बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में रेत उत्थानन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 60,000 पन्नीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।**

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

17. मेरास श्री मनीष सिंह (रेगुडा सेण्ड माईन, शाम—रेगुडा, तहसील—भोपालपट्टनम, जिला—बीजापुर), रेस्ट हाउस, पुराना बसा रैटेंग वारा, तहसील व जिला—बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1024) औनलाईन आवेदन — प्रयोजन नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 46292/ 2019 दिनांक 16/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत औनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 25/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु मिट्टिशत किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारीत जानकारी दिनांक 04/12/2019 की औनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण —** यह प्रस्तावित रेत लादान (गौण खानिज) है। यह खदान शाम—रेगुडा, तहसील—भोपालपट्टनम, जिला—बीजापुर रियल लासरा क्रमांक 1/1, [N]—

पुल लीज कोड 4047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्थनन इन्ट्रायरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्थनन क्षमता-1,01,175 मीटर प्रतिघण्ठा है।

प्रस्ताव के साथ रांगन मुख्य प्रमाण पत्र - परिधोत्तमा प्रस्तावका द्वारा रेत खदान (मीठा खनिज) को पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य स्पष्ट से निम्न प्रमाण पत्र रांगन किये गये हैं:-

1. याम पचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्थनन के साथ में याम पचायत भट्टाकाली दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित / सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शासा द्वारा खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर दीप्त बाहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. उत्थनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, खनि अधिकारी जिला-दब, दनोबाद के जापन क्रमांक 1432/खनिज/उत्थ.यी.अन्/रेत/2019 दनोबाद, दिनांक 06/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिस्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शासा), जिला-बीजापुर के जापन क्रमांक 772/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवशिष्ट अन्य रेत खदानों की संख्या निर्दित है।
5. प्रार्थालय कलेक्टर (खनिज शासा), जिला-बीजापुर द्वारा आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होते हीसे मंदिर, मरमाट, अस्पताल, रक्त पुल, बांध, झीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवर्षित होते निर्मित छोड़ा नहीं होने संख्या यानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. पलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शासा), जिला-बीजापुर के जापन क्रमांक 714/कले./खनिज/रेत./रिआ०/2019 बीजापुर, दिनांक 09/10/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. कार्यालय यन्मण्डलाधिकारी बीजापुर यन्मण्डल, जिला-बीजापुर के जापन क्रमांक /वत.अ/ 1528 बीजापुर दिनांक 06/04/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर अभावारण्य/टाईगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान रिशत नहीं है।
8. भारत सरकार पर्यावरण भव और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रिहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट लैवी रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. निकटसम प्राचारी शाम-रात्रि 0.45 कि.मी. एवं प्राचारीक रक्त प्राचारी 0.6 कि.मी. है।
10. परियोजना प्रस्तावका द्वारा 10 कि.मी. की परिधि ने अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभावारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पील्युटेल एरिया, पारिवर्षिकीय संवेदनशील होते या घोषित जीवविविधता होते रिशत नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. आवेदन अनुसार खदान रथल पर नदी के पाट की चौड़ाई - जीसता 180 मीटर तथा खनन स्पष्ट की चौड़ाई - 200 मीटर दसोई गई है।

12. आर्द्धदिन अनुसार समय पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा ऐसे समय की प्रस्तावित गहराई – 25 मीटर वर्षा की मही है। अनुमोदित माईनिम पराम अनुसार लंबान में माईनेक्ल रेत की मात्रा – 1,01,175 मीटर है। नदीकट के किनारे में 50 मीटर छोड़ा गया है।

## वैद्युतों का विवरण —

(अ) सागित्री की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019

समीक्षा द्वारा प्रकल्प की नमी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा सत्याग्रह सर्वसम्मिलि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज भारत) द्वारा उक्त खदान प्रिन्हाकित / सीमित तथा घोषित होने वाले जानकारी प्रस्तुत की जाए।
  2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज भारत) द्वारा जाक्त खदान के 200 मीटर की वरिष्ठ महिंद्र चरघट, असपाताल, लकड़ी, पुले बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति संकेत आदि प्रतिवर्धित क्षेत्र निश्चित होने अवश्य न होने वाले जानकारी प्रस्तुत की जाए।
  3. ऐसा उत्तरानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 घिन्दुओं का छिप बनावार पर्यामन में ऐसा उत्तरान के लेवल्स Levels खेकर उनके खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
  4. ऐसा उत्तरानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर यात्रान से उपलब्ध ऐसा की सीटाई जानकारी के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक ग्रहण (Pic) खोदफर उत्तरकी प्रस्तावित गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
  5. भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलपायु परिवर्तन मंडालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्राप्ति में हिस्ट्रीकट साई रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
  6. भारत सरकार पर्यावरण बन और जलपायु परिवर्तन मंडालय नई दिल्ली की अ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
  7. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपस्थित राजस्व सुरक्षात जानकारी / दस्तावेज (अद्वातन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रत्यावर्तक को ऐसा हुआ ही उल्लेखनहै कि आपने दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रत्याकरण हेतु सुधित किया गया।

(b) समिति की 306वीं बैठका दिनांक 17/01/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु भी मनोज सिंह, प्रोप्राइटर उपस्थित हुए। गमिति हारा भारती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि पापृष्ठ गया—

- कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से खदान चिनाइना/सीमांकित कर पायित आवश्यकता प्रमाण पत्र प्रशस्तुत भी गई है।
  - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के द्वापन क्रमांक 1020 /काले /खनिज /2019 बीजापुर दिनांक 28 /12 /2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर भी सार्वजनिक होना

जैसे नियंत्रण भवन, अस्पताल, स्कूल, पुल, घास एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित होने जाती है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित भारत में हिस्ट्रीकट जैव रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. ऐसा उत्थानन हेतु प्रस्तावित रूपता पर प्रति हेक्टेयर 4 चिन्हों का गिर्ध बनाकर बहनामन में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) छाटा दिनांक 12/12/2019 को ऐसा सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज इसलिये लिया गया है। जैव रिपोर्ट में उपर्युक्त टेम्परेशन बेच मार्क का वर्णन नहीं किया गया है तथा चिन्हों को गिर्ध मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। बर्तमान धरानी टेम्परेशन बेच मार्क का दर्पों एवं अन्य जारी हो परिवर्तित होना समावित है। जल जिससे पुनः ऐसा सतह का लेवल (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जागिति के समझ विहित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 की आधारित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवश्य दिये जाने का अनुरोध किया गया। जागिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक की अनुरोध को सम्म किया गया।

जागिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निष्ठाय लिया गया था—

1. ऐसा उत्थानन हेतु प्रस्तावित रूपता पर प्रति हेक्टेयर 4 चिन्हों का गिर्ध बनाकर बहनामन में ऐसा सतह के लेवल्स (Levels) सेक्यल गिर्ध मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाए। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेशन बेच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेशन बेच मार्क (TBM) में जारी एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अविक्षित किये जायें। गिर्ध मैप में टेम्परेशन बेच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत कोटोराप्पस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. ऐसा उत्थानन हेतु प्रस्तावित रूपता पर बर्तमान में उपलब्ध ऐसे की गोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़ा (Pit) खोदकर जलाली वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। ऐसे की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जायें।
3. यदि पूर्व में आवश्यित रूपता पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सम्बाद नियोगीय प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ अखण्ड जिला राजीव पर्यावरण सम्बाद नियोगीय प्राधिकरण (वी.ई.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में जी गई कायेकारी की जानकारी कोटोराप्पस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही खनारोपण की अद्यतन विधति की जानकारी कोटोराप्पस सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से समाप्ति है, तो गिर्ध यक्षी में किए गए उत्थानन की वास्तविक महज जी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार पर्यावरण एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

६. खनि नियोक्त के एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) से मैटे दाले राईपर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आधारित घैठक से उपरोक्त समस्त रुसांगत जानकारी / दस्तावेज़ (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार खनि नियोक्त के एवं परियोजना प्रस्तावक को दुर्लाप के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु शृंखित किया गया।

(र) समिति की ३०८वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष सिंह, प्रोफेशनल एवं श्री लीलापुर प्रसाद राहु खनि नियोक्त कुपरियात हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी को अदलोकन एवं परीक्षण करने पर भिन्न विचार पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर द्रिटी ड्रेकटेयर 4 बिन्डुओं का छिप चनाकर उत्खनन में पोर्ट—मानसून (Post-Monsoon) ढाठा दिनांक 19/01/2020 को रेत सतह को लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनित कियाग से प्रमाणीकरण उपरां फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया है।
- रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर कर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की ऊटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़डा (Pit), खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनित कियाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर ३ गढ़डा Pit खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर उत्तमान में रेत की उपलब्ध ऊटाई २५ मीटर से ३ मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु परामर्श भी प्रस्तुत किया गया है।
- रेत उत्खनन मैन्युफ्ल वित्ती से एवं भराई का खारे सोडर द्वारा कन्साय जाना प्रस्तावित है।
- भारत सरकार, पर्यावरण, जन और जलपायु परियोजन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा एवं दिनांक 01/05/2018 के अनुसार दी हुई आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समझ विस्तार से भारी उपरां नियन्त्रण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 4.5	2%	Rs. 0.09	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Reguda	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.30
			Total	Rs. 0.30

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक की निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

६. परियोजना प्रस्तावक द्वारा २.५ मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मार्गी है। अनुगोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण लंबाई आव्ययन कार्य एवं उत्खननीय आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इस्टायली नदी यही नदी है तथा इसने वर्षाकाल में सामान्यतः १५ मीटर गहराई की अधिक रेत का पुनःभरण होने वाली समावेश है।

समिति द्वारा विचार विभार्ता उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

१. आवेदित खदान (पाम-रेन्डर) का स्थान ४.०४७ हेक्टेयर है। खदान की सीमा से ५०० मीटर की परिधि में स्थीरत/संचालित खदानों का कुल होकर ५ हेक्टेयर से अधिक का कलरस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान घी-२ ब्रेंटी की नदी गयी।
२. प्राथमिकता की आवार पर नदी सह पर कुल ९०० नम घी-२ - ४५० नम अर्जुन की पीछे तथा शेष ४५० नम (जामुन, करज, बांसा, आम आदि) पीछे लगाए जायें।
३. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी १.५ वर्ष में विस्तृत गाद अव्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय इनरपर्टी, दीव एवं रुद्रम जीवों पर प्रभाव तथा नदी की पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की जाही जाग्रत्कारी प्राप्त हो सके।
४. रेत पुनःभरण की स्थिति के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माल नं० २०२० के अन्त में मानसून पूर्व रित उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित छिड़ छिन्हों पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रात उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व माल अवकूपर) इनी छिड़ छिन्हों पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आकल्ड दिसंबर २०२०, २०२१, २०२२ एवं घी-मानसून के आकल्ड अगस्त २०२०, २०२१, २०२२ तक अनियार्य रूप से एस है-आई-ए-ए उत्तीर्णगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह की पूर्व निर्धारित छिड़ छिन्हों पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी ३ वर्ष तक नियतर किया जाएगा।
५. समिति द्वारा विचार विभार्ता उपरांत सर्वसम्मति से भी मनीष सिंह, रेन्डर संघ माईनर्स को खदान क्रमांक १/१, पाम-रेन्डर, राहसील-भोपालपट्टनम, जिला-फीजापुर, कुल लीज होकर ४.०४७ हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकातम १५ मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल ६०,००० घनमीटर प्रतिवर्ष रेत पर्यावरणीय कीर्ति, जारी दिनांक से ०२ वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशस्ता की गई। रेत की लुदाई क्षमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रियर एंड में भासि वाहनों का प्रयोग प्रतिवर्षित रहेगा। सीज होकर में खित रेत लुदाई गढ़ठ (Excavation pits) से लोडिंग प्लाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रैलर द्वारा किया जाएगा।

प्राथिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राथिकरण की दिनांक १४/०२/२०२० को संपन्न १४वीं बैठक में विचार किया गया। प्राथिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। पिचार विभज्ञी उपचात्र प्रधिकरण द्वारा सर्वेसम्मति से समिति भी अनुशासा को रवीवार बनाते हुए भी मनीष सिंह, रमेश सेण्ड माईन को खासा क्रमांक 1/1, ग्राम-रेमुड़ा, तहसील-भोपालपट्टनम, ज़िला-बीजापुर, कुल लीज बोर्ड 4,047 हेक्टेयर में रेत उत्थानम अधिकातम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए युल 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

18. गैरार्ड श्री वशीक आलम (चेरपाल सीण्ड खारी, ग्राम-चेरपाल, तहसील-भोपालपट्टनम, ज़िला-बीजापुर), शाति नगर, तहसील व ज़िला-बीजापुर (सावियालय का नस्ती क्रमांक 1044)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ लौली/ एमआईए/ 129010 / 2019, दिनांक 03 / 12 / 2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान ग्राम-चेरपाल, तहसील-भोपालपट्टनम, ज़िला-बीजापुर रिहत खासा क्रमांक 23, कुल लीज बोर्ड 3,341 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्थान चेरपाल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्थानम क्रमांक-50,115 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गोण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्थानम के साथ में याम पंचायत चेरपाल दिनांक 20 / 08 / 2019 पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित / रीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा खदान चिन्हांकित / रीमांकित कर दीपित चाहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. उत्थान योजना - माईनिंग एकान्प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी ज़िला-दक्षिण बरतार दतेपाला के ज्ञापन क्रमांक 1460 / खनिज / रेत / 2019-20 दतेपाला, दिनांक 19 / 11 / 2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिहत खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 774 / कले / खनिज / 2019 बीजापुर दिनांक 21 / 10 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर अवधिपूर्व अन्य रेत खदानों की संख्या निरक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-बीजापुर द्वारा आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मन्दिर, मरुषट, असामाजिक स्थान, पुल, बांध, ब्रिज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने संभाली जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. चलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 762 / कले / खनिज / रेत / रिओ / 2019 बीजापुर दिनांक 16 / 10 / 2019 द्वारा जारी जी मई, पिसारी अवधि 02 वर्ष हेतु दिया है।

100000

7. भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित जलवायु में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आकाशी राम-चेरपल 0.475 कि.मी. एवं स्कूल राम-चेरपल 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आर्द्धांतीय ग्रीष्म, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण विद्युत्वण वाले द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूट्स ऐरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होड या घोषित जीवविविधता के स्थित महीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की गहराई - औसत 55 मीटर तथा खनन उधल की गहराई - 75 मीटर दर्शाई गई है।
11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 15 मीटर दर्शाई गई है। अनुमानित साईंनिंग लान अनुसार खदान में माईनरेल रेत की मात्रा - 50.115 एमीटर है। नदीहाट के छिनारे में 10 मीटर छोड़ा गया है।

**बैठकों का विवरण -**

(अ) रामिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

रामिति द्वारा प्रकारण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्त्वमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निणीय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा) द्वारा उक्त खदान प्रिन्हाइल/शीमाकिल कर घोषित होने वाले जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मटिर मराफ्ट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाढ़, एनीलट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिवेदित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने वाले जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 घन्डों का डिल बनाकर घैमाल में रेत रातों के लेवल्स (Levees) लेकर, उन्हें खणिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरात कोटीयापत्ता निर्मित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर यातानन में उपलब्ध रेत की गौटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर ने कम से कम एक ग्रॅड्डा (Pt) छोटकर उसकी यास्तिक गहराई का मापन कर, खणिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. लीज शीमा से निकटतम बन होड की यास्तिक दूरी संबंधी जानकारी हेतु बन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑ.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. रेति निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी बाह ती बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (जहारान-कोटीयापत्ता) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार खणि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसडृएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक आलम, प्रौद्योगिक उपरिक्षेत्र हुए। समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर जिम्मे लिखते पाई गई-

1. कार्यालय कलेक्टर, समिज शास्त्रा से खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (समिज शास्त्रा) जिला-बीजापुर के झापन कुमाक 1021/कल./खनिज/2019 बीजापुर दिनांक 20/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिसी में कोई भी साकेनिक शेष जीसे भट्टेर, मरधट, अस्पताल, स्कूल, पुल वांछ एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
3. कार्यालय पनमांडलांचिकारी, बीजापुर वनमांडल, जिला-बीजापुर के झापन कुमाक /माति/6041 बीजापुर दिनांक 19/11/2016 को जारी अनापाति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित रेत खदान की सीमा से 5 कि.मी. की भीतर कोई अन्यथा/टाईगर रिजर्व / राष्ट्रीय उद्यान की सीमा लिखत नहीं है।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित रथल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर बीमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) छाटा दिनांक 13/12/2019 की रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त ईमररी बैच मार्क का बयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को गिड बैच से प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। यहां पर्यावरण ईमररी बैच मार्क का रूपी एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना सम्भवित है। अतः जिससे पुनः रेत सतह का लेवल्स (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।
5. परियोजना प्रस्तावका द्वारा समिति के समझ पाइत रूपी रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आपांतित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावका को अनुरोध दो जानकारी दिया गया।

समिति द्वारा उत्समय सर्वेताम्भि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित रथल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर बीमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) संकर गिड बैच से प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टैम्पररी बैच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टैम्पररी बैच मार्क (TBM) से आरएल को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। गिड बैच से टैम्पररी बैच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज पिनाम से प्रमाणीकरण करकार कोटोशापत्र सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित रथल पर बांधान में उपलब्ध रेत की नोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मढ़डा (Pit) खोदकर उसकी दास्ताविक गहराई का मापन कर, सामिज पिनाम से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत रखी जाए। रेत की दास्ताविक गहराई हेतु पर्यामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. यदि पूर्व में आवेदित रथल पर खदान हेतु शाख्य स्तर पर्यावरण समाधान नियंत्रण प्राधिकरण (एसआईआईएए), छत्तीसगढ़ अवयव पिलार रत्नीय पर्यावरण समाधान नियंत्रण प्राधिकरण (वीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय सीकृति दी गई

ही तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थिकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की नई कार्यवाही की जानकारी कोटीयापस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही ग्रामपाल की अद्यतन रिकॉर्ड की जानकारी कोटीयापस सहित प्रस्तुत की जाए।

- गढ़ि खदान पूर्ण हो सकालिता है, तो विभाग की में छिए गए उत्त्पन्न की चारतादिक माजा की जानकारी खणिज प्रभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
  - भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार रीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
  - खास निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स Levels, लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) को साथ दिनांक 20/01/2020 की आगोवित ऐडम में उपस्थित समरस सुसागत जानकारी / दस्तावेज (अधितन कोटीशापत्त) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार यह निश्चाक एवं परियोजना प्रवादक के दूरभाव के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सहित किया गया।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक आलम, प्रोप्राइटर एवं श्री लीलापर ग्रसाव राहु जिनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी इन्सुल चामकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर मिति विधि पाई गई—

- पूर्व में रास्तपाल याम पंचायत घेरपाल के नाम से रेत खदान पाटी औफ यासरा क्रमांक 23, बीजपाल 3341 हैटटेयर वागता-30.000 प्रमीटर प्रलिपर्फ हैत जिला रतारीय पर्यावरण समाधान नियारिण प्राधिकरण, जिला-बीजापुर द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता दिनांक 30/12/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।
  - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता को शहरी के पालन में की गई कार्यवाही तो जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गांद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
  - रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 छिन्दुओं का मिड बनायार चर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) राता दिनांक 18/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
  - रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़दा (Pit) खोदकर उसकी तास्तिया गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। यिनकी अनुसार रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 4 गढ़दा (Pit) खोदकर उनमें रेत सतह की गहराई जानने की आधार पर चर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर से 3 मीटर है। रेत की याकृतिका गहराई हेतु पंथनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
  - रेत उत्थनन मैनुअल विधि से एवं भराई जल कार्य लौहर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन नीतियों के ओं एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु रामिति के सम्बन्धित रोड़ाउपराइट निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 4.0	2%	Rs. 0.08	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Cherpal Rain Water Harvesting System Total	Rs. 0.30

रामिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्ताव किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नामी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आकृष्टों का सम्बोधन नहीं किया गया है। खेतपाल नदी छोटी नदी है तथा इसमें पर्यावरण में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की समावगत है।

रामिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार नियम लिया गया—

- आवेदित खदान (ग्राम-खेतपाल) का उच्चारा 3.341 हेक्टेयर है। खदान की सामा से 500 मीटर की विशिष्टि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल हेक्टेयर 5 हेक्टेयर से अधिक का कलरस्टर निमित्त नहीं होने के कारण यह खदान बी-२ श्रेणी की नामी गयी।
- प्राधिकारिक जाधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नम फीसे—1,000 नम अर्जुन की फीसे तथा ऐसे 1,000 नम (जामुन, बरंज, बास, आम आदि) फीसे लगाए जायेंगे।
- परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाढ़ अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत का पुनःभरण (Replenishment) बाबत जहाँ आवाहू, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, क्षाणीय दनतपति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की नुसारता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो सके।
- रेत पुनःभरण की स्थिति के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाह मई 2020 को अन्त में भानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान से पूर्व निर्धारित शिफ्ट विन्डुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पर्स्ट-ग्रामसूम वे (रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व मात्र अवश्यक) इन्हीं शिफ्ट विन्डुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

जाएगा। फौरन-तानसून को आपको दिसम्बर 2020, 2021, 2022 तक प्री-मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एवं इंटीसर्वेट को प्रस्तुत किए जायेंगे। ऐसे सतह के पृष्ठ निर्धारित चिह्न चिन्हों पर ऐसे सतह के लेवल्स (Levels) का नापन का गति आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वेतम्भाति से श्री अशोक आलम, चैरपाल सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 23, याम-चैरपाल, तहसील-भोपालपट्टनम जिला-बीजापुर कुल लीज क्षेत्र 3.341 हेक्टेयर में ऐसे उत्खनन अधिकरण। मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 33,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। ऐसे की खुदाई अग्रिको द्वारा (Manually) की जाएगी। रिपर बैंड में भाँड़ याहनी का प्रयोग प्रतिवर्षित रहेगा। लीज क्षेत्र में रिपर रेत खुदाई गढ़वे (Excavation pits) से लोडिंग प्लाईट तक ऐसे का परिवहन ट्रैक्टर हीली द्वारा किया जाएगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार -** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 95वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मरती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरात प्राधिकरण द्वारा सर्वेतम्भाति से समिति की अनुशंसा की स्थीकार करते हुये श्री अशोक आलम, चैरपाल सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 23, याम-चैरपाल, तहसील-भोपालपट्टनम जिला-बीजापुर कुल लीज क्षेत्र 3.341 हेक्टेयर में ऐसे उत्खनन अधिकरण। मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 33,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का जिर्णविधि लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

19. मेसर से श्री राजेश सिंह चौहान (मंगलनार सेण्ड माईन, याम-मंगलनार, तहसील-भैरमगढ़, जिला-बीजापुर), बाजार पारा, तहसील-भैरमगढ़, जिला-बीजापुर (साचिवालय का नस्ती क्रमांक 1018)

**ऑनलाइन आवेदन -** प्रधानमन्त्री / रीजी / एमआईए / 46363 / 2019 दिनांक 13/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियों होने से प्राप्त दिनांक 21/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दाखिल जानकारी दिनांक 04/12/2019 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित ऐसे खदान (गौण खगिज) है। यह खदान याम-मंगलनार, तहसील-भैरमगढ़, जिला-बीजापुर विधाल खसरा क्रमांक 183, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रायती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-100,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**प्रस्ताव के साथ सालग्न मुख्य प्रमाण पत्र -** परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऐसे खदान (गौण खगिज) के पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य क्षय से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं-

- याम घोचायत का अनापरित प्रमाण पत्र - ऐसे उत्खनन के संबंध में याम प्रस्तावक मंगलनार दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. विनाकित/सीमाकित – कार्यालय कलेक्टर, खानिज शाखा द्वारा यह स्वादान विनाकित/सीमावित्त कर घोषित सांकेती जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. चल्खानन योजना – मार्डिनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सभि अधिकारी, पिला-दक्षिण बरसार दस्तीवाड़ा के ज्ञापन ज्ञानांक 1435/खनिज/चल्ख या अनु/रेत/2019 दिनांक 06/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिखत स्वादान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन ज्ञानांक 776/कले/खनिज/2019 बीजापुर दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित स्वादान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत स्वादानी की रास्त्या निरक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर द्वारा आवेदित स्वादान से 200 मीटर तक परिधि में कोई भी सार्वजनिक होड़ तौसे गढ़िर, मरपट, अरपाल, रहूल, पुल, बांध, छोड़, एनीकट एवं जल जापुर्लि आपि प्रतिवर्षित होड़ निरक होने आवाया नहीं होने सांकेती जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. एल औ.आई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन ज्ञानांक 765/कले/खनिज/रेख/रिओ/2019 बीजापुर दिनांक 16/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 02 वर्ष होने चाहे है।
7. कार्यालय दग्नमण्डलाधिकारी, दनोवाडा दग्नमण्डल, जिला-दनोवाडा के ज्ञापन ज्ञानांक/कत.अ./85 दनोवाडा, दिनांक 04/01/2016 को जारी अन्यथा प्रमाण पत्र अनुसार रेत स्वादान की सीमा से 5 किमी के भीतर अभ्यारण्य/टाइगर रिजर्व/साफ्टीय बद्धान रिखत नहीं है।
8. भारत राष्ट्रपति, बन और जालवाय परिवर्तन बंजालय नड़ दिल्ली के अधिरूपना दिनांक 25/07/2018 द्वारा जिहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. निकटतम आवादी ग्राम-मगलनार 2 किमी एवं लकूल ग्राम-मगलनार 2 किमी की दूरी पर रिखत है। साफ्टीय बद्धान 2 किमी दूर है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, साफ्टीय बद्धान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्युटेंड एविया, पारिसंवर्तिकीय स्वेदनशील होड़ या घोषित जैवविविधता होड़ रिखत भरी होना प्रतिवेदित किया है।
11. आवेदन अनुसार स्वानन रथल पर नदी के पाट की गोडाई – औसत 1020 मीटर तथा द्वानन रथल की गोडाई – 80 मीटर रहती है।
12. आवेदन अनुसार स्वानन रथल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत स्वानन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दरकाई गई है। अनुसीदित मार्डिनिंग प्लान अनुसार स्वानन में मार्डिनेश्ल रेत की मात्रा – 1,00,000 एक्टोर्टर है। नदीतट के किनारे में 10 मीटर छोड़ा गया है।

#### बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकारण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तारानगर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान विनाशित / सीमांकित कर पांचित होने वाले जानकारी प्रस्तुत की जाए।
  2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की दूरी परीक्षण में गढ़िर भवस्थल अस्पताल, स्कूल, पुल बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रील आदि प्रतिविधित दोज निमित होने कथा म होने वाले जानकारी प्रस्तुत की जाए।
  3. ऐसा उल्लेखनम हेतु प्रस्तावित रूपल पर प्रति हेक्टेयर 4 दिन्दुओ का ग्रिड बनाकर चर्तमान मे ऐसा सतह के लेवल्स (Levels); लेकर उन्हेखनिज पिभाम से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
  4. ऐसा उल्लेखनम हेतु प्रस्तावित रूपल पर चर्तमान मे उपलब्ध रेत की गोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर मे कम से कम एक मढ़दा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का भाष्म कर, खनिज पिभाम से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
  5. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
  6. खनि मिरीकरक तथा परियोजना प्रस्तावक जौ आगामी माह की बैठक मे उपरोक्त समस्त दूरागत जानकारी / दस्तावेज (उदासन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसडीएसी छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिक्रिया 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(v) रामिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश सिंह चौहान, प्रोफेशनल इंजीनियर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को समझ बाधित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का लन्तरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक की अमुरीत को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था—

1. ये उत्तराधिकारी हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का शिफ्ट बनाकर उत्तराधिकारी में ये सतह को लेवल्स (Levels) सेवर पिछे में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाएं। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टैम्पररी बेच भार्क (TBM) में आरएस. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अधिकत रूप से जाएं। टैम्पररी बेच भार्क (TBM) में टैम्पररी बेच भार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें संनिधि विभाग से प्रभागीकरण पुष्टरात्रि कोटीयापत्र सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं।
  2. ये उत्तराधिकारी हेतु प्रस्तावित स्थल पर यत्तमान में उपलब्ध ये रेत की भौटिकी जानकारी की लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक ग्रामा (Pm) खोदकर उत्तराधिकारी वास्तविक गहराई का मापन कर, संनिधि विभाग से प्रभागीत जानकारी प्रस्तुत की जाए। ये रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत रखिया जाएं।
  3. यदि घृंग में आवेदित स्थल पर जनम हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाजित मिर्झारण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अवया विला स्तरीय पर्यावरण समाधान नियंत्रण प्राधिकरण (टीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई

- है, तो पूर्व में जारी वायावरणीय स्थीकृति की प्रति एवं अधिकारित गती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोचाप्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी फोटोचाप्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो पिंगल घर्मी में लिए गए उत्तराखण्ड की वास्तविक मात्रा की जानकारी खानिज विभाग से प्रमाणित करा वह प्रस्तुत की जाए।
  5. भारतीय सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रत्यावरण प्रस्तुत किया जाए।
  6. खानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स Levels: लेने वाले सैर्वेयर (Surveyor) को रात्थ दिनांक 20/01/2020 की आवाजित बैठक में उपरोक्त समरत सुनिश्चित जानकारी / दरतातेज (अद्यतन फोटोचाप्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार खानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दुलाध की भौमिका से प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

#### (स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धर्मेन्द्र कुमार भैना अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री लीजापार प्रस्ताव रात्थ खानि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा गतीय प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में वायावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
2. रेत उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 किन्तुजी का पिछला बनावार बरोगान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) दिनांक 19/01/2020 को रेत बरोगान के लेवल्स Levels: लेकर उन्हें खानिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरात फोटोचाप्स सहित जानकारी / दरतातेज प्रस्तुत किया गया है।
3. रेत उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल पर बर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की ऊटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में तम से तम एक गढ़दा (Pit) स्तोंदकर उपराती वास्तविक गहराई का मापन कर सुनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल पर 4 गढ़दा Pit स्तोंदकर उपराते रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर बर्तमान में रेत की उपलब्ध ऊटाई 2.5 मीटर है। ऐसा की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
4. रेत उत्तराखण्ड मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य सौखर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
5. भारतीय सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के बामधा विस्तार से वर्धी उपरात निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)

	<b>To be Spent</b>	<b>Activities (in Lakh)</b>	<b>Particulars</b>	<b>CER Fund Allocation (in Lakh)</b>
			Following activities at Nearby Government School Village-Mangainar	
Rs. 31	2%	Rs. 0.62	Rain Water Harvesting System	Rs. 0.62
			Running water arrangement for toilets	Rs. 0.15
			Potable drinking water facility	Rs. 0.15
			Plantation work	Rs. 0.32
			<b>Total</b>	<b>Rs. 1.24</b>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रवर्त्त किया जाए।

- परियोजना प्रस्तावक छाता 2 गीटर ली गहराई ताक उत्थानन की अनुमति मार्गी है। अनुमतिदित उत्थानन योजना में उत्थानन किए जाने वाले क्षेत्र की वासिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सामान्य नहीं किया गया है। इन्द्रावती नदी बढ़ी नदी है तथा इसने पर्यावरण में सामान्यतः 1.5 गीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भव होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विधार विभार उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- आवेदित खदान (याम—मध्यस्थान) का रकमा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 गीटर की परिधि में स्थीर्घृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर विभिन्न नहीं होने के प्रबन्ध यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
- प्राथमिकता के आधार पर नदी जट पर कुल 1500 नग पीछे - 750 नग अर्जुन की पीछे तथा रोप 750 नग (जामुन, बरंज, बास, आम आदि) पीछे लगाए जायेगे।
- परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाढ़ अव्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) वायर लही आंकड़े रेत उत्थानन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी की पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्थानन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
- रेत पुनर्भरण की विधि को आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक छाता माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्थानन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित गिरु विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोर्ट—मानसून में (रेत उत्थानन प्रारंभ करने के पूर्व भाज अव्ययन) इन्हीं गिरु विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोर्ट—मानसून की आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री—मानसून के अव्ययन अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एसईआईएर उत्तीर्णगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित गिरु विन्दुओं पर

रेत रातह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 दिन तक निरत किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार दिनों पुराणात सर्वसम्मति से भी रातेश सिंह चौहान मण्डलनार सेप्टम्बर माईन को खसरा क्रमांक 183 गाम-मण्डलनार, तहसील-मैरमगढ़ जिला-बीजापुर कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकालम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विदेजाने की अनुमति की गई। ऐसे ली खुदाई धनियों द्वारा (Manually) की जाएगी। विदेश एंड में जारी याहानी का प्रयोग प्रतिवर्ष रहेगा। लीज क्षेत्र में रिक्षत रेत खुदाई गढ़वा (Excavation pits) से लैडिंग चाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रीली द्वारा किया जाएगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार -** उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को सम्पन्न 34वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अबलोकन किया गया। विचार दिनों पुराणात प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को खीकार करते हुये भी रातेश सिंह चौहान, मण्डलनार सेप्टम्बर माईन को खसरा क्रमांक 183 गाम-मण्डलनार, तहसील-मैरमगढ़, जिला-बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकालम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विदेजाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रवर्तनक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

20. मेसार्ह श्रीमती पद्मा भद्रोरिया (चन्द्र सेप्टम्बर माईन, गाम-चन्द्र, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर), लाकुर पारा, नकुलनार, तहसील-कुआकोण्डा, जिला-दन्तेवाडा (सविवालग का नस्ती क्रमांक 1046) और लाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ टीजी/ एमआईएन/ 129632/ 2019 दिनांक 05/12/2019।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खण्डिज) है। यह खदान गाम-चन्द्र, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर विधान घट्टरा क्रमांक 42/ 1, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गोणदाली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,21,410 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र -** परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गोण खण्डिज) के पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. गाम पर्वायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के राष्ट्रीय में गाम पर्वायत चन्द्र का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित / सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर खण्डिज शास्त्रा द्वारा खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. उत्खनन योजना - साईरिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो खाने अधिकारी जिला-दक्षिण नस्तर दन्तेवाडा के छापन क्रमांक 1529/खण्डिज/उ.पी./2019-20 दत्तेवाडा, दिनांक 02/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्री) जिला-बीजापुर को आपने क्रमांक 912/कले./खनिज/2019 बीजापुर दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आवृद्धि खदान से 500 मीटर अवधित अन्य रेत खदानों की संख्या निम्नक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्री) जिला-बीजापुर को आपने क्रमांक 914/कले./खनिज/2019 बीजापुर दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी साइंजनिक हात्त जैसे मंदिर, मरम्बट, अवशताल, रक्कूल, पुल, बांध, ग्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति जाति प्रतिबंधित हात्त निर्मित नहीं है।
6. ऐसे और आई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्री) जिला-बीजापुर को आपने क्रमांक 898/कले./खनिज/रेत./रिअ./2019 बीजापुर दिनांक 25/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. भारत सरकार पर्यावरण एवं और जलपायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं दिलची की अधिकारीयता दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रिहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. निकटतम आवादी गाम-घन्दूर 2 कि.मी. एवं स्फूल गाम-घन्दूर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। पास्ट्रीय जलमार्ग 2 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, केन्द्रीय प्रधारण नियंत्रण घोड़ द्वारा घोषित शिल्पिकाली गोल्ड्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की गहराई – 624 मीटर तथा खनन स्थल की गहराई – 160 मीटर दर्शाई रखी है।
11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई रखी है। अनुगोदित माझीनिंग प्लान अनुसार खदान में माझीनेबल रेत की मात्रा – 1,21,410 मानमीटर है। नदीतट के किनारे में 75 मीटर ऊँचा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की भवती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तात्पर्य सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्री) द्वारा उक्त खदान विनाकित/सीमावित कर घोषित होने वायत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर इति हेकटेयर 4 चिन्हाओं का गिर बनाकर यत्नमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरात फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
3. रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर बहनान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेकटेयर में कम से कम एक गहराई (Pit) खोदकर उत्तरी यात्तिक गहराई का मापन कर, सुनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. लोक सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक हूँडी संख्या जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
  5. भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रिहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
  6. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
  7. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुनांगत जानकारी / वस्तावेज (अद्यतन कोटीयाल्फा) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिशित किया जाए।
- एवं अनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी... छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु समिति किया गया।

#### (ब) समिति वी 306की बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु ली गोविन्द भट्टारिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपसिंचल हुए। समिति द्वारा नवीनी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिप्पति याहू गई—

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज गांव से जादान विनायित/सीमावित यत्र प्राप्ति जावात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी शीजापुर वनमण्डल जिला-शीजापुर के ज्ञापन क्रमांक/सा.वि./3632 शीजापुर दिनांक 26/09/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित होने वाले भूमि की सीमा से 20 किमी की दूरी पर है।
3. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रिहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. रेत उल्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का शिल बनाकर बर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) छाटा दिनांक 12/12/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/वस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। यार्ड रिपोर्ट में संघटक ऐमररी बैच मार्क का अध्यन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को शिल मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। बारंबान घटनित ऐमररी बैच मार्क का अधी एवं अन्य चारों से परिवर्तित होना लम्बावित है। आज जिससे पुनः रेत सतह का लेवल्स (Levels) लिया जाना समव्य प्राप्त नहीं होता है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सम्बा चाहित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / वस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आगोपित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्त्वामय सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. रेत उल्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का शिल बनाकर बर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर शिल मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत

किये जाएं। लेवल लैवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेटी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्दिष्ट किये जाएं। टेम्परेटी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अपिन किये जाएं। यिह माप में टेम्परेटी बेंच मार्क (TBM) की भी दर्शाइए, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकृत उपरोक्त फोटोयापस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित रथल पर बत्तमान में उपलब्ध रेत की गोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़दा (Pit) छोड़कर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु परमानामा भी प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित रथल पर खनन हेतु राज्य सत्र पर्यावरण समष्टिकरण नियांरण प्राधिकरण (एसईज्याईएप) छत्तीसगढ़ अध्यक्ष विभाग सत्रीय पर्यावरण समष्टिकरण नियांरण प्राधिकरण (डीईआईएप), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिकौपित गती के बालन में की गई जारीवाही की जानकारी फोटोयापस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षाशोपण की अद्यतन सिध्दति की जानकारी फोटोयापस सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से सम्पालित है, तो विभाग वर्षा में किए गए उत्खनन की वास्तविक भाजा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन भवालय, नई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/06/2018 की अनुसार गीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबलावक का खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आवौजित चिठ्ठी में उपरोक्त समस्त सूसगत जानकारी / दस्तावेज (उत्खनन फोटोयापस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

लदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबलावक वी दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (रा) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोपिन्द घटीरिया, अधिकृत प्रतिभिति एवं श्री लीलापर प्रसाद साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी का अनलोडन एवं परीक्षण करने पर गिम्मि स्थिति पाई गई।

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित रथल पर प्रति हेक्टेयर 4 दिन्दुजी का यिह बनाकर उत्खनन में पोस्ट-गान्धून (Post-Monsoon) ढाटा दिनांक 18/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोयापस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित रथल पर दर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की गोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़दा (Pit) छोड़कर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित रथल पर 6 गढ़दा (Pit) की

स्थीरकर उसने रेत सागर की महराई नापने के आधार पर उत्खनन में रेत की उपलब्ध मौटाई 25 मीटर से 3 मीटर है। रेत की पार्सिंग महराई हेतु पर्यावरण भी प्रस्तुत किया गया है।

4. रेत उत्खनन मेनुअल डिप्टि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना दृस्तावित है।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली वा ओ एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति वा समिक्षा प्रियार तथा उपरात निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 4.5	2%	Rs. 0.09	Following activities at Nearby Government School Village-Chandur Rain Water Harvesting System <b>Total</b>	Village- Chandur Rs. 0.30 <b>Rs. 0.30</b>

समिति द्वारा परियोजना दृस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्तुत प्रस्ताव एवं नाह में प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की महराई तथा उत्खनन की अनुमति मारी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संख्या अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। गोदावरी नदी की नदी है तथा इसमें वर्षांकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर महराई से अधिक रेत का पुनर्भराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विभाग उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (याम-बन्दू) का रेक्टा 4.047 हेक्टेयर है। खदान की लौमा के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर मिसिंग नहीं होने के कारण यह खदान ली-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्राथमिकता के अध्यार पर नदी तट पर कुल 900 नग पौधे - 450 नग अजून के पौधे तथा शीष 450 नग (जामुन, करंज, बास, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत नाद अध्ययन (Station Study) करायेगा, ताकि रेत को पुनर्भरण (Replenishment) काढ़ा जही आकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय उनरपति जीव एवं सूखम जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो सके।

4. ऐत पुनर्भवण की सिध्धिति के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाम नई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (ऐत उत्थानन समाप्त होने के बाद) ऐत स्थान में पूर्व निर्माणित शिल्प चिन्हों पर ऐत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इनी प्रवाह पोस्ट-मानसून में (ऐत उत्थानन प्रारम्भ करने की पूर्व माह अक्टूबर) इनी शिल्प चिन्हों पर ऐत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं पी-मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनियार्य स्थान से एवढ़ अद्वैत छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेगे। ऐत सतह के पूर्व निर्माणित शिल्प चिन्हों पर ऐत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरत किया जाएगा।
5. समिति द्वारा प्रियार विमान उपरात सर्वेसम्मति से श्रीमती पदमा भवीरिया, बन्दूर सेष्ट माईन को खासा क्रमांक 42/1, घाम-बन्दूर, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 4047 हैक्टेयर में ऐत उत्थानन अधिकातम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 60,000 घनमीटर प्रतिक्षर्व हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। ऐत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिपर बेठ में भारी पानी का प्रवेष प्रतिवित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित ऐत खुदाई गड्ढ (Excavation pits) से लौटिंग पार्ट तक ऐत का परियहन टैक्टर हीली द्वारा किया जाएगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार —** उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न प्रतीक्षा दैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार दिनही उपरात प्राधिकरण द्वारा सर्वेसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्थीकार करते हुये श्रीमती पदमा भवीरिया, बन्दूर सेष्ट माईन को खासा क्रमांक 42/1, घाम-बन्दूर, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 4047 हैक्टेयर में ऐत उत्थानन अधिकातम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 60,000 घनमीटर प्रतिक्षर्व हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का विषय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

21. मेसरी श्री चैतराम नाम (मिनगावल शेष्ट बधारी, घाम-मिनगावल, तहसील-मैरमगढ़, जिला-बीजापुर), हाँसिपट्टल पारा, शीर घर के पास, तहसील व जिला-बीजापुर (संविवालय का नस्ती क्रमांक 1047) अनलाईन आवेदन — प्रयोज्ञ नम्बर — एसआईए/ शीजी/ एमआईएन/ 129878/2019 दिनांक 08/12/2019।

**प्रस्ताव का विवरण —** यह प्रस्तावित ऐत स्थान (ग्रीण लगिज) है। यह स्थान घाम-मिनगावल तहसील-मैरमगढ़, जिला-बीजापुर रिहत खासा क्रमांक 36, कुल लीज क्षेत्र 3.4 हैक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्थानन मिनगावल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। स्थान की आवेदित उत्थानन क्षमता—88,000 घनमीटर प्रतिक्षर्व है।

**प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र —** परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऐत स्थान (ग्रीण लगिज) के पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य स्थान से ग्रीण प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उल्लंगन की संकेत में ग्राम पंचायत नामांकित कर दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हाकित / सीमाविनियोग — कार्यालय कलेक्टर खनिज शास्त्र से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हाकित / सीमाविनियोग कर घोषित है।
3. उल्लंगन योजना — खनिज पत्रान् प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी जिला-दस्तिए बरतर दोतोडा के ज्ञापन क्रमांक 1530 / खनिज / ता.पा. / 2019-20 दोतोडा, दिनांक 02/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 924 / कले. / खनिज / 2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आधेयित खदान से 500 मीटर की भीतर जनरियत अन्य रेत खदानों की स्थित निरूपित है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 923 / कले. / खनिज / 2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होकर छोड़ दी गई अस्थिति, अस्पताल, रक्षण, पुल, बांध, बीज, एलीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
6. रेत और जाई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 894 / कले. / खनिज / रेत. / रि.ओ. / 2019 बीजापुर, दिनांक 26/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी ऊंचाई 2 नर्म हेतु नीप है।
7. कार्यालय घनमण्डलाधिकारी, बीजापुर घनमण्डल, जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक / ता.म. / 3638 बीजापुर, दिनांक 26/09/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की सीमा से 5 किमी के भीतर अभयाशण / टार्फगर रिजर्व / राष्ट्रीय उद्यान विभाग नहीं है। प्रत्यावर्त दोनों घनमण्डल अभयाशण से 8 किमी दूरी पर स्थित है।
8. सरकारी राजकारण, बन और यातायात परिवहन संस्थान, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रिहित प्राप्ति में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. निकटतम आवादी ग्राम-संगठनार 0.2 किमी एवं स्कूल ग्राम-संगठनार 0.2 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.6 किमी एवं राजमार्ग 50 किमी दूर है।
10. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अंतर्राज्यीय रोड, राष्ट्रीय राजान् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पील्लुटंड एवं पारिस्थितिकीय संरोगनकील क्षेत्र पर घोषित जैवधियिता दोनों विभाग नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चोहाई — 145 मीटर तथा खनन स्थल की चोहाई — 90 मीटर दराई गई है।
12. आवेदन अनुसार स्थल पर देत की गहराई — 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई — 2 मीटर दराई गई है। अनुमोदित माइनिंग खान अनुसार खदान में माइनेशन रेत वर्ग मात्रा — 68,000 मानमीटर है। नदीतट के तिनारे में 40 मीटर छोड़ा गया है।

## **बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12 / 12 / 2019:**

समिति द्वारा प्रकरण की नसरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. ऐसा उत्तराधान हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का शिफ्ट बनाकर बर्तमान में ऐसा सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरात फोटोग्राफ़िस सहित जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाए।
2. ऐसा उत्तराधान हेतु प्रस्तावित स्थल पर बर्तमान में उपलब्ध ऐसा जी नोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़दा (Pit) खोदकर उसकी गासतयिक गहराई का मापन कर सामेज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार पर्यावरण एवं और जलपान्त्र परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओर इन दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. खनि नियोजक तथा परियोजना प्रस्तावक वो आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समात सुसंगत जानकारी / दस्तावेज़ (फलान फोटोग्राफ़िस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तथानुसार खनि नियोजक एवं परियोजना प्रस्तावक वो एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13 / 01 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

**(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17 / 01 / 2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चितराम नाम ग्रोपवार्डर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न नियति पाई गई—

1. ऐसा उत्तराधान हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का शिफ्ट बनाकर बर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 28 / 11 / 2019 को ऐसा सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया है। वर्षी रिपोर्ट में उपर्युक्त टेम्पररी बेच मार्क का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को शिफ्ट मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। यहीमान सशमित टेम्पररी बेच मार्क का वर्षी एवं अन्य कारबो से परिवर्तित होना संभवित है। अतः जिससे पुनः ऐसा सतह का लेवल्स (Levels) सिया जाना समव्य प्रतीत नहीं होता है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समझ पाइस से शिफ्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज़ दिनांक 20 / 01 / 2020 को अयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. ऐसा उत्तराधान हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का शिफ्ट बनाकर बर्तमान में ऐसा सतह के लेवल्स (Levels) लेकर शिफ्ट मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेच मार्क (Concreted TBM Structure) नियारित किये जाये। टेम्पररी बेच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अविल किये जाये। शिफ्ट मैप में

- टैम्परी रेत नाम (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रभाणीकरण उपरात पोटोयापस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. ऐत उत्थानन हेतु प्रस्तावित रूपत पर यत्नमान में उपलब्ध ऐत की भौतिकता जानने के लिए प्रति हेवटेयर में ताम-से कम एक गढ़ा (P4) खोदकर उत्थावी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रभाणील जानकारी प्रस्तुत की जाए। ऐत की वास्तविक गहराई हेतु पर्यामा भी प्रस्तुत किया जाए।
  3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु संज्ञय स्वार पर्यावरण समाधान नियंत्रण प्राधिकरण (एसईआईएर), छत्तीसगढ़ अधिकारी जिला नियंत्रण पर्यावरण समाधान नियंत्रण प्राधिकरण (डीईआईएर) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधियोगित झल्ले के पाइन में दी गई जायेबाही की जानकारी पोटोयापस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही उदानीकरण की अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी पोटोयापस सहित प्रस्तुत की जाए।
  4. यदि खदान पूर्व से सत्रालित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्थानन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रभाणील कर कर प्रस्तुत की जाए।
  5. भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
  6. यानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रवर्तावक को खदान में ऐत के लेवल्स Levels लेने वाले सर्वैयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आधारित बैठक में उपरीला समस्त सुरक्षा जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन पोटोयापस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निरीक्षित किया जाए।

लदानमुखार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रवर्तावक को पूर्वाप्य के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

#### (र) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी गैताराम नाम, प्राप्तिकृद्दर एवं भी लीलानन्द प्रसाद साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पार्द गये—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ऐत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेवटेयर 4 डिन्डूओं का शिल वनाकर यत्नमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) छाटा दिनांक 18/01/2020 को ऐत सातह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रभाणीकरण उपरात पोटोयापस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
3. ऐत उत्थानन हेतु प्रस्तावित रूपत पर यत्नमान में उपलब्ध ऐत सातह की भौतिकता जानने के लिए प्रति हेवटेयर में कम से कम एक गढ़ा (P4) खोदकर उससे वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रभाणील जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार ऐत उत्थानन हेतु प्रस्तावित रूपत पर 4 गढ़ा (P4) खोदकर उसमें ऐत सातह की गहराई नापने के आधार पर, यत्नमान में ऐत की

रिपोर्ट द्वारा  
रिपोर्टर का नाम  
रिपोर्टर का पात्र

उत्तराखण्ड मोहार्ड 2.5 मीटर है। रेत की वार्षिकीय गहराई हेतु पंचगांव भी प्रस्तुत किया गया है।

4. इस उत्तराखण्ड मैनुप्रबल विधि से एवं गहराई का कार्य स्लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ पर्यावरण दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को समझ विस्तार से यहाँ संपर्क संभानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
			Following activities at Nearby Government School Village-Gadewali & Mingachai	
Rs 20	2%	Rs. 0.40	Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Running water arrangement for toilets	Rs. 0.15
			Potable drinking water facility	Rs. 0.15
			Plantation work	Rs. 0.20
			<b>Total</b>	<b>Rs. 1.0</b>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक बाह में प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्तराखण्ड की अनुमति मार्गी है। अनुमंदित उत्तराखण्ड खदान में उत्तराखण्ड किए जाने वाले होते की वार्षिक रेत पुनर्भव संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्सम्बन्धी आकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। निम्नान्वयन यही छोटी नहीं है तथा इसमें चर्चाकाल में जामान्यता 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भव होने की समावेश है।

समिति द्वारा विचार विमशी संपर्क सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (आम-निम्नगाढ़ल) का रक्कम 3.4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा 500 मीटर की परिमि ने स्थीकृत/संचालित खदानी को कुल क्षेत्रालय 5 हेक्टेयर से अधिक का बलरेटर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान दो-2 क्षणी ही भानी गयी।
2. प्राथमिकता को आधार पर नहीं राठ पर बूल 1,200 नम फीसे - 600 नम अर्जुन तो पौधे तथा शेष 600 नम (जामुन, करेज, घास, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गार अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भव (Replenishment) धारण नहीं

आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीसिल, स्थानीय बनरपति, जौव एवं सूधम जीवों पर प्रभाव लगा भट्टी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनर्भवण की स्थिति के अंकताम हेतु परियोजना प्रस्तावका द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित घिन्ड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इनी प्रकार पोर्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्ही घिन्ड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोर्ट-मानसून के आकांक्षे दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं ग्री-मानसून के आकांक्षे अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य क्षय से इसकी आई एवं उत्तीर्णगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित घिन्ड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक नियमित किया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार दिनांक उपरात सर्वेसमिति से श्री चैतशम नाम मिनगामत सेण्ठ माझून को खासगा क्रमांक 36 प्राम-मिनगामत तहसील-मेरमगढ़ जिला-शीजापुर, कुल लीज छोड़ 3.4 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखांगे हुए कुल 34,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी प्रिमाक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई अनिको द्वारा (Manually) की जाएगी। रियर एंड मार्गों का उपरात प्रतिवर्ष रहेगा। लीज छोड़ में स्थित रेत खुदाई मढ़े (Excavation pits) से लोडिंग प्लाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर टौली द्वारा किया जाएगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संघम्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मल्ली का अवलोकन किया गया। विचार प्रिमांक उपरात प्राधिकरण द्वारा सर्वेसमिति से समिति की अनुशंसा की स्थीकार करते हुये श्री चैतशम नाम मिनगामत सेण्ठ माझून को खासगा क्रमांक 36 प्राम-मिनगामत तहसील-मेरमगढ़ जिला-शीजापुर, कुल लीज छोड़ 3.4 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित हुए कुल 34,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, प्रामी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।**

परियोजना प्रस्तावका को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

22. मेरार्हा श्री दिलीप दुबे (कलाया सेण्ठ माझून, चाम-कलाया, तहसील-जगदलपुर, जिला-बरतार), संजय गांधी याड, राम मंदिर, तहसील-जगदलपुर, जिला-बरतार (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1036)

**ऑनलाइन आवेदन – प्रयोजन नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 128109 / 2019 दिनांक 28/11/2019। परियोजना प्रस्तावका द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन से कमियों हीने से ज्ञापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावका द्वारा जाहिर जानकारी दिनांक 07/12/2019 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।**

**प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान चाम-कलाया, तहसील-जगदलपुर, जिला-बरतार रियर पाट और खासगा क्रमांक 01**

कुल लीज कोर २४ हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्तमन इच्छापती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तमन क्षमता—१५,२०० टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऐसे खदान (खोण लानिज) के पर्यावरणीय स्थीलूपि हितु आवेदन के नाथ मुख्य क्षय से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं—

१. याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्तमन के सबूत में याम पंचायत कलावा का दिनांक २०/०८/२०१९ का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
२. चिन्हाकित/सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर, लानिज शास्त्र से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हाकित/सीमांकित कर दीया है।
३. उत्तमन योजना — माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खानि अधिकारी, ज़िला-दलिङ बस्तर दलेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक १४८१/खानिज/उ.यो./२०१९-२० दलेवाड़ा, दिनांक २०/११/२०१९ द्वारा अनुमोदित है।
४. ५०० मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्र) जगदलपुर, ज़िला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक १९५७-डी/खानिज/ख.लि.०३/रेत खदान/२०१९ जगदलपुर, दिनांक १९/११/२०१९ के अनुसार आवेदित खदान से ५०० मीटर की ओर अविधित १ खदान रक्कड़ २ हेक्टेयर है।
५. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्र) जगदलपुर ज़िला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक १९५७-डी/खानिज/ख.लि.०३/रेत खदान/२०१९ जगदलपुर, दिनांक १९/११/२०१९ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के २०० मीटर की परिधि में जोड़ भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे भौतिक स्थिति, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीजट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतीक्षित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
६. भारत राजकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक २५/०७/२०१८ द्वारा यिहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट District Survey Report की प्रति प्रस्तुत की गई है।
७. निकटतम आवासीय साम-कलावा १.५ कि.मी. प्रायमरी रकूल याम-कलावा १.५ कि.मी. एवं अस्पताल जगदलपुर ८.५ कि.मी. यी दूरी पर स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग ६५ कि.मी. दूर है।
८. परियोजना प्रवर्तावक द्वारा १० कि.मी. की परिधि में अतरांजीय सीमा, राष्ट्रीय रास्ता, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण छोड़ द्वारा प्राप्ति किटिकली पील्हुटै एरिया, पार्टिशनिकीय संवेदनशील क्षेत्र या प्रोटिप्रिविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
९. आवेदन अनुसार उत्तमन स्थल पर नदी की पाट की गोड़ाई — ५०० मीटर तथा सामग्र स्थल की गोड़ाई — ८० मीटर दर्शाई गई है।
१०. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई — ३ मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित गहराई — २ मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेश्वल रेत की गत्ता — १५,२०० घनमीटर है। नदीतट के किनारे में ६० मीटर छोड़ा गया है।

#### वैठकों का विवरण —

- (अ) समिति की ३०५वीं बैठक दिनांक १२/१२/२०१९:

समिति द्वारा प्रस्तुत की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सत्त्वागम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

१. एलओआई, संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं।
२. लोज सीमा से निकटतम घन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु घन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
३. ऐत उल्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर ५ विन्डुओं का शिड बनाकर वर्तमान में ऐत सराह की लेवल्स (Levels) सेकर उन्हें स्थानिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
४. ऐत उल्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध ऐत की ओटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गदड़ा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, स्थानिज विभाग से प्रमाणीकरण जानकारी प्रस्तुत की जाए।
५. भारत सरकार, पर्यावरण एवं और जलाशय परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओएम दिनांक ०१/०५/२०१८ के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
६. छनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक की आगामी माह की बेटुक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (उपरोक्त फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तावीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार छनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसडैएसी छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक १३/०१/२०२० द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु संचित किया गया।

(ब) समिति की ३०७वीं बैठक दिनांक १८/०१/२०२०:

प्रस्तावीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर विभाग नियत पाई गई—

१. परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक १८/०१/२०२० द्वारा समिति के समझावालित सर्वीसिटी एवं उन्हें जानकारी / दस्तावेज दिनांक २०/०१/२०२० को आधीरित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सत्त्वागम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

१. एलओआई, संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं।
२. लोज सीमा से निकटतम घन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु घन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
३. ऐत उल्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर ५ विन्डुओं का शिड बनाकर वर्तमान में ऐत सराह की लेवल्स (Levels) सेकर शिड बेप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाए। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम २ टैम्पररी बैच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाएं। टैम्पररी बैच मार्क (TBM) में आरएल को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। शिड बेप में टैम्पररी बैच मार्क (TBM) को भी दशाकर उन्हें स्थानिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं।
४. ऐत उल्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध ऐत की ओटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गदड़ा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक

गहराई का भाषन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। ऐसी वी वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

5. प्रस्तावित खनन हेतु वी लोड एवं बीडाई तथा नहीं के पाट की बीडाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. यदि पूर्व में आयोदित स्थल पर खनन हेतु राघव नहर पर्यावरण समिति निर्धारण प्राप्तिकरण (एसईआईएए) छत्तीसगढ़ अम्बा जिला स्तरीय पर्यावरण समिति निर्धारण प्राप्तिकरण (बीईआईएए) छत्तीसगढ़ हारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिकारित तारी के बालभ ने की गई कर्तव्याधी की जानकारी कोटोप्राप्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही तुलारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटोप्राप्त सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि उदान पूर्व से सत्तालित है, तो विगत तीर्ति वे लिए गए उत्त्यनन वी वास्तविक भाषा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन बोर्ड, नई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार लीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परिवर्जना प्रस्तावक को खदान में ऐसे लेवल्स (Levels) लेने वाले सैर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आगोजित देतक से उपरोक्त समस्त तुलारोपण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटोप्राप्त) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार खनि निरीक्षक एवं परिवर्जना प्रस्तावक को तुलारोपण वी महायम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी दिलीप हुवे प्रोप्राइटर सुपरिधित हुए। समिति हारा जली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-बरसर के द्वापन जन्मान 1903/खनिज/खली 03/रिवर अवकाशित/2019 जगदलपुर दिनांक 11/11/2019 द्वारा जारी की गई तिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु यैद है।
2. जारीलय वन एण्ड वाटर एवं वनमण्डल जगदलपुर के द्वापन क्रमांक/कता 31/299 जगदलपुर दिनांक 16/01/2020 को जारी अनापलि प्रमाण पत्र अनुसार आयोदित भूमि बनहेव वी लगभग 35 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान से 38 कि.मी. दूर है।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
4. ऐसा उत्त्यनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 डिन्डुओं का गिर चमाकर बरीचन में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 19/01/2020 को ऐसा सातह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त कोटोप्राप्त सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
5. ऐसा उत्त्यनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर घर्तमान में उपलब्ध ऐसा सतह वी भोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गद्दा (Pit) खोदकर उसकी

वास्तविक गहराई का ज्ञान कर समिति प्रियग को प्रसारित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार ऐत उत्खनन हेतु प्रस्तावित रथल पर ३ गहराई (Pit) छोड़कर उसमें ऐत सराह की गहराई नापने के अन्तर पर छाँचन में ऐत की उपलब्ध भोटाई लगभग ३ मीटर है। ऐत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तावना मी प्रस्तुत किया गया है।

6. ऐत उत्खनन में नुअल वित्त से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक ०१ / ०५ / २०१८ के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के राजकी विश्वार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)		
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)	
			Following activities at Nearby Government Primary School Village-Kalcha		
Rs. 10	2%	Rs. 0.20	Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50	
			Plantation work with fencing	Rs. 0.10	
			Total	Rs. 0.60	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा २ मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति भागी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन प्रिए जाने पाले क्षेत्र की वार्षिक ऐत पुनर्मरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आकांक्षा का समावेश नहीं किया गया है। इन्द्रायणी नदी यदी नदी है तथा इसमें बांधकाल में सामान्यतः १.५ मीटर गहराई से अधिक नैत का पुनर्मरण होने की समावना है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वेसामिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. कार्यालय कलेजटर (खानिज शाखा) जगदलपुर, जिला-कस्तर के ज्ञापन ज्ञानक १९५७-की/खानिज/ख.लि.०३/८८ खदान/२०१९ जगदलपुर दिनांक १९/११/२०१९ की अनुसार आवेदित खदान से ५०० मीटर के भीतर अपरिवर्ती १ खदान रक्का २ हेक्टेयर है। आवेदित खदान (शाम-कलंचा) का गिलाकर कुल रक्का २.८ हेक्टेयर है। इसप्रकार आवेदित खदान (शाम-कलंचा) को गिलाकर कुल रक्का ४.८ हेक्टेयर है। खदान की तीमा से ५०० मीटर की परिवर्ति में स्थीकृत/समाप्ति खदानों का कुल बोकल ५ हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान की-२ शेषी की मानी गयी।

- प्राथमिकता के अधीकरण पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग आर्यों के पौधे तथा रोप 500 नग (जामुन, करंज, बास, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।
- परियोजना प्रस्तावक रेत खदान सेव्र में आगामी 15 वर्ष में डिस्ट्रिक्ट गांव उत्थान (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत लही आंकड़े रेत उत्थानम का नदी, नदीतल, स्थानीय उत्थानिति, जीव एवं सूख जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्थान के प्रभाव की लही जानकारी प्राप्त हो सके।
- रेत पुनर्भरण की स्थिति के लाकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाह सह 2020 के अन्त में गानमून पूर्व (रेत उत्थान समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्ण मिश्रित पिण्ड विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोर्ट-गानमून में (रेत उत्थान का उत्थान करने के पूर्व नाह अवश्यक) इनी विण्डुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोर्ट-गानमून के आवधि दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-गानमून के आवधि अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एसईआईए-एच-एलीसान्ड की प्रस्तुति जायेंगे। रेत सतह के पूर्ण मिश्रित पिण्ड विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का लाय-आगामी 3 वर्ष तक नियार किया जाएगा।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वेसम्मति से थी दिलीप दुबे, कलबा सोन्ह माईन को पाई औफ खासगा क्रमांक 01, ग्राम-कलबा, तहसील-जगदलपुर जिला-बस्तर कुल लीज हेक्ट 2.8 हेक्टेयर में रेत उत्थानम अधिकतम 1.6 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 42,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरता, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई अभियांत्रिक हाई (Manually) की जाएगी। रियर बेंच में जारी पाहनी का प्रयोग प्रतिवर्षित रहेगा। लीज हेक्ट में स्थित रेत खुदाई गढ़े (Excavation pits) से लोडिंग ब्याईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

**प्राथिकरण द्वारा ऐठक में विचार – उपरोक्त इकान पर प्राथिकरण की दिनांक 14 / 02 / 2020 को संघर्ण 94वीं ऐठक में विचार किया गया। प्राथिकरण द्वारा नसी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरात प्राथिकरण द्वारा सर्वेसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुये थी दिलीप दुबे, कलबा सोन्ह माईन को पाई औफ खासगा क्रमांक 01, ग्राम-कलबा, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर कुल लीज हेक्ट 2.8 हेक्टेयर में रेत उत्थानम अधिकतम 1.6 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 42,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरता, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का मिश्रित किया गया।**

**परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीरता जारी किया जाए।**

- गैसर्स श्री बत्ताल बाजपेयी (बनियागांव सोन्ह माईन, ग्राम-बनियागांव, तहसील-बकायंड, जिला-बस्तर), गेन रोड जगदलपुर, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर (साधिवालय का नंबरी क्रमांक 1038)

**ओनलाईन आवेदन – प्रयोजन नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 128245/ 2019 दिनांक 29 / 11 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ओनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 05 / 12 / 2019 द्वारा जानकारी प्रदर्शित करने**

इनु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घासित जानकारी दिनांक 07 / 12 / 2019 को औनलाइन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान गाम-खनियागांव, राहसील-बसावंड, जिला-बसार स्थित पाटे झींफ खसरा क्षमाक 728, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन भसकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-40,000 पनीटर प्रतिवार है।

**प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्थीरता उत्खनन के साथ मुख्य संघर्षों से मिम प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चयनियताय का दिनांक 20 / 08 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हाकित / सीमाकित – कार्यालय कलेक्टर खनिज शास्त्र से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हाकित / सीमाकित बन चौकित है।
3. उत्खनन योजना – माईनिंग एलान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम अधिकारी, जिला-दण्डिण बसार दंतेयाका के ड्यूपन क्षमाक 1480 / खनिज / रेत खदान / 2019-20 दंतेयाका, दिनांक 20 / 11 / 2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र) जगदलपुर, जिला-बसार के ड्यूपन क्षमाक 1984-झी / खनिज / रेत खदान / 2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 11 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की रोक्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र) जगदलपुर, जिला-बसार के ड्यूपन क्षमाक 1984-झी / खनिज / रेत खदान / 2019 जगदलपुर, दिनांक 19 / 11 / 2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सर्वांगनिक क्षेत्र जैसे संदिग्ध अस्थाल, स्फूल, गुल, बाढ़, ग्रीन, एंगीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित नहीं है।
6. भारत सरकार पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 / 07 / 2018 द्वारा घोषित घारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. नियाटकम ग्रामीण गांव 1.6 कि.मी. प्रायमरी स्फूल ग्राम-खनियागांव । 8 कि.मी. एवं जगदलपुर अस्थाल 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13.3 कि.मी. दूर है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतर्जीयीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, कैन्टीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकसी बील्युटैड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र सहित नहीं होना प्रतिष्ठेदित किया है।
9. आवेदन अनुसार खदान रथल पर नदी की पाट की चौड़ाई - 500 मीटर तथा खदान रथल की चौड़ाई - 450 मीटर दशाई मई है।
10. आवेदन अनुसार रथल पर रेत की गहराई - 3 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दशाई गई है। अनुमोदित माईनिंग एलान अनुसार



लादान में मार्गनेबल रेत की मत्रा - 40,000 क्यूबिटर है। नदीतट के जिम्माएं में 20 नोटर छोड़ा गया है।

#### वैदाकों का विवरण -

##### (अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12 / 12 / 2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एलओआई संघर्षी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. लौज सीमा से निकटतम बन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु उन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. ऐत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 डिन्हूओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में ऐत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपस्थित पोटोयापरा सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. ऐत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर बर्तमान में उपलब्ध ऐत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़ा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन बन खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. बाबत शानकार, पर्यावरण, एवं और जलवायु परिवर्तन गत्रालय नड़ दिल्ली के ओएम दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त रामकृष्ण शुभांगत जानकारी / दस्तावेज (अधितन पोटोयापरा) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार लगि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13 / 01 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

##### (ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18 / 01 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी घटनाविह नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18 / 01 / 2020 द्वारा समिति के सम्मानित सर्व रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20 / 01 / 2020 को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एलओआई संघर्षी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. लौज सीमा से निकटतम बन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु उन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. ऐत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 डिन्हूओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में ऐत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बैंच नार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बैंच नार्क (TBM) में 100x100

आरएल को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। यिन्हें मैप में टैम्परेशन बैग मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण लगातार फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाएं।

4. रेत उत्थानम हेतु प्रस्तावित स्थल पर उत्थानम में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक मोटाई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक मोटाई हेतु पर्यामा भी प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं ऊँचाई तथा नदी के पाट की ऊँचाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य कार पर्यावरण समायात नियंत्रण प्राधिकरण (एसईआईएए) उत्तीर्णगढ़ जिला राजीय पर्यावरण समायात नियंत्रण प्राधिकरण (डीईआईएए) उत्तीर्णगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में आरी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसौंपित गती के बालग में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। राज्य की दूसरोंपर्ण की अधितन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से समाप्तित है, तो विगत बर्षी में यिए गए उत्थानम की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर देने के प्रस्तुत की जाए।
8. भारत राष्ट्रकार पर्यावरण एवं और जलवाया विभागीय मंत्रालय नई दिनांक में ओ एम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि नियोजित एवं परियोजना प्रस्तावको खदान में रेत के स्तरस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आवंजित दैहिक में उपरोक्त समस्त सूक्ष्मता जानकारी / दस्तावेज़ (अद्यातम फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदान्तुसार खनि नियोजक एवं परियोजना प्रस्तावको खदान के दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बत्सल बाजापेयी प्रोपर्टीइंटर उपरिवेत हुए। समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर मिस्त्र स्थिति पाई गई।

1. इलओआई कार्यालय जलालपुर (खनिज शाखा) जिला-बरसर के ज्ञापन क्रमांक 1932/खनिज/खलि.03/रिवर्स ऑफिसनरित/2019 जगदलपुर दिनांक 11/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु चैप है।
2. कार्यालय जनमण्डलाधिकारी यनमण्डल बरसर जिला-जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/कत.अ. / 287 जगदलपुर दिनांक 15/01/2020 को जारी जनापत्रित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित हेत्र यन मूमि की सीमा से 3 किमी से 4 किमी एवं राष्ट्रीय राघान / अन्यायालय से 52 किमी की दूरी पर है।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

4. रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 घिन्दुओं का ग्रिड बनाकर अंतीमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) छाटा दिनांक 19/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेने खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरात फोटोग्राफर सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
5. रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़दा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्थानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 2 गढ़दा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर से 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पर्याप्त भी प्रस्तुत किया गया है।
6. रेत उत्थानन में जुड़े हुए भराई का कार्य सोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
7. भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस दिनांक 01/05/2016 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से यहाँ उपरात निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 10	2%	Rs. 0.20	Following activities at Nearby Government School Village-Baniyagaon	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation work with fencing	Rs. 0.10
			<b>Total</b>	<b>Rs. 0.60</b>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्थानन की अनुगति यादी है। अनुमोदित उत्थानन योजना में उत्थानन लिए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत दुनियाव्यापक संघर्षी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। भवसकली नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विभाग विभाव उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

- आवेदित खदान (धान-बनियागांव) का रकमा 2 हेक्टेयर है। खदान की ऊपरी से 500 मीटर तक वरिष्ठ में खीकूल/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर

रो अधिक का वलस्टर मिनीत नहीं होने के कारण यह खदान बी-२ श्रेणी की भूमि नयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी टट पर कुल 1,000 नग पीढ़ी – 500 नग अर्जुन की पीढ़ी तथा शेष 500 नग (जामुन, बारंज, बांस, आम आदि) पीढ़ी लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गारं आवधन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भवण (Replenishment) बाबत सभी अंकड़े रेत उत्थानन का नदी, नदीतल, रखानीय दरक्षणति जौय एवं सूख जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्थानन की प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनर्भवण की विधि के अधिकतम हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में नामसून पूर्व (रेत उत्थानन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित घिन्ड विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पाँचट-नामसून में (रेत उत्थानन प्रारम्भ करने के पूर्व भाव अपट्टवर) इन्हीं घिन्ड विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा। पाँचट-नामसून के अंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-नामसून के अंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनियायी रूप से एराई आईएए, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित घिन्ड विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक नियत फिया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वेसम्मति से भी बताल बाल्यपूरी बनियामाद सेण्ट माईन को पाट औफ खसरा क्रमांक 728, ग्राम-बनियामाद, तहसील-बकावंड, जिला-बरतार, कुल लीज क्षेत्र ३ हेक्टेयर में रेत उत्थानन अधिकतम १ मीटर की महराई तक सीमित रखते हुए कुल 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशासा की गई। रेत की खुदाई अभियोग द्वारा (Manually) की जाएगी। रियर बैंड में भारी बाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में लिया रेत खुदाई गढ़डे (Excavation pits) से लोडिंग वाईट तक रेत का परिवहन ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

**प्राथिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राथिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राथिकरण द्वारा नस्ती का अबलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरात प्राथिकरण द्वारा सर्वेसम्मति से समिति की अनुशासा की रखिकार करते हुये भी बताल बाल्यपूरी बनियामाद सेण्ट माईन को पाट औफ खसरा क्रमांक 728, ग्राम-बनियामाद, तहसील-बकावंड, जिला-बरतार, कुल लीज क्षेत्र ३ हेक्टेयर में रेत उत्थानन अधिकतम १ मीटर की महराई तक सीमित रखते हुए कुल 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।**

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

24. गैसर्स बी सतीश कुमार गुप्ता (रियर बैंड सेण्ट माईन, ग्राम-तिगेड़, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर), अस्पताल पारा 2, बस स्टैंड, मा-

दन्तोदरी वाढ़, तहसील-मैरमगढ़, जिला-बीजापुर (संविवालय का नस्ती क्रमांक 1048)

ऑनलाइन आवेदन - प्रधानमन्त्री - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 130017 / 2019 दिनांक 07 / 12 / 2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान शाम-तिमेड़ तहसील-भोपालपट्टनम् जिला-बीजापुर स्थित खदान क्रमांक 01, कुल लीज कोड 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रायती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन शमता-1.25,000 मीटर प्रतिघंते है।

प्रस्ताव के साथ सलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गोण खनिज) को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र सलग्न किये गये हैं:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन की जांच में याम पंचायत तिमेड़ का दिनांक 20 / 08 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित / सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर खनिज शास्त्र से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर दीया गया है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो चन्नी अधिकारी, जिला-दण्डिण बस्तर दतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1532 / खनिज / उमो / 2019-20 दतेवाड़ा, दिनांक 02 / 12 / 2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिष्टर खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 916 / कलौ. / खनिज / 2019 बीजापुर, दिनांक 27 / 11 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर उत्पस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरक्षित है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 916 / कलौ. / खनिज / 2019 बीजापुर, दिनांक 27 / 11 / 2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदियाँ, मरुधर, अनपताल, स्फुल, पुल, गांध, झीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवर्धित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 896 / कलौ. / खनिज / रेत / / रिओ / 2019 बीजापुर, दिनांक 25 / 11 / 2019 द्वारा जारी की गई, गिरावकी अवधि 2 वर्ष हेतु कैप है।
7. कार्यालय उनमण्डलाधिकारी, बीजापुर बनमण्डल, जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक / मांचि / 260 बीजापुर, दिनांक 18 / 01 / 2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की सीमा से 5 किमी के भीतर इन्द्रायती टाईगर रिजर्व, बीजापुर एवं बफर जौन छोड़ स्थित है।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, ये और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई डिल्टी की अधिसूचना दिनांक 25 / 07 / 2018 द्वारा लिहिल ग्राम्य में डिस्ट्रीबट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. निकटतम आदादी शाम-तिमेड़ 0.2 किमी, दक्षिण शाम-तिमेड़ 0.25 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 06 किमी एवं राजमार्ग 15 किमी दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की घरिषि में अंतरीज्जीव सीमा लाईट्टिंग उदान, भूभागारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण शोह द्वारा धोषित किंटिकली पौल्पुट्टु एरिया, वारिएलिथोकीय सावेदनहील थोड़ या धोषित जीवसिंधिता थोड़ रिखत नहीं होना प्रतिवेदित किया गया।
- आवेदन अनुसार स्थल पर नदी के पाट की गहराई - 480 मीटर तथा जानन स्थल की गहराई - 100 मीटर दृश्याई गई है।
- आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 4 मीटर तथा ऐसा स्थल की प्रस्तावित गहराई - 2.5 मीटर दृश्याई गई है। अनुमोदित भार्डनिंग प्लान अनुसार स्थान में मार्फनेवाल रेत की मात्रा - 1.25.000 घनमीटर है। मटीटट के किनारे में 35 मीटर छोड़ा गया है।

### बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की जरूरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्त्वाभ्यु तार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- रेत उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 चिन्हाओं का शिफ बनाकर उत्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खानिज पिभाग से प्रमाणीकरण उपचार फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत कियी जाए।
- रेत उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल पर उत्तमान में उपलब्ध रेत की गोटाई जानने की लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़दा (Pit) लोडकर उत्तमी पास्तापिक गहराई वा मात्रा बनाकर, खानिज पिभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं डिल्टी के ओएम दिनांक 01/05/2016 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- खानि निशीकरक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज़ (फोटोग्राफ्स) राखित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उद्योगानुसार खानि निशीकरक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसडूईसी, उत्तराखण्ड के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुविता किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा जरूरी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं वरीदण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई:-

- परियोजना प्रस्तावक के पञ्च दिनांक 18/01/2020 द्वारा समिति के समझ पाइते सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज़ दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्त्वाभ्यु तार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- रेत उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 चिन्हाओं का शिफ बनाकर उत्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर शिफ मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बैन मार्क

(Concreted TBM structure) निर्माणित किये जाएं। ट्रैक्सरी बैच मार्क (TBM) में आप एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अकित किये जाएं। यिन्हें मैप में ट्रैक्सरी बैच मार्क (TBM) को भी दर्शकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण कुप्रवान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाएं।

2. रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर बहुमान में उपलब्ध रेत की चौड़ाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक ग्राम (Pkt) खोदकर उसकी वार्ताविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्ताविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आयोडित स्थल पर सुनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण समाधान निर्माण प्राधिकरण (एस.डी.आर.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अध्यक्ष जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्माण प्राधिकरण (सी.डी.आर.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही दृश्यारोपण की अद्यतन रिधिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि वायान पूर्व से संबलित है, तो विमत वर्षी में किए गए उत्थनन की वार्ताविक नाम वीजी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन बोर्ड नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार वी.डी.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को स्थान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आधिकारित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज़ (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तानुसार यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाव के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सुवित किया गया।

#### (स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सतीश कुमार गुप्ता, प्रोपराइटर एवं श्री लीलाधर प्रसाद राहुलनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी उप अध्यक्षकान एवं परीक्षण करने पर निम्न रिधिति याई गई—

1. पूर्व में सरपंच, याम पंचायत लिंगमेड के नाम से रेत खदान पाट ऑफ खस्ता ब्रह्मांक 25, बैंकफल 5 हेक्टेयर, कामता—50,000 घममीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्माण प्राधिकरण, जिला—बीजापुर द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता दिनांक 30/12/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अधिक हेतु जारी किया गया था।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। याद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
3. रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर छति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिर बनाकर वर्तमान में पोर्ट—मानसून (Post-Monsoon) बाटा दिनांक 19/01/2020 को 

रेत सतह की लेवल्स (Levels) लैफर, उन्हें खनिज प्रभाग से प्रमाणीकरण सुपरियोगिता सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

4. ऐत उत्थनन हेतु प्रस्तावित रथल पर घरेलूमान में उपलब्ध ऐत सतह की भौतिक जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज प्रभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। यिसके अनुसार ऐत उत्थनन हेतु प्रस्तावित रथल पर २ गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें ऐत सतह की गहराई नापने के आधार पर घरेलूमान में ऐत की उपलब्ध भौतिक २.५ मीटर है, परन्तु इसका भी प्रस्तुत किया गया है।
5. ऐत उत्थनन मैनुअल यिथि से एवं भौतिक गार्ड लोडर द्वारा कारणा जाना प्रस्तावित है।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलपान परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अंदर, दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समझ विस्तार से इन्हें उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 31	2%	Rs. 0.62	Following activities at Nearby Government School Village-Timed	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.62
			Running water facility for toilets	Rs. 0.15
			Potable drinking water facility	Rs. 0.15
			Plantation work with fencing	Rs. 0.32
			Total	Rs. 1.24

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्तुत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा २ मीटर की गहराई तक उत्थनन की अनुमति मार्गी है। अनुमोदित उत्थनन योजना में उत्थनन किए जाने वाले द्वीप की वार्षिक ऐत पुनर्जनन संख्या अव्ययम कार्य एवं तत्त्वावधी आकांक्षों का समावेश नहीं किया गया है। इन्द्रावली नदी वही नहीं है जहाँ इसमें पार्वकाल में सामान्यतः १.५ मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्जनन होने की समावना है।

समिति द्वारा प्रियार विमश उपराज सर्वसम्मिति से निम्नानुसार निष्ठा लिया गया—

1. अधिकृत खदान (एम-टिसेट) का ऊचा ५ हेक्टेयर है। खदान की लीना से ५०० मीटर की परिधि में स्थीरता/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल ३ हेक्टेयर तो

- अधिक का कलरेटर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान दी-2 ध्रेणी की मानी जायेगी।
2. प्राचीनकाल के अधार पर नदी लट पर कुल 2,000 नग पौधे — 1,000 नग अजून के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बास, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान होत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाढ़ अवश्यक (Siltation Study) करायेगा। ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) पावत सही आकड़े, रेत उत्थानन का नदी, नदीतल, ल्यानीय बनस्पति, और एवं रहन जीव पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्थानन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनर्भरण की स्थिति के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्थानन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित छिड़ विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इनी प्रकार पोर्ट-मानसून में (रेत उत्थानन प्रारम्भ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इनी छिड़ विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोर्ट-मानसून के आकड़े दिसंबर 2020, 2021, 2022 एवं द्वी-मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एसडूअईएप छलीरामढ़ को प्रत्युत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित छिड़ विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक विस्तृत किया जाएगा।
5. रानिति द्वारा विचार दिमांक उपरात सर्वसम्मति से श्री सतीश कुमार गुप्ता, टीमेंड सेट्ट भाईन को खस्ता क्रमांक 01, ग्राम-तिमेंड, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर, कूल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्थानन अधिकारम 1.5 गीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशासा की गई। रेत की सुदाई अग्निको द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रयोग प्रतिवर्ष रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत सुदाई गढ़ी (Excavation pits) से लोटिंग प्यार्ट तक रेत जल परिवहन ट्रैक्टर टीली द्वारा किया जाएगा।

**प्राचिकरण द्वारा बैठक में विचार —** उपरोक्त प्रकरण पर प्राचिकरण की दिनांक 14 / 02 / 2020 को साप्तन 34वीं बैठक में विचार किया गया। प्राचिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार दिमांक उपरात प्राचिकरण द्वारा सर्वसम्मति से रानिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुये श्री सतीश कुमार गुप्ता, टीमेंड सेट्ट भाईन को खस्ता क्रमांक 01, ग्राम-तिमेंड, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर, कूल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्थानन अधिकारम 1.5 गीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

25. गैससे छोटे कडमा लाईम स्टोन माईन (गोहम्बद रफीक खान), ग्राम-छोटे कडमा, तहसील-दरभा (जगदलपुर), जिला-बरतार (राधिवालय की नस्ती)

क्रमांक 677) द्वारा उनके प्रकरण में दिनांक 25/05/2019 के निर्णय पर पुनर्विचार हेतु आवेदन पत्र।

आवेदन गोदामद राष्ट्रीय खान द्वारा उनके विषयाक्रित प्रकरण में लिए निर्णय के पुनर्विचार हेतु दिनांक 12/06/2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- आवेदन में उन्होंने संचालक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 15/11/2018 को प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 6.52 किलोमीटर बताया गया था। पुन निर्देशक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 22/11/2018 माध्यम से प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 4 किलोमीटर बताया गया। यह दूरी किसी आधार पर कम हुई हो से प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
- निर्देशक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 14/12/2018 माध्यम से प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 3.97 किलोमीटर बताया गया।
- तीनों प्रतिवेदन में अतर का कारण निर्देशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर ने नहीं दिया है।

#### बैठकों का विवरण –

##### (अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती/आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तथानव सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि संचालक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान को पश्चिमी दूरी में अलग-अलग लिखियों में सेंजे प्रतिवेदनों ने विषमता का कारण स्पष्ट करने के लिए पत्र प्रेषित किया जाए।

उदाहुरण संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर को एस.ई.ए.टी. ८८, को ज्ञापन दिनांक 03/08/2019 द्वारा प्रेषित किया गया।

कांगेर निवेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर को ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गयी।

##### (ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कांगेर निवेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/नं. अधि./2942 जगदलपुर, दिनांक 12/12/2019 अमुखार खदान की लीज सीमा से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (National Park) की निकाटतम सीमा की पारतापिक दूरी 4.07 किमी है।
2. राष्ट्रीय उद्यान से 5 किमी की परिभौमि में स्थित है।

समिति द्वारा विचार विमशी उपरात रावंशम्भति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय उद्यान खदान से 5 किमी की परिभौमि में स्थित होने का कारण छुकरण तथा उत्तर पश्चिम तथा समाधान निवेशक प्रायिकरण (एस.ई.ए.टी.ए.) छत्तीसगढ़ एवं राज्य सत्र विभाग अंकन समिति (एस.ई.ए.टी.), छत्तीसगढ़ के कांगेरघाट ने नहीं आने का कारण भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवाया परिवर्तन निवालय, नई दिल्ली में

आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किये जाने की अनुमति दी गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को लग्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अपलोडन किया गया। विचार दिनांक उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार भारत सरकार परिवर्सा एवं और जलवायु परिवर्तन संबंधी नई दिल्ली में आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट करने वाले निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

26. मेराची छोटे कढ़ा लाईम स्टोर माइन (प्रो. श्री रेखचंद जैन), ग्राम-छोटे कढ़ा, तहसील-दस्ता (जगदलपुर), जिला-बसतर (संचिवालय की नस्ती क्रमांक 680) द्वारा सनके प्रकरण में दिनांक 25/05/2019 के निर्णय पर पुनःविचार हेतु आवेदन पत्र।

आवेदन श्री रेखचंद जैन द्वारा उनके विश्वायित प्रकरण में लिए निर्णय के पुनर्विचार हेतु दिनांक 12/06/2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- आवेदन में उन्होंने संघालक कांगेरदेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 15/11/2018 को प्रेषित जानकारी में कांगेरदेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से उद्यान की दूरी 6.52 किलोमीटर बताया गया था। पुनः निदेशक कांगेरदेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 22/11/2018 मात्रम से प्रेषित जानकारी में कांगेरदेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से उद्यान की दूरी 4.12 किलोमीटर बताया गया। यह दूरी किस आधार पर कम हुई हसे प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
- निदेशक कांगेरदेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 14/12/2018 मात्रम से प्रेषित जानकारी में कांगेरदेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से उद्यान की दूरी 4.1 किलोमीटर बताया गया।
- तीनों प्रतिवेदन में अलग का कानून निदेशक कांगेर छाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर में नहीं दिया है।

#### बैठकों का विवरण –

##### (अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा मस्ती/आवेदन पत्र का अपलोडन किया गया। समिति द्वारा सत्त्वात्मक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि संघालक कांगेरदेली राष्ट्रीय उद्यान की दूरी की दूरी में अलग-अलग लिखियों में भेजे प्रतिवेदनों में विवरत का कानून स्पष्ट करने के लिए पत्र प्रेषित किया जाए।

तदानुसार संघालक कांगेर छाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर को एस.ई.ए.सी. एन. ओ. झापन दिनांक 03/08/2019 द्वारा प्रेषित किया गया।

कांगोलय निदेशक, कांगेर छाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के झापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गयी।

##### (ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

रामिति द्वारा नसी भ्रष्टुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न विवरिति पाई गई:-

1. कायांलय निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के ड्राफ्ट झमाक/त अधि/ /2942 जगदलपुर दिनांक 12/12/2019 अनुसार खदान की लीज सीमा से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (National Park) की निकटतम सीमा की वास्तविक दूरी 4.14 कि.मी. है।
2. राष्ट्रीय उद्यान, खदान से 5 कि.मी. की परिधि में विद्युत है।

रामिति द्वारा विचार विभारी उपरात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय उद्यान, खदान से 5 कि.मी. की परिधि में विद्युत होने के कारण प्रकरण राज्य सत्र पर्यावरण समाधान नियायिक प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ एवं राज्य सत्र प्रिवेटक्षु अकाम रामिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में नहीं आने के कारण भावत सरकार पर्यावरण घन और जलपायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली में आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संग्रह 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी का अपलोडन किया गया। विचार विभारी उपरात छाड़िकरण द्वारा सर्वसम्मति से रामिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार भालू सरकार पर्यावरण घन और जलपायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को उदानुसार भवित लिया जाए।

### एजेन्डा आयटम क्रमांक-3

कायांलय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ द्वारा मेसर्स मणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स, दुर्ग को याम-तालपुर खसरा क्रमांक 40/1, 40/2 एवं 41/2, रक्का 2.513 हेक्टेयर बीच में स्थीकृत गोण खनिज भूमा पत्थर के संबंध में पर्यावरणीय सम्मति हेतु मार्गदर्शन के संबंध में निर्णय लिया जाना।

1. कायांलय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ द्वारा मेसर्स मणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स, दुर्ग को याम-तालपुर खसरा क्रमांक 40/1, 40/2 एवं 41/2, रक्का 2.513 हेक्टेयर बीच में स्थीकृत गोण खनिज भूमा पत्थर खदान के संबंध में पर्यावरणीय सम्मति हेतु मार्गदर्शन भावत:-

कायांलय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के ड्राफ्ट झमाक 1568/वा.ति/2019 कबीरधाम दिनांक 09/10/2019 द्वारा मेसर्स मणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स दुर्ग, याम-तालपुर खसरा झमाक 40/1, 40/2 एवं 41/2, रक्का 2.513 हेक्टेयर बीच में स्थीकृत गोण खनिज भूमा पत्थर खदान के संबंध में प्रत्युत पर्यावरणीय सम्मति हेतु निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

मेसर्स मणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स दुर्ग, याम-तालपुर ख.क. 40/1, 40/2 एवं 41/2, रक्का 2.513 हे. बीच में स्थीकृत गोण खनिज भूमा पत्थर तत्खनि पट्टा दिनांक 30/05/2009 से 29/05/2039 (30 वर्ष) तक को लिए स्थीकृत है। उक्त

स्वीकृत संवादान के लिये 76.951 मिट्टन प्रतिवर्षीय उत्पादन हेतु पर्यावरणीय सम्मति दिनांक 12/01/2016 से आगामी 05 वर्ष को लिए जारी किया गया था।

पटटदार द्वारा भी खनिज नियमों एवं उत्पन्नन पटटा की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर स्वीकृत पटटा को जारीलय के आदेश क्रमांक 347/दिनांक 29/05/2018 को प्रतिशुति निहोप राहि को समरूपता करते हुए उत्पन्नपटटा को पर्यावरण किया गया था। अनावेदक द्वारा उक्त ओदास के विरुद्ध माननीय न्यायालय संवादक शीमिती एवं खनिकर्ता छ.ग. रायपुर के सम्बन्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार अनावेदक/पटटदार को सशोधित माइनिंग प्लान एवं नवीन पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना है।

अनावेदक/पटटदार द्वारा संशोधित/अनुसोदित माइनिंग प्लान के साथ क्षेत्रीय प्रमुख छ.ग. पर्यावरण संबंध मण्डल निलाई से उक्त खदान के लिए 56.843 मिट्टन प्रतिवर्षीय उत्पादन हेतु जल एवं धारु सम्मति प्राप्त करे प्रस्तुत किये हैं।

जल की संवर्धन में नवीन पर्यावरणीय सम्मति के तथान पर क्षेत्रीय प्रमुख छ.ग. पर्यावरण संबंध मण्डल निलाई द्वारा जारी जल एवं धारु सम्मति को पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य किए जाने अधिक नहीं हेतु मार्गदर्शन घाहा गया है।

साथ ही मेंसाते गणधर्मी मेटल्स एण्ड मिनरल्स दुर्ग के पञ्च दिनांक 07/11/2019 में उपरोक्त के सदर्म में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

#### (अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न दियते पाई गई-

क्षेत्रीलय कलेक्टर (खनिज) क्षेत्रीसभान छ.ग.सागर द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.सागर पर्यावरण संबंध मण्डल, निलाई द्वारा जारी जल एवं धारु सम्मति को पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य किए जाने अधिक नहीं किये जाने हेतु मार्गदर्शन घाहा गया है। चुकि पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं धारु सम्मति पृथक-पृथक नियमों के तहत निन्न-निन्न प्राधिकरण/संसद द्वारा जारी किए जाने का प्राक्कान है। अतः खदान के लिये हाँआई ए. 2006 (यथा संशोधित) के प्राक्कानों को अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जल एवं धारु सम्मति को पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः अवेदक को हाँआई ए. 2006 (यथा संशोधित) के प्राक्कानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना होगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को तथन 04वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा सर्वी का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नीट किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक की पञ्च दिनांक 14/02/2020 द्वारा भवे तथ्यों का समावेश करते हुये पुनर्विचार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा उक्त नये तथ्यों के आधार पर विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से उक्त आवेदन को एसडू.एवी. छ.ग.सागर को सम्भा प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एसडू.ए.सी. छ.ग.सागर को उदानुसार सूचित किया जाए।

- मेसर्स सेचुरी सीमेट लिमिटेड, पो.ओ.-१८कुठ, जिला-रायपुर (समिक्षालय का  
नस्ती क्रमांक 27)

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेट लिमिटेड, गाम पो.ओ.-१८कुठ, जिला-रायपुर द्वारा मेसर्स  
सेचुरी सीमेट लिमिटेड को अमंत्र धीर प्लाट के कामता विस्तार 25 मेगावीट से 27  
मेगावीट किए जाने हेतु जारी पर्यावरणीय रवीकृति में “मेसर्स सेचुरी सीमेट लिमिटेड,  
गाम पो.ओ.-१८कुठ, जिला-रायपुर” से “मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेट लिमिटेड  
(युनिट-सेचुरी सीमेट वर्स) पो.ओ.-१८कुठ, जिला-रायपुर” नाम परिवर्तन बायत  
आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

मेसर्स सेचुरी सीमेट लिमिटेड, गाम पो.ओ.-१८कुठ, जिला-रायपुर को एसड़ेआईएए  
छत्तीसगढ़ के पञ्च दिनांक ०८/१२/२००८ द्वारा अमंत्र धीर प्लाट के कामता विस्तार  
25 मेगावीट से 27 मेगावीट हेतु पर्यावरणीय रवीकृति प्रदान की गई थी। मेसर्स  
अल्ट्राटेक सीमेट लिमिटेड द्वारा नेशनल कॉम्पनी ली ट्रिब्युनल द्वारा मुद्दे के आदेश  
दिनांक ०३/०७/२०१९ के नाम से मेसर्स सेचुरी ट्रिब्युनल एण्ड इण्डस्ट्रीज  
लिमिटेड का डिमार नेसर्स अल्ट्राटेक सीमेट लिमिटेड किए जाने की प्रति बोर्ड  
रिजिस्ट्रेशन की प्रति निर्देश और डीशेक्टर की प्रति उच्चोग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण  
संरक्षण मानक द्वारा जारी संचालन सम्मति/नवीनीकरण की प्रति मेसर्स सेचुरी  
सीमेट लिमिटेड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पञ्च तथा उच्चोग का पर्यावरणीय रवीकृति  
में जारी शर्तों के संबंध में अंतर्देखिंग प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – तपशीकरण प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक  
१४/०२/२०२० वो संपन्न ९५वीं बैठक में पिचार विया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती  
का अपलोडन किया गया। विचार पिचार उपरात प्राधिकरण द्वारा सर्वेताम्भति से पूरी  
में “मेसर्स सेचुरी सीमेट लिमिटेड गाम पो.ओ.-१८कुठ, जिला-रायपुर” को एसड़ेआईएए  
एए छत्तीसगढ़ के पञ्च दिनांक ०८/१२/२००८ द्वारा अमंत्र धीर प्लाट के कामता  
विस्तार 25 मेगावीट से 27 मेगावीट हेतु जारी पर्यावरणीय रवीकृति में नाम परिवर्तन  
कर “मेसर्स सेचुरी सीमेट लिमिटेड गाम पो.ओ.-१८कुठ जिला-रायपुर” के रूपान पर  
“मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेट लिमिटेड (युनिट-सेचुरी सीमेट वर्स) पो.ओ.-१८कुठ,  
जिला-रायपुर” करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में जारी पर्यावरणीय रवीकृति में दो  
गई शर्त नवीन प्रयोग पर भी बदलकर रखेगी।

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय रवीकृति में नवीन प्रयोग  
के नाम का संशोधन किया जाय।

- रेत खदान के एलओआई धारक (अधिगानी बोलीदार) द्वारा पूर्व में जारी  
पर्यावरणीय रवीकृति को उनके नाम पर हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्तुत  
आवेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाना।—

श्री आर्हीष सलूजा, विजयपुर कीलोमी. सीपत रोड, जारकपा, उहसील पु  
जिला-विलासपुर (रेत खदान रामूह एवं रामाहित रेत खदान-महासमुद F, F-1) रेत  
खदान के एलओआई धारक (अधिगानी बोलीदार) द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय  
रवीकृति को उनके नाम पर हस्तांतरित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।  
परियोजना प्रस्तावक द्वारा कायोलम कालेक्टर (सामिज शास्त्रा) महासमुद के ज्ञापन क्र.  
१२१, दिनांक २०/०१/२०२० द्वारा आशय पञ्च की प्रति प्रस्तुत की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14 / 02 / 2020 को समन् ७५वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अबलोकन किया गया। विचार विमर्श समाप्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार नियमित किया गया—

१. पूर्ति में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की प्रति एवं अधिसौचित शर्तों के पालन में की गई अव्याहारी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
२. कार्यालय कालेपटर द्वारा जारी रेत खदान को जारी पर्यावरणीय स्थीकृति को भी आरोप सलूजा के नाम पर हस्तांतरित करने हेतु अनापत्ति समाप्त वश प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रत्यापक को तदानुसार सूचित किया जाए।

३. मेरात्मा श्री निर्देशी दीवान (पोलकरी सेण्ट माईन, याम-पोलकरी, तहसील-फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद) याम-बाकेल, पो.ओ.—भनपुरी, तहसील व जिला-दुर्ग (समिवालय का नस्ती क्रमांक ७७३) के प्रकरण में लिए गए नियमित विषय में लिपकीय चुटिवश उल्लेखित याम-बाकेल, पो.ओ.—भनपुरी, तहसील व जिला-बस्तर में सुधार हेतु।

**प्रस्ताव का विवरण –**

१. यह खदान खराता क्रमांक ४७७, बुल लीज कोड ४८४ हैबटेपर में प्रस्तावित है।
२. प्राप्तापल नम्बर – एस.इ.ए./ सी.जी./ एम.इ.ए.एन./ ४५६६१ / २०१९, दिनांक ३१ / १० / २०१९ को पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया था। आवेदित प्रकरण यह राज्य स्तर विधेयक अकान तामिति (एस.इ.ए.सी.), उत्तीर्णगढ़ की ३००वीं बैठक दिनांक २१ / ११ / २०१९ तत्पश्चात राज्य स्तर पर्यावरण समाधान नियमित प्राधिकरण (एस.इ.आ.इ.ए.ए.) उत्तीर्णगढ़ ती ९२वीं बैठक दिनांक २० / १२ / २०१९ द्वारा आवेदित बैठक में विचार किया गया था।

उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किये जाने का नियमित किया गया। राज्य स्तर विधेयक अकान समिति (एस.इ.ए.सी.), उत्तीर्णगढ़ की ३००वीं बैठक दिनांक २१ / ११ / २०१९ एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाधान नियमित प्राधिकरण (एस.इ.आ.इ.ए.ए.) उत्तीर्णगढ़ ती ९२वीं बैठक दिनांक २० / १२ / २०१९ में लिये नियमित प्रकरण का मेरात्मा श्री निर्देशी दीवान (पोलकरी सेण्ट माईन, याम-पोलकरी, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद) याम-बाकेल, पो.ओ.—भनपुरी, तहसील व जिला-बस्तर के खदान पर लिपकीय चुटिवश मेरात्मा श्री निर्देशी दीवान (पोलकरी सेण्ट माईन, याम-पोलकरी, तहसील-फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद) याम-बाकेल, पो.ओ.—भनपुरी, तहसील व जिला-दुर्ग का उल्लेख हो गया है।

वर्तमान में श्री निर्देशी दीवान याम-बाकेल, पो.ओ.—भनपुरी, तहसील व जिला-बस्तर की पश्च दिनांक १० / ०१ / २०२० द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति में संशोधन को सिए आवेदन किया गया है। इस चुटि का विचारण किया जाना है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14 / 02 / 2020 को समन् ७५वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / पश्च का अबलोकन किया गया। यह पाया गया कि प्रकरण में उल्लेखित खदान की ग्रांकिजिविलिटी रिपोर्ट, काम-१एम, अनुमोदित मार्फतिग प्राप्त आदि में खदान याम-पोलकरी, तहसील-फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद हीमा बताया गया है।

नवीन छात्र-२ में उदान ग्राम-पालकर्ता तहसील-सापिंग ज़िला-मरियादा तथा नाईनिंग विभाग के हाथों जारी एलओआई. में ग्राम-पालकर्ता विकासाधारण-फिरोजाबाद ज़िला-मरियादा होना चाहया गया है। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पते में लिपकीय नुटिग्राम ग्राम-पालकर्ता ओआई-भनपुरी, तहसील व ज़िला-दुर्ग का उल्लेख हो गया है।

उपरोक्त लक्ष्यों के आधार पर प्राप्तिकरण हारा विभार द्विरो हुपरांत सर्वेशमनी से निर्णय लिया गया कि परियोजना उस्तावक को अनुमोदित नाईनिंग एजान में वाइस सचिवालय कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित विषय जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उदानगुलाम सूचित किया जाए।

बैठक घन्यात डाप्टमेंट सचिव समन्वय हुई।

  
 (संगीता पी.)  
 सचिव  
 राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधीरण  
 प्राप्तिकरण उत्तीर्णगढ़

  
 (मोगी लाल सरकर)  
 सचिव  
 राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधीरण  
 प्राप्तिकरण उत्तीर्णगढ़

  
 (डॉ. संगीर वाजपेयी)  
 सचिव  
 राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधीरण प्राप्तिकरण उत्तीर्णगढ़